राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ६] द्वितीय विधान सभा के छठे सत्र का चतुर्थ दिवस [संख्या ४

गुरुवार, १३ अगस्त, १९५९.

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.६ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[गृह, सिंचाई, यातायात, वन, विद्युत, सहकारी, स्वास्थ्य, स्वायत्त शासन, सार्वजनिक-निर्माण-विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : क्वेश्चन्स ।

प्रश्न संख्या ९५

श्री हुकमसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ९६

श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

गंगापुर-लालसोट सड़क का कार्य

९७. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या गंगापुर-लालसोट सड़क पर ८,९,१० तथा १५,१६,१७ मीलों में कार्य संतोषप्रद चल रहा है ?

(२) यदि हाँ, तो क्या उसमें एस्टीमेट के अनुसार ग्रिट पूरी इकट्ठी की गई है ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त सड़क पर जो ग्रिट ठेकेदार से सरकार ने डलवाई है वह पेटियां १२ इंची भरने की अपेक्षा ९" इंची तथा १० इन्ची की ही भरी गई हैं और ठेकेदार को पूरा १२ इन्ची का पेमेन्ट कर दिया गया है ?

(४) क्या सम्पूर्ण ग्रिट जो मेजरमेन्ट बुक में दर्ज है के अनुसार पूर्ण साइट पर मौजूद है ?

(५) क्या टार पेन्टिग का कार्य विधिपूर्वक हो रहा है तथा क्या टार ड्रम पूरे टार पेन्टिग में ही काम आ रहे हैं ?

Page No.2

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

(६) क्या यह सही है कि उक्त सड़क पर २ इंची ग्रिट बिछाने की अपेक्षा १ इंच और १-१।४ इंच ही ग्रिट बिछाई जा रही है ? क्या सरकार इसकी जांच करवाने को तैयार है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हाँ।

(२) जी हाँ।

(३) जी नहीं। पेटियां पूरी १३" की भरी गई हैं और पेमेन्ट १२" का दिया गया है।

(४) जी हाँ।

(५) जी हाँ।

(६) ग्रिट केवल १" बिछाई जा रही है और १" ग्रिट का पेमेन्ट किया जा रहा है। प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ९८

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ९९

श्री गिरधारीलाल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

श्री सम्पतराज जैन।

कलेक्टर झालावाड़ के नाम से मोटर तथा ट्रक टैक्स के मनिआर्डरों का हिसाब

१००. **श्री सम्पतराज जैन** (अकलेरा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) १ अप्रेल सन् १९५४ से ३१ मार्च, सन् १९५७ तक मोटर व ट्रक टैक्स के कितने मनिऑर्डर कलेक्टर (आर. टी. ओ) झालावाड़ के नाम पर आये और यह मनिऑर्डर पोस्ट ऑफिस से किसने लिए ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) उक्त मनिऑर्डरों में से किन किन मनिऑर्डर की रकम ट्रान्सपोर्ट विभाग, झालावाड़ की कैश बुक में या जरिये चालान ट्रेजरी में जमा हुई ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(क) कोई मनिऑर्डर नहीं आये।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सम्पतराज जैन : इसमें, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि हजारों रुपयों के मनिऑर्डरस आये हैं और रुपयों का गबन हुआ है। आप जांच करवाइगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : जांच करवाने के बाद ही उत्तर दिया है।

श्री सम्पतराज जैन : मनिआर्डर्स की जांच नहीं हुई हैं, दफ्तर में जांच हुई होगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे दफ्तर से सूचना आई है कि एक भी मनिऑर्डर नहीं आया।

Page No.3

प्रश्न संख्या १०१

श्री उपाध्यक्ष : रावराजा श्रीसरदारसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या १०२

श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

डिस्ट्रिक्ट मैडिकल एण्ड हैल्थ ऑफिसर जयपुर के आधीन रिजर्व डॉक्टर

१०३. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जयपुर जिले को डिस्ट्रिक्ट मैडिकल एण्ड हैल्थ ऑफिसर के अधीन कोई लीव रीजव डॉक्टर रखे जाते हैं ?

(ख) यदि हां, तो कितने और वे कौन हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि इन रिजर्व डॉक्टरों को सवाई मानसिंह अस्पताल में ही रखा जाकर काम कराया जाता है और जिले की डिस्पेन्सरी डॉक्टरों के छुट्टी ले लेने पर भी इन डॉक्टरों को नहीं भेजा जाता जिससे डिस्पेन्सरी का कार्य सफर करता है ?

(घ) क्या यह सत्य है कि लालसोट डिस्पेन्सरी में डॉक्टर के लीव पीरियड में कोई डॉक्टर नहीं पहुँचा और मरीज डॉक्टर के अभाव में परेशान हुए ?

(ङ) क्या सरकार इन रिजर्व डॉक्टरों में से एक डॉक्टर का हैडक्वार्टर दौसा सब-डिविजन में रख कर प्रत्येक डिस्पेन्सरी में छुट्टी के समय भेजने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्री भीखाभाई) :
(क) जी हां ।

(ख) चार डॉक्टर रिजर्व लिस्ट में हैं जिनके नाम निम्नलिखित हैं :

१. डॉ० एम. आर. दादू
२. डॉ० मदनगोपाल सक्सेना
३. डॉ० गिरीशचन्द्र
४. डॉ० जी. पी. बन्सल

(ग) जी नहीं, जब कभी रिजर्व डॉक्टर भेजने के लिए डी. एम. एच. ओ. जयपुर के यहां से कोई मांग होती है या किसी डिस्पेन्सरी का डॉक्टर लम्बे अवकाश पर जाता है तो इन डॉक्टरों में से उसके स्थान पर काम करने के लिए नियुक्ति कर दी जाती है ।

(घ) जी हां, सवाई मानसिंह अस्पताल में डॉक्टरों के अभाव के कारण रिजर्व डॉक्टरों में से कोई भी डॉक्टर लालसोट नहीं भेजा जा सका ।

(ङ) जी हां । चूँकि अब डिस्ट्रिक्ट हैल्थ ऑफिसर, जयपुर का हैडक्वार्टर दौसा रखा जा रहा है ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : लालसोट में दो महीने तक डॉक्टर न भेजे जाने से मरीज बिना दवा के ही पड़े रहे ?

श्री उपाध्यक्ष : जरा स्पष्ट कहिये ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : डॉक्टर उस समय अवेलेबल नहीं था और यहां लगा हुआ था इसलिए नहीं भेजा ।

प्रश्न संख्या १०४

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल ।

ग्राम बाधनू, तहसील नोखा के सार्वजनिक कुँए

१०५. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गांव बाधनू, तहसील नोखा, जिला बीकानेर में कितने सार्वजनिक कुँए हैं ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द विश्नोई) :

तीन ।

उपाध्यक्ष : Can we extend to four ?

प्रश्न संख्या १०६.

श्री उपाध्यक्ष : भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द ।

शस्त्रों के लाइसेन्स देने के नियम

१०७. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार ने यह नियम बनाया है कि एक व्यक्ति के नाम एक ही शस्त्र का लाइसेन्स दिया जाय व जिनके पास ज्यादा शस्त्र के लाइसेन्स हों उनके पास एक को छोड़कर शेष जब्त कर लिये जाये ?

(२) यदि नहीं, तो फिर जिला भीलवाड़ा के जिलाधीश ने उक्त आज्ञा किस आधार पर जारी की है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(१) जहां तक रिवोल्वर और पिस्तोल का संबन्ध है भारत सरकार ने यह आदेश दिये हैं कि जो लोग एकजमरी हैं, वे कितने ही शस्त्र रख सकते हैं, किन्तु अन्य व्यक्ति एक से अधिक हथियार नहीं रख सकते । राईफल्स, बन्दूक व अन्य शस्त्रों के लिए लाइसेन्स ऑथिरिटी को यह आदेश दिया गया है कि लाइसेन्स देते समय व लाइसेन्स नवीनीकरण करते समय ऐसे व्यक्तियों का कि जिनके पास एक से अधिक शस्त्र हो पूछा जाय कि उनको प्रत्येक शस्त्र एक से अधिक रखने की क्यों आवश्यकता है ? इस प्रकार जांच की जकर यदि उनकी आवश्यकता वास्तविक जान पड़े तो एक से अधिक शस्त्र रखने की अनुमति दी जाय । यह आदेश अप्रेल, सन् १६५८ में जारी किये गये और इससे प्रतीत होता है कि जिलाधीश को एक या एक से अधिक शस्त्र रखने की अनुमति देने या न देने के अधि-

(श्री रामकिशोर व्यास)

कार प्राप्त हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि उन शस्त्रों की वास्तविक आवश्यकता प्रमाणित करवा दी जाय।

(२) इसका उत्तर भाग १ में दिया जा चुका है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या सरकार के यह ध्यान में है कि हुक्म बगैर तामील किये और बगैर इत्तला किये एक ही बन्दूक का लाइसेन्स दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : इस प्रकार से करीब कितने लाइसेन्सेज जब्त किये गये या कैंन्सिल किये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : अलग से सवाल है।

प्रश्न संख्या १०८

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०६

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ११०

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द

ग्राम सेवा बहुधन्धी सोसाइटी, नागोर को ऋण

१११. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ग्राम सेवा बहुधंधी सोसाइटी, तहसील डीडवाना जिला नागोर का रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रार्थना-पत्र कब प्राप्त हुआ और रजिस्ट्रेशन कब हुआ ?

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त सोसाइटी को लोन अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

उप मंत्री, सहकारी (श्री दौलतराम सारण) :

(१) समिति को रजिस्ट्रेशन कराने का प्रार्थना पत्र २२।३।५७ को प्राप्त हुआ और दिनांक ८।७।५७ को रजिस्ट्रेशन हुआ।

(२) जी नहीं, यह सत्य नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : इस सोसाइटी को रकम कब मिली ?

श्री दौलतराम सारण : ३० मार्च, ५८ को।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन

बीकानेर पावर हाउस की स्थिति सुधारने हेतु लिये निर्णयों को कार्यान्वित करना

११२. श्री भीमसेन (लूणकरणसर): क्या विद्युत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

Page No.6

(श्री भीमसेन)

(१) १६ जुलाई, १६५८ को बीकानेर पावर हाउस की स्थिति सुधारने के लिए हुई बैठक में क्या निर्णय लिये गये तथा उनको क्रियान्वित करने के लिए अब तक क्या क्या कदम उठाये गये ?

(२) क्या यह सही है कि बीकानेर पावर हाउस की मशीनें बहुत पुरानी हैं और वे किसी भी वक्त खराब हो सकती हैं ?

(३) भाखरा से बीकानेर को कब तक बिजली मिल सकती है ?

उप-मंत्री विद्युत (श्री भीखाभाई) :

मीटिंग में जो निर्णय लिए गये वे इस प्रकार हैं :—

मिटिंग के निर्णय	उस पर अमल
(क) कुल ४०० किलोवाट के तीन सेट बीकानेर पावर हाउस में लगाये जावें ।	यह लगा दिये गये ।
(ख) १५०.१५० के दो सेट रतनगढ़ में लगाये जावें ।	यह लगा दिये गये हैं ।
(ग) ३,००० किलोवाट टरबोआलटरनेटर मरम्मत के सामान के लिए श्री मुकुन्दलालजी को बंबई भेजा जावे ।	(ग) मरम्मत पूरी होगई है सेट चालू हो गया है ।
(घ) पुराने बोयलर के मिलने के बारे में पूछताछ की जावे	पूछ ताछ की जा रही है ।
(ङ) १००—१,००० किलोवाट के २ डीजल सेट बीकानेर में लगाने का प्रस्ताव बनाया जावे ।	डीजल सेटों के टेन्डर माँगे गये हैं ।

(च) फिलहाल चार कुओं पर ४. १०० के ८ डब्लू के सेट लाये गये हैं ।

(२) (क) टर्बाइनों के बारे में एक हद तक सही है ।

(ख) डीजल दो के अलावा सब नये हैं ।

(३) सन् १६६० तक ।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि भाखरा से जो बिजली '५६ में मिलनेवाली है वह न मिल कर कभी '५७ कभी '५८ और अब '६० में मिलने का कहा गया है किसको सही माना जाये ?

मंत्री, विद्युत (श्री रामकिशोर व्यास) : ६० से आगे की बात नहीं ।

श्री भीमसेन : क्या डिफीकल्टी आपको है जिसके कारण आप इसको आगे से आगे बढ़ाते जा रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस बारे में एक से ज्यादा दफा बता चुका हूँ । इसमें ऐसा है कि पंजाब का काम पूरा नहीं हुआ । अब आशा की जाती है कि वह काम जल्दी ही पूरा

(श्री रामकिशोर व्यास)

हो जायेगा और इस साल के आखिर तक हमें बिजली मिलने लग जायेगी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या यह सही है कि हमें जो सब-स्टेशन कायम करने थे वे हम कर नहीं पाये इसलिए हमें बिजली नहीं मिल रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सही नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या जहाँ जहाँ सब-स्टेशन्स बनने थे वे बन चुके हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ ज्योंही पंजाब ने हमें बिजली दी हम बिजली लेलेंगे ?

श्री मुरलीधर व्यास : जब तक हम अपना जो काम है वह पूरा नहीं करेंगे बिजली कैसे ले लेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : आप इस बात का इत्मीनान रखिये पंजाब की ट्रान्स-मिशन लाइन पूरी होते ही हम बिजली ले लेंगे।

श्री भीमसेन : पंजाब सरकार जब कि अपने यहाँ तीन, चार साल से बिजली का उपभोग कर रही है और हमें नहीं दे रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : उनके हिस्से का कुछ कार्य बाकी है हमारे ऑफिसर वहाँ जाते हैं, ताकीद करते हैं, उनका काम भी कम्पलीशन स्टेज पर है।

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर में जो तीन हजार-किलोवाट का इन्जन लगाया गया है क्या वह तीन हजार किलोवाट बिजली ही देता है या उससे कुछ कम ?

श्री रामकिशोर व्यास : तीन हजार किलोवाट का इन्जन है तो वह तीन हजार किलोवाट ही प्रोडयूस करता होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने वहाँ छोटा इन्जन लगाया है और एक सेट हटा लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द

बंवरला ग्राम पंचायत, डेगाना के चुनाव एवं निर्वाचित सरपंच को चार्ज

११३. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) तहसील डेगाना के बंवरला ग्राम पंचायत के चुनाव कब हुए तथा निर्वाचित सरपंच को कब चार्ज दिया गया ?

(२) अगर नहीं दिया गया या देरी से दिया गया तो इसके क्या कारण हैं ?

(३) क्या सरकार सरपंच को चार्ज न देनेवाले के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

उप मंत्री, स्वायत शासन (श्री दौलत-राम सारण) : (१) २६।१२।५८ को।

(२) १६।३।५८ को चार्ज दिया गया।

(३) पूर्व सरपंच ने चार्ज देने में विलम्ब किया। प्रश्न नहीं उठता।

Page No.8

श्री लक्ष्मीचन्द : विलम्ब करने के क्या कारण थे ?

श्री दौलतराम सारण : पूर्व सरपंच ने चार्ज नहीं दिया।

श्री लक्ष्मीचन्द : पूर्व सरपंच ने चार्ज नहीं दिया उसका कारण क्या है ?

मंत्री, स्वायत्त शासन :(श्री बद्रीप्रसाद) कारण तो उन्हीं को मालूम है। हमारे पास शिकायत आई हमने चार्ज दिलवा दिया।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि काफी सरपंच चार्ज नहीं देते। उसके लिये क्या कानून में किसी प्रकार का संशोधन करना आवश्यक मानती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी तक तो कानून में मजबूर करने का कोई प्रोविजन नहीं है लेकिन इस प्रकार का संशोधन करने के बारे में सरकार विचार करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

बीकानेर-गंगानगर सड़क

११४. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) बीकानेर शहर डिविजनल हैड-क्वार्टर से गंगानगर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर को सड़क द्वारा सम्बन्ध करने हेतु सबसे नजदीक रास्ता कौनसा है तथा उसकी दूरी क्या है ?

(ख) राजस्थान में अब तक ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स हैं जो डिविजनल हैडक्वार्टर्स से सड़क द्वारा सम्बन्धित नहीं हैं ?

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि बीकानेर शहरसे कस्बे लूणकरणसर तक सड़क का निर्माण हो रहा है तथा गंगानगर से रायसिंह-नगर तक सड़क बनी हुई है ? अगर हाँ तो क्या जनता की माँग लूणकरनसर से कुंभाना होते हुए विजयनगर, रायसिंहनगर को सड़क द्वारा संबन्ध करने हेतु चल रही है जिससे बीकानेर-गंगानगर का सड़क से संबन्ध हो सके ?

(घ) अगर हाँ, तो सरकार इस माँग को कब व किस प्रकार पूरी करने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) बीकानेर, लूणकरणसर, सूरतगढ़, गनेशगढ़, होकर गंगानगर को १५६ मील।

(ख) केवल श्री गंगानगर और बाँसवाड़ा ही ऐसे डि० हैडक्वार्टर्स हैं।

(ग) जी हाँ। जी हाँ। गंगानगर पहुंचने के लिए यह मार्ग लम्बा रहता है। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भीमसेन : क्या सरकार इसको तीसरी पंच वर्षीय योजना में रखेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी तीसरी योजना का ढाँचा बना रहे हैं।

Page No.9

श्री भीमसेन : क्या आप यह प्रस्ताव करेंगे कि इसको भी उसमें रख लिया जाये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : विचार करेंगे ।

श्री मुरलीधर व्यास : (बीकानेर सिटी) इस पर विचार हो रहा है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : पक्ष और विपक्ष दोनों पर हो रहा है ।

श्री मुरलीधर व्यास : पक्ष विपक्ष का सवाल नहीं । सरकार की यह नीति है कि सारे डिविजनल हैडक्वाटर्स को राजधानी से मिलाया जाय और डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर को को डिविजनल हैडक्वार्टर से, तो क्या आप इसी के अनुसार योजना बना रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तीसरी पंच वर्षीय योजना में विचार करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी ।

नगरपालिका पाली द्वारा जमीन का बेचना

११५. **श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

पाली शहर में राजस्थान सरकार के जमीन वितरण करने के लिए इस आज्ञा के निकलने के बाद भी कि नगरपालिका जमीन का क्रय-विक्रय नहीं कर सकेगी, नगरपालिका पाली ने किन किन को जमीन बेचान की है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : सरकार की आज्ञा है कि नगरपालिका जमीन का क्रय-विक्रय नहीं कर सकेगी । नगरपालिका पाली के पास पहुंचने के पश्चात् कोई जमीन नगरपालिका पाली द्वारा नहीं बेची गई है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : इस निर्णय को कब लागू कर रहे हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : निर्णय हो चुका है, रूल्स और रेगुलेशन्स जल्दी ही पब्लिश कर दिये जावेंगे ।

श्री पी. के. चौधरी : गवर्नमेन्ट के इन्स्ट्रक्शन्स कब शुरु हुए थे ?

मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : फरवरी, ५६ में ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या निर्णय हुआ, नगरपालिका बेचेगी या क्या होगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पब्लिश होनेवाले हैं तब मालूम हो जावेगा ।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : जब आपने निर्णय ले लिया तब आपको बताने में क्या दिक्कत है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : निर्णय होने में और निर्णय लेने में फर्क है ।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : आप अपना निर्णय प्रकाशित करने जब जा रहे हैं तो अभी क्यों नही बताते ? क्या गोपनीय है यह ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : निर्णय तो ले लिया पर उसकी डिटेल अभी वर्क-आउट कर रहे हैं ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : पॉलिसी तो बता सकते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसका इस सवाल से सम्बन्ध नहीं है। अगर आप दुबारा पूछेंगे तो जवाब दे सकूँगा।

प्रश्न संख्या ११६

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री पी.के. चौधरी।

मेजा परियोजना पर कुल लागत

११७. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): Will the Irrigation Minister be pleased to state:—

1. What is the total cost of construction of the Meja Project in Bhilawara district ? What was the target date of completion of the work and on what date it has been actually completed ?

2. What is its total commanded area ?

3. Is it correct that during the last Rabi season water from the right canal only was supplied ? Is it also correct that supply was made for only one watering to the crop and no second watering was allowed ?

4. Is it correct that on account of the defective devices the water overflowed and spoiled the crop and whatever crop survived withered as no water was supplied for the second time ? If so, what is the case of it ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री भीखा भाई) :

1. The estimated cost of the Meja Project is 59 lacs. The scheduled date of completion of the dam was the year 1958 and that of the canals 1959. The dam has been completed in the year 1958 and the canals has been practically completed.

2. The gross commanded area is 70.000 acres.

3. No. The water was supplied through both the canals right as well as left and full number of waterings for maturity of crops were given.

4. No.

श्री सज्जनसिंह (बूंदी) : May I know from the Hon'ble Minister the total cost ? It has been asked in question no. 1. You have given estimated cost. What is the total cost of this Bund ?

श्री पी. के. चौधरी Is it correct that...............

श्री उपाध्यक्ष : The question is being overlapped.

श्री भीखा भाई : The cost is almost the same. Some little amount has exceeded.

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that the water supply from the right canal was supplied and it was not

Page No.11

(श्री पी० के० चौधरी)

supplied next and the crop was fully withered for want of watet ?

श्री भीखा भाई : I have already replied in my reply to the question in 2nd part.

श्री पी. के. चौधरी : You have said here 'No'. But in the previous session you have admitted that right canal water supply was stopped.

श्री उपाध्यक्ष : Did the crop withere ?

श्री भीखा भाई : I said that the water given from both the canals, right as well as left.

श्री पी. के. चौधरी : In the last Budget Session, in reply to a supplementary, the Hon'ble Minister admitted that there was a defect in the water supply and subsequently the crop was withered and today he says that full water supply has been given. So I want to know full water snpply or half..........

मंत्री, सिंचाई (श्री रामकिशोर व्यास) : यह तो जब तक देखा न जावे तब तक अर्ज नहीं कर सकता।

श्री पी. के. चौधरी : फेक्ट्स कैन वैराई How the facts can vary ?

श्री रामकिशोर व्यास : जितना पानी पकने के लिये ज़रूरी था उतना दिया गया।

श्री पी. के. चौधरी : कितना एक, दो, तीन या चार, पांच।

श्री रामकिशोर व्यास : जितने पकने के लिये फसल के लिये जरूरी था उतना दिया गया। अब किसको एक दिया, किसको ज्यादा यह तो इन्डिविजुअल केस आप लावें तो जांच करके जवाब दे सकता हूं कि एक पानी दिया और पूरा चार्ज किया या क्या हुआ।

श्री पी. के. चौधरी : It is not the case of an individual. But a case for the entire and your gates were broken down. It was repaired last year or this year.

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो मैंने पहली मरतबा भी कहा था। राइट केनाल में स्लूस की खराबी हो गई थी इसलिये वहां का पानी दूसरे नाले में डाइवर्ट कर दिया था। इसलिये हो सकता है कुछ खेतों में पानी ज्यादा चला गया हो।

श्री पी. के. चौधरी : I would like to see the reply and to find the reply given previously inconnection with the project.

श्री रामकिशोर व्यास : आप स्पेसिफिकली पूछ लीजियेगा ?

श्री पी. के. चौधरी : स्पेसिफिकली ही तो पूछ रहा हूं। लेफ्ट केनाल में बिल्कुल सप्लाई नहीं हुआ, स्पेसिफिकली तो पूछ रहा रहा हूं।

श्री रामकिशोर व्यास : वह सप्लाई हुआ, मेरा जवाब यह है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

Page No.12

निम्बाहेड़ा में जनाने अस्पताल की मांग

११८. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या निम्बाहेड़ा में स्त्रियों के इलाज की राज्य सरकार द्वारा कोई उचित व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(२) क्या वहां के निवासियों ने एक पृथक् जनाना अस्पताल की मांग की थी ?

(३) यदि हाँ, तो सरकार इस विषय मे क्या कदम उठा रही है ?

उप-मन्त्री, स्वास्थ्य (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां। निम्बाहेड़ा अस्पताल में स्त्रियों के इलाज की उचित व्यवस्था है। वहां पर मेल मैडिकल ऑफिसर के अलावा स्टाफ-नर्स भी अस्पताल में है।

(२) निम्बाहेड़ा के निवासियों ने एक मेटरनिटी-होम खोलने के लिये मांग की है।

(३) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह कब तक खुल जावेगा ?

श्री भीखाभाई : दरअसल सेकिण्ड फाइव ईयर प्लान में मेटरनिटी अस्पताल खोलने का प्रावधान है नहीं। पर जन सहयोग पर यह आधारित है कि उनकी कितनी तैयारी है।

श्री मुरलीधर व्यास : सारे चित्तौड़ जिले में एक भी जनाना अस्पताल नहीं है, क्या यह सही है ?

मन्त्री, स्वास्थ्य (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : यह तो ठीक है पर जो अस्पताल मौजूद हैं उनमें नर्स और लेडी डॉक्टर हैं और वे काम करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

एस० एम० ओ०, बी० सी० जी०, जयपुर द्वारा मोटर के कल पुर्जों तथा मरम्मत के लिए मौखिक आदेश

११६. **श्री पी के० चौधरी** (फुलेरा) : Will the Public Health Minister be pleased to state:—

1. It is correct that during the year ending 31st March, 1959 the S. M. O., B. C. G. Jaipur gave verbal orders to the tune of over Rs. 5,000/- for motor parts and repairs to the United Auto Service Co., Jaipur and similar orders to the tune of thousands of rupees were placed with M/S. Jodhpur Motor Works, Jaipur ? If so, what is the total value of bills received from these companies for goods and services provided against these verbal orders and under what authority the payment of these bills have been made ?

उप-मन्त्री स्वास्थ्य, (श्री भीखाभाई) : Yes, only parts worth Rs. 3,497. 34 nP. were said to have been purchased on verbal orders from M/s United Auto Stores, Jaipur. Similarly M/s Jodhpur Motor works which are not dealing with the supply of motor accessories have rendered service to the vehicles on verbal orders and submitted bills worth Rs. 1,512/-.

Page No.13

(श्री भीखाभाई)

The payment of bills has not so far been made. The matter is under enquiry.

श्री पी० के० चौधरी : What action has been taken against that S. M. O. for giving such orders in violation of the rules.

मन्त्री, स्वास्थ्य (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): The matter is under enquiry. The Dy. Director is enquiring into the whole affair and as soon as the result thereof is received, action will be taken.

श्री पी० के० चौधरी : It is a prema facie case under the General Financial Rules. What more...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Who is responsible for all this, this is to be enquiried.

श्री पी० के० चौधरी : The payment has been made.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : It has been withheld.

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

मेडिकल कॉलेज बीकानेर को प्रारम्भ करने के लिए कार्यवाही

१२०. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) मेडिकल कॉलेज, बीकानेर को जुलाई, १९५९ में प्रारम्भ करने के लिए राज्य सरकार ने अब तक क्या २ कार्यवाहियां की हैं ?

(२) उक्त मेडिकल कॉलेज में कुल कितने छात्र भरती किये जावेंगे ?

(३) प्राध्यापक कुल कितने होंगे ? क्या उनकी नियुक्तियां कर दी गई हैं ?

उप-मन्त्री, स्वास्थ्य (श्री भीखाभाई) : राज्य सरकार की ओर से समस्त आवश्यक कार्यवाहियां इस हेतु की जा रही हैं । मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में नियमित कक्षायें दिनांक २७-७-५९ से आरम्भ हो चुकी हैं ।

(ख) उक्त मेडिकल कॉलेज में कुल ५० छात्रों की स्वीकृति है । जिनमें से ४० लड़के और १० लड़कियां होंगी । इस वर्ष दो प्राध्यापकों की स्वीकृति है जिनकी नियुक्ति हो गई है ।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें जितने छात्र छात्राएं आने हैं उन सबको एडमिसन मिल गया है या नहीं ?

मन्त्री, स्वास्थ्य (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : एडमिसन तो करीब करीब पूरे हो चुके हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : पर क्या यह सही है कि दस छात्राओं में से अभी तीन ही आई हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कुछ ने जोइन नहीं किया । इसलिए उनके बजाय दूसरों को एडमिसन दिया जा रहा है ।

प्रश्न संख्या १२१

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा ।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

तहसील कोटपुतली की पंचायत में पंचों की संख्या

१२२. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) तहसील कोटपुतली में किस किस पंचायत में दस से अधिक पंच हैं ? नाम-ग्राम, जनसंख्या और पंचों की संख्या सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) क्या यह भी सही है कि कल्याणपुरा खुर्द में आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं है ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि ग्रामवासियों की मांग पर यह कह कर इन्कार किया गया है कि पहले से ही पंचायत में १४, १५ पंच हैं इस वजह से पंच नहीं बढ़ाये जा सकते हैं ?

उप मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (क) ६ पंचायतों में १० से अधिक पंच हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) जी नहीं । एक पंचायत में १५ तक पंच हो सकते हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) ऐसी कोई मांग नहीं आई है ।

[कृपया परिशिष्ट १ देखिए]

श्री रामकरणसिंह : आपने जो सूची दी है इसमें एक पंचायत की संख्या ६०८ है उसमें से दो पंच लिए गए हैं । दूसरी है जिसकी आबादी ६०७ है उसमें से भी दो लिए हैं पर एक तीसरी है कल्याणपुरा जिसकी आबादी ७१४ है पर इसमें से एक ही लिया गया है । यह कैसे ?

श्री दौलतराम सारण : इन पंचायतों के वार्ड पहले के हिसाब से बनाये हुए हैं । इसलिए ऐसा लगता है इस तरह की खामियां रह गई हैं । अब दुबारा जब छोटी पंचायतें बनाई जावेगी तो उस वक्त इस पर विचार किया जावेगा ।

श्री रामकरणसिंह : ये अब तक दो दो बन गई और ७१४ में एक ही तो इसका कारण क्या है ?

श्री दौलतराम सारण : ऐसा मालूम पड़ता है कि विभाग की तरफ से कोई नजर अन्दाज हो गया है । गलती हुई मालूम पड़ती है कहीं । मैंने प्रश्न के उत्तर में भी यही कहा है और इसलिए निवेदन किया है कि जब दुबारा छोटी पंचायतें बनाई जावेगी तो उन सबका ख्याल रखा जावेगा और इस तरह की खामियों को दूर कर दिया जावेगा ।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह भी सही है कि कांसली में १,०३५ की जनसंख्या पर ४ पंच लिये गये हैं जब कि इस पूरी लिस्ट में इतनी जनसंख्या के ऊपर २ से अधिक पंच नहीं लिये गये हैं ?

श्री दौलतराम सारण : इसके लिए मैं उत्तर दे चुका हूँ ।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह भी सही है कि १,८३६ की जनसंख्या पर ४, १,३४६

Page No.15

(श्री रामकरणसिंह)

की जनसंख्या पर २ और १,८६१ की जनसंख्या पर ३ पंच लिये गये हैं। यह सब आपकी सूची में ही दिये हुए हैं जब कि १,०३५ पर भी ४ पंच लिए गए हैं ?

श्री दौलतराम सारण : मैं उत्तर दे चुका हूँ। इस तरह की अगर कहीं कमी रह गई है तो वहाँ पर छोटी पंचायतें बनाई जायेंगी उस समय विचार करके इन सब कमियों को धीरे धीरे दूर कर दिया जायेगा। आपको ख्याल होगा कि जिस समय पहले पंचायतों का गठन हुआ उस समय जल्दी में यह सब हुआ और हो सकता है कि कहीं ओवरसाइट से गलती रह गई हो।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : पंच निर्धारित करने का आपका कोई आधार भी तो होगा ?

मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): पंचों की संख्या गवर्नमेन्ट मुकर्रर करती है और नीचे के लोग ही वार्ड वगैरह बनाया करते हैं। हो सकता है यह गलती रह गई हो आइन्दा के लिए ध्यान रखा जायेगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : वार्ड वगैरह तो पंचायत ऑफिसर वगैरह बनाते होंगे। नीचे कोई मशीनरी नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : आपका सहयोग होगा तो नीचे की मशीनरी भी ठीक करेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारे हर एक जिले के अन्दर पंचायत के इन्सपेक्टर मौजूद हैं। इसके अलावा अब हर एक ब्लॉक के अन्दर पंचायत ऑफिसर भी अपोन्ट कर दिये हैं।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह माना जाय कि जब से वार्ड बने हैं तब से पंचों में या वार्ड में कोई तब्दीली नहीं की गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अलग प्रश्न है इसलिए इसे आप अलग से पूछिए।

श्री रामकरणसिंह : आपने जो अभी जवाब दिया है कि यह कोई गलती रह गई थी और उसके बादमें किसी प्रकार का अमेन्डमेन्ट नहीं किया गया तो यह माना जाय कि जो वार्ड बने और चुनाव हो गये तो किसी भी गाँव में कोई घटा बढ़ी नहीं की गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह इतना वेग क्वेश्चन है, कि इसका जवाब देना मुश्किल है। मुझे नहीं मालूम कि कौन कौन से वार्ड में और कौन कौन से पंचों में तब्दीली हुई और क्या घटा बढ़ी हुई।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह माना जाय कि यह जो लिस्ट है यह सही नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : प्रिजम्पशन का तो कोई सवाल ही नहीं है। आप तो फैक्ट्स पूछिए।

श्री रामकरणसिंह : यह जो लिस्ट आपने दी है यह सही मानी जाये या गलत ?

Page No.16

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लिस्ट बिल्कुल सही दी गई है।

श्री रामकरणसिंह : क्या मंत्री महोदय यह जानकारी रखते हैं कि पनियाला को देखें तो मालूम होगा कि यह पंचायत आपके पड़ोस में है और क्या यह सही है कि यहाँ दो पंचायतें बनाई गई हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो सूचना दी गई है वह सही है। अगर आप कहते हैं तो देख लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री रामकरणसिंह : अध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : Now enough supplementaries have been put to this question.

श्री मुरलीधर व्यास,

राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या एवं ग्रेड्स

१२३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट में ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जो वर्कशॉप में फिटरों का काम करते हैं ?

(२) उनके ग्रेड्स क्या हैं ?

(३) क्या इन कर्मचारियों को तारीख १-७-५९ को सरकार ने वर्दी देने का कोई हुक्म दिया था ? यदि हां, तो उन्हें अब तक वर्दी क्यों नहीं मिली ?

(४) क्या यह सही है कि पुराने होशियार फिटरों के हकों को मारकर नये लोगों को फोरमैन बनाया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनकी जांच कराने को तैयार है ?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री भीखाभाई) :

(१) इस समय राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट में ६१ कर्मचारी वर्कशॉप में एवम् १०१ कर्मचारी फील्ड में कम कर रहे हैं।

(२) कर्मचारियों के ग्रेड्स निम्न प्रकार हैं:-

(१) फोरमैन	३००- ०
(२) डीजल मेकेनिक	१५०-१०-२००-१०-३००
(३) पैट्रोल मेकेनिक	१००-५-१५०
(४) हैलपर्स	६०-३-६५
(५) वेल्डर्स	१००-५-१५०
(६) इलेक्ट्रिशियन	१००-५-१५०
(७) ब्लैकस्मिथ	६०-५-१३५
(८) हेमरमैन	७०-००
(९) कारपेन्टर	६०-५-१३५
(१०) टर्नर	१००-५-१५०
(११) ड्रिलमैन कम फिटर	६०-५-१२०
(१२) पेन्टर	६०-५-१३५
(१३) टाईम कीपर	५०-३-८०
(१४) चौकीदार	५५-००
(१५) वाटरमैन	५५-००
(१६) जनरेटर ड्राईवर	१००-५-१५०

Page No.17

(श्री भीखाभाई)

(१७) जीप ड्राईवर ८०-५-१२०

(१८) ट्रक ड्राईवर १००-५-१५०

(३) ता० १-७-५६ को सरकार की ओर से इन कर्मचारियों को वर्दी देने हेतु आज्ञा इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई।

(४) फोरमैनों की भरती करते समय किसी पुराने होशियार फिटर का हक नहीं मारा गया। इनकी भरती करते समय अभ्यर्थी के अनुभव एवं योग्यता का ही विशेष ध्यान रखा जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास : जो फोरमैन बनाये जाते हैं फिटर से तो क्या योग्यता का विशेष ध्यान रखा जाता है ? उसमें किन किन लोगों की नियुक्तियां हुई हैं और उनमें क्या क्या आधार रखा गया है ?

मंत्री, सिंचाई (श्री रामकिशोर व्यास): यह अलग सवाल है अलग से पूछिए।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें आपने कहा है कि योग्यता का ख्याल रखा जाता है तो क्या योग्यता का ख्याल रखा गया है, यह तो कम से कम बता दीजिए ?

श्री रामकिशोर व्यास : अनुभव और योग्यता।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा यह सवाल पूछने का दृष्टिकोण यह है कि आपने जो इन्जीनियर को अपोइन्ट करने की पावर्स दे दी है कि वह अपनी इच्छा से ले सकता है तो जब वह अपनी इच्छा से ले सकता है तो फिर क्वालिफिकेशन्स का ख्याल नहीं रखा जाता है और इस तरह से क्वालीफाइड और पुराने आदमियों का हक मारा जाता है। क्या यह सही है ? अगर सही है तो आप इसको देख लीजिए।

श्री रामकिशोर व्यास : अगर आप किसी इन्डीविजुअल के बारे में पूछें तो मैं आपको जानकारी करके बता दूंगा कि किस का हक मारा गया है और किस का नहीं। वैसे आप जनरल कोई बात कहें तो मैं नहीं बता सकता। स्पेसिफिकेली आप कोई नाम बता दीजिए तो मैं आपको अर्ज कर दूंगा कि क्या वजह है।

श्री मुरलीधर व्यास : दूसरे यह कहा गया कि ऐसे कोई ऑर्डर्स वर्दी के संबंध में नहीं दिए गए। अगर आप कहें तो मैं वह ऑर्डर की कॉपी सदन की मेज पर रख दूं। ऐसे ऑर्डर्स गवर्नमेन्ट की तरफ से दिये गये हैं परन्तु ऑर्डर के बाद में भी वर्दी नहीं दी गई, इसका क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष : वह ऑर्डर तो बता दीजिए। Let us be enlightened, whether there is an order ?

श्री मुरलीधर व्यास: Yes.

श्री उपाध्यक्ष What is the language ?

श्री मुरलीधर व्यास: इसकी लैंग्वेज में यही है कि Copy of Order No. 20102/57 dated 16.12.57 Dy. Secy. G. A. D. Rajasthan and all the Heads of Departments. Sub:— Uniform to Motor drivers and......

*in various Departments.

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो जनरल ऑर्डर्स हैं।

Page No.18

श्री मुरलीधर व्यास : परन्तु इस ऑर्डर के अन्तर्गत सब को ही दी जाती है।

श्री रामकिशोर व्यास : जनरल है तो सब के लिए नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : तो फिर आपने यह कॉपी कैसे भेजी ?

श्री रामकिशोर व्यास : कॉपी तो गई होगी, इसमें क्या हो गया ?

श्री मुरलीधर व्यास : Copy forwarded to the Executive Engineer Shri Ganganagar, Canal, Pilibanga, Hanumangarh Dn....for information and necessary action.

श्री रामकिशोर व्यास : आपने जो यह गंग केनाल, पीलीबंगा बताया तो इसका राजस्थान केनाल से कोई ताल्लुक नहीं है। यह ठीक है और इसमें कोई गलती नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास: पीलीबंगा डिविजन में ही तो यह आपका वर्कशॉप आता है।

श्री रामकिशोर व्यास : राजस्थान केनाल एक अलग प्रोजेक्ट है और गंग केनाल अलग है।

श्री मुरलीधर व्यास : पीलीबंगा डिविजन के अन्दर ही तो आपका हनुमानगढ़ का वर्कशॉप आता है।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने राजस्थान केनाल के वर्कशॉप के लिए पूछा। राजस्थान केनाल का एक अलग प्रोजेक्ट है और वह अलग तरीके से गवर्न होता है। गंग केनाल का अलग है, भाखरा का अलग है। इन सब को आप मिलायें नहीं। राजस्थान केनाल, गंग केनाल और भाखरा को आप अलग अलग रखिये। यह ऑर्डर गंग केनालवालों के लिए भेजा गया।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कहता हूँ कि जो राजस्थान केनाल का वर्कशॉप है वह किसके अन्तर्गत है ? हनुमानगढ़ का वर्कशॉप पीलीबंगा के अन्तर्गत होता है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : वर्कशॉप कहाँ लोकेटेड है इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है लेकिन जो गवर्निंङ्ग रूल्स हैं वे अलग अलग होते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : आपके इस ऑर्डर के मुताबिक कुछ को वर्दी मिल गई और कुछ को नहीं मिली। यह या तो आप पता लगा लीजिये कि मिली या नहीं ? मैं आपको बताता हूँ किसी को वर्दी मिली है और किसी को नहीं मिली।

श्री रामकिशोर व्यास : राजस्थान केनालवालों को नहीं मिली है।

श्री मुरलीधर व्यास : इसी ऑर्डर के आधार पर मिली है।

श्री रामकिशोर व्यास : आप गंग केनाल के लिए कहते तो दूसरी बात है, राजस्थान केनाल के लिए ऐसी बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'काला-बादल'

बकानी, जिला झालवाड़ के बापू हरिजन का तबादला

१२४. **श्री भैरवलाल** 'काला बादल' (अकलेरा-मु) डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया)

Page No.19

(श्री भैरवलाल 'काला बादल' डॉ० बहादुरसिंह द्वारा)

क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बकानी जिला झालावाड़ के बापू नाम के हरिजन का स्थानीय उप-सरपंच ने अपनी चक्की पर आटा पीसने से इन्कार कर दिया और बापू के लड़के को बुरी तरह पीटा ?

(२) क्या यह सही है कि स्थानीय पुलिस ने इस व्यक्ति के मामले की रिपोर्ट लेने से इन्कार कर दिया ?

(३) क्या यह भी सही है कि इस हरिजन पर सरपंच ने केस भी चलाया है ?

(४) क्या यह भी सही है कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एण्ड हैल्थ ऑफिसर, झालावाड़ से कहकर बापू हरिजन का तबादला बकानी शफाखाने से इकलेरा कर दिया गया और क्या हरिजन के तबादले पर डॉक्टर राजी नहीं हुआ तो बकानी डॉक्टर को भी तबादले पर जाना पड़ा ?

(५) बापू का तबादला क्यों किया गया ?

मन्त्री, स्वास्थ्य (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१), (२), (३) और (४) जी नहीं। (५) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर से बापू हरिजन ने इस प्रकार की शिकायत की थी कि उप सरपंच ने उसकी पिटाई की है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा 'जी नहीं'।

डॉ० बहादुरसिंह : ट्रान्सफर किस आधार पर किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ट्रान्सफर नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : ट्रान्सफर नहीं परिवर्तन हुआ।

(हँसी)

श्री उपाध्यक्ष : मुरलीधर व्यास।

बीकानेर मेडिकल कॉलेज एवं होस्टल में होनेवाला खर्चा

१२५. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या बीकानेर मेडिलक कॉलेज की नींव में कच्ची ईंटें लगाई गई थीं, इस बात की सूचना सरकार को मिली या नहीं ! यदि हाँ, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अब उसकी जाँच करवाना उचित समझती है ?

(२) मेडिकल कॉलेज व होस्टल आदि की बिल्डिंग में कुल कितना खर्च लगेगा एवं खर्चे की रकम कहाँ कहाँ से प्राप्त होगी ?

मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) बीकानेर मेडिकल कॉलेज में कच्ची ईंटें नहीं लगाई गई हैं। इसलिए कोई कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

(२) लगभग ६० लाख रुपये। रुपया प्राप्ति के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है।

Page No.20

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मेडिकल कॉलेज में कच्ची ईंटें लगाई या नहीं, इसका तो ऐसा है कि किसी एक्सपर्ट से जाँच कराई जा सकती है। यह एक करोड़ की सम्पत्ति है। जहाँ जनता पैसा लगाती है वहाँ इस प्रकार का काम होता है। जब मन्त्री महोदय को बताया गया था और सारे लोग जानते हैं, कांग्रेस के लोगों ने शिकायत की है उसकी जाँच कहाँ की और यह कहने पर इस प्रकार का जवाब दिया जाता है तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जाँच करा लें इसमें इतनी बड़ी सम्पत्ति लगनेवाली है। इसमें करोड़ों और लाखों ईंटें लगनेवाली हैं। उसके लिए यह कहा गया है तो मैं यह कहूँगा कि आप किसी एक्सपर्ट इन्जीनियर से जाँच करा लें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे मालूम है कि करोड़ों नहीं लाखों की सम्पत्ति जरूर है। इसकी बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी। यह आप मानकर चलें कि जहाँ ईंटें लगी हैं वे ठीक हैं। जो इस बात के एक्सपर्ट हैं उन्होंने यह जवाब दिया है। यह मालूम करके जवाब दिया है। यह बात जरूर थी कि जब नेहरू-जी पधारे थे तो जल्दी की जरूरत थी और जिस आदमी को कॉन्ट्रेक्ट दिया गया था उसका खुद का किलन तैयार नहीं था, कुछ ईंटें एवेलेबल थीं। दूसरे लोगों से खरीद कर दिया है। कच्ची ईंटें नहीं थी। कुछ लोगों के कॉन्ट्रेक्टर से झगड़ा था इसलिए शिकायत की थी।

श्री मुरलीधर व्यास : मन्त्री महोदय को पता नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे सब पता है।

श्री मुरलीधर व्यास : ईंटें खुद उसने अपने भट्टे में से लेकर लगाई हैं। कभी भी आसपास से खरीदी नहीं हैं। मैं चेलेन्ज करता हूँ अगर आप यह बता दें कि ईंटें खरीदी हैं। जिस समय नेहरूजी उसकी स्थापना करने के लिए आये उस समय उन्होंने वहीं पर भट्टा खोदकर ईंटें उसमें से लेकर लगाई हैं जो कि भट्टे के लायक जमीन नहीं थी, वह मिट्टी उसके लिए उपयुक्त नहीं थी। अपनी सुविधा के लिए उसने वहाँ भट्टा लगाया तब अच्छी ईंटें कैसे मिलीं? बाहर से खरीद कर लाने की बात बिल्कुल गलत है। मैं उसको चेलेन्ज करता हूं आप जांच करवालें।

श्री नाथूराम मिर्धा : ईंटें सब ठीक हैं और नींव कमजोर नहीं रहेगी आप चिन्ता नहीं करें।

श्री मुरलीधर व्यास : आप किस आधार पर कह रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं जो कुछ कह रहा हूं वह बिल्कुल एक्सपर्ट की एडवाइस और नॉलेज और पूरी जानकारी करने के बाद कह रहा हूं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : आप एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं तो वे एक्सपर्ट कौन थे जिन्होंने जांच की है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : चीफ इन्जीनियर।

श्री श्रीभानसिंह : क्या यह जरूरी नहीं है कि जिनके नीचे काम हो रहा है उनके काम की जांच दूसरे साहब करें ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास चीफ इन्जीनियर से ऊपर कोई आदमी नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : चीफ इन्जीनियर ने इस प्रकार की रिपोर्ट दी है कि जो ईंटें लगी हैं वे सब ठीक लगी हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सब ठीक लगी हैं।

प्रश्न संख्या १२६ ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी ।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा ।

राज्य में चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिकाएं

१२७. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी की कितनी नगरपालिकाएं हैं ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखें ।

(ख) चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिकाओं का क्या आधार है और किन स्थितियों में चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिकायें तृतीय श्रेणी की नगरपालिकाओं में परिगणित की जा सकती हैं ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) २७ नगरपालिकायें हैं। सदन की मेज पर सूची रख दी गई है ।

(ख) जिन नगरपालिकाओं की तीन वर्ष की वास्तविक आय का औसत ४०,००० से १,००, ००० रु० है उनको चतुर्थ-श्रेणी में वर्गीकरण किया जाता है और जिन जिन नगरपालिकाओं की तीन वर्ष की वास्तविक आय का औसत १, ००, ००० से २, ५०, ००० हो जाती है, वह तृतीय श्रेणी में परिगणित की जाती है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : पाली नगरपालिका की पिछले तीन सालों की क्या आय है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह अलग प्रश्न आप पूछ लेते । उनका चतुर्थ श्रेणी में वर्गीकरण, ५७ में हुआ था । बाद में तीन सालों की आमदनी के अनुसार १९६० में तृतीय श्रेणी में परिगणित करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'काला बादल' ?

ग्राम रामपुरा के गणपतराम मीणा की थानेदार जनकसिंह द्वारा पिटाई ।

१२८ **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** अकलेरा-मु०-डॉक्टर बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम रामपुरा थाना लंडेला के श्रीगणपतराम मीणा को श्री जनकसिंह थानेदार ने थाने में ले जाकर बुरी तरह मारा पीटा जिससे उसके काफी चोटें आईं ?

(२) क्या श्रीगणपतराम ने थानेदार के खिलाफ अदालत में केस दायर किया है ?

(३) क्या यह सही है कि केस दायर कर देने के कारण थानेदार ने तारीख पेशी पर न जाने के लिए श्रीगणपतराम को रोका और मुकदमा बिगाड़ने का प्रयत्न किया ?

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल'-डॉ० बहादुर सिंह द्वारा)

(४) क्या श्रीगणपतराम ने इस बात की शिकायत लिखित रूप में गृह मंत्री को भी की थी और श्रीगणपतराम खुद भी मिला था ?

(५) क्या तारीख से पहले ही श्रीजनकसिंह ने रात्रि के १२ बजे फिर रामपुरा गाँव से श्रीगणपतराम को पकड़ कर अपने दोस्त दूसरे थानेदार महुआ के सुपुर्द करके १०६ का केस चलाकर हिंडौन में चालान पेश करवा दिया ?

(६) क्या इस काण्ड को सरकार ने जाँच करा कर उक्त थानेदार को कोई दण्ड दिया है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) ऐसा आरोप लगाया गया है ।

(२) जी हाँ ।

(३) जी हाँ ।

(४) श्री गणपतराम द्वारा गृह मंत्री के नाम दी हुई कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई । परन्तु एक प्रार्थनापत्र जो उसने श्री भैरवलाल' कालाबादल' के नाम दिया था और जिसको श्री भैरवलाल 'कालाबादल' ने गृह मंत्री को प्रस्तुत किया । ता० २३.१२.५८ के प्राप्त हुआ । इसके बारे में अभी एस. पी. सीकर जाँच कर रहे हैं । रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(५) जी हाँ ।

(६) थानेदार के विरुद्ध विभागीय जाँच हो रही है ।

एक माननीय सदस्य : श्रीगणपतराम आपसे मिला था या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : हो सकता है । मैं सब को पहचानता नहीं हूँ ।

प्रश्न संख्या ६५

श्री उपाध्यक्ष : श्री हुकमसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

राजस्थान में पदक प्राप्त वीर सैनिकों को सरकार द्वारा पुरस्कार

६६. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) राजस्थान प्रदेश के कितने सैनिकों को राष्ट्रपति द्वारा वीर चक्र अथवा अन्य पदक प्राप्त हुए हैं ?

(२) क्या राज्य सरकार ने ऐसे वीर सैनिकों को पुरस्कार व पुनर्वास के लिए जमीन अथवा रुपयों से कोई सहायता की है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) अब तक राष्ट्रपति द्वारा २६ व्यक्तियों को वीर चक्र अथवा अन्य पदक दिये जा चुके हैं ।

(२) राजस्थान सरकार ने ऐसे वीर सैनिकों को या तो रुपयों से अथवा जमीन के रूप में राज्य नियमानुसार सहायता प्रदान की है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सहायता देने के क्या नियम हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : कुछ लोगों को जमीन भी दी है और कुछ लोगों को रुपया भी दिया है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : आप इधर जमीन दे रहे हैं और उधर लोग उनकी जमीनें छीन रहे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : हो सकता है किसी को दी गई है और किसी ने जबरदस्ती छीन ली हो तो कानूनी कार्यवाही करना चाहिए। कोर्ट में जाना चाहिए।

श्री मदनसिंह : आपका फर्माना बिल्कुल ठीक है कि कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए लेकिन वह फौजी आइर सर्विस करता है तो उसके लिए कानूनी कार्यवाही करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो कम से कम सरकार उनको कुछ इमदाद दे तो अच्छा हो। जिनको आपने जमीन एलॉट की हैं और दूसरे लोग छीन लेते हैं और उनकी दरख्वास्तें आती हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने जवाब दिया कि जो कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं वह करेंगे।

श्रीउपाध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

ग्राम पंचायत पोलाई कलां, तहसील दीगोद का चुनाव

६८. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत पोलाई कलां, तहसील दीगोद का कार्यकाल समाप्त हो गया है ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम पंचायत का चुनाव दिनांक २-१२-५८ को होनेवाला था ?

(३) यदि हां, तो क्या कारण है कि उक्त तारीख बदली जाकर तत्पश्चात् १८-१२-५८, २६-१-५६, १८-२-५६ और २८-२-५६ तय की जाकर अब अनिश्चित् काल के लिये चुनाव स्थगित कर दिया गया है?

(४) अब यह चुनाव कब तक होने वाला है ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलत-राम सारण) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) वार्ड लिस्ट व चुनाव चिन्ह समय पर न पहुंचने के कारण दिनांक २. १२. ५८ को निर्वाचन न हो सका। इसके बाद ग्राम जनता का प्रार्थनापत्र शादियों व फसल काटने में व्यस्त रहने से चुनाव में पूर्ण रूप से भाग नहीं ले सकने का प्राप्त होने पर निर्वाचन स्थगित रखा गया। दिनांक १२. १२. ५८ चुनाव तिथि नियुक्त नहीं की गई थी।

(४) दिनांक २५. ५. १६५६ को निर्वा-चन हो चुका है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : निर्वाचन हो चुका है। परन्तु इतनी बार आपने किस जनता की दरख्वास्त पर स्थगित किये या कोई खास बात थी जिसके कारण से चुनाव स्थगित किये? कोई पार्टी की स्थिति खराब रही हो इस कारण से किये हैं?

मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : हारने व जीतने का तो मैदान में आयेंगे तो पता लगेगा लेकिन चुनाव पहले स्थगित कर दिये गये थे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैदान में तो पता लगता ही है। एक बार नहीं

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

अनेकों बार चुनाव स्थगित कराये जाते हैं इससे पता चलता है कि बेईमानी कहां छिपी हुई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चुनाव स्थगित कराने के लिए इधर के लोग भी पहुँचते हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आप एक डेफिनेट पॉलिसी क्यों नहीं बनाते हैं ? गड़बड़ करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल

श्री मदनसिंह (दाँता रामगढ़) : इसमें नंबर किसका ज्यादा आता है हमारा या आपका ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपके खिलाफ मुझे बड़ी सख्त शिकायत है क्योंकि आप ही ज्यादा आते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर-सिटी) : क्या भीलवाड़ा के बारे में अभी कोई नया कदम उठाया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष : It is a separate question.

श्री गिरधारीलाल।

सूरतगढ़ में सन् १६५७-५८ में एक साला जमीन का अलॉटमेन्ट

६६. श्री गिरधारीलाल (नोखा) : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) सन् १६५७-५८ में सूरतगढ़ में एक साला जमीन किन किन व्यक्तियों को कितनी कितनी अलॉट की गई ?

(२) क्या यह सही है कि एक साला जमीन हरिजनों को बहुत कम अलॉट की गई ? अगर हां, तो क्यों और क्या सरकार इसकी इन्क्वायरी कराने का इरादा रखती है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : इसका जवाब राजस्व मंत्रीजी अगली तारीख को देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : As it pertains to his portfolio.

रावराजा श्री सरदारसिंह।

उनियारा में टाउन म्युनिसिपेलिटी द्वारा सड़क निर्माण कार्य

१०१. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सही है कि उनियारा टाउन म्युनिसिपेलिटी ने कस्बे में सड़क का काम जारी कर रखा था ? अगर हां, तो वह काम कितना हो चुका है ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़क का चालू काम एडमिनिस्ट्रेटर ने बन्द करवा दिया ? अगर हां, तो कब और क्यों ?

(३) क्या उपरोक्त सड़क तामीर कराने से पहले म्युनिसिपेलिटी द्वारा टेक्निकल राय ले ली गई थी ? अगर हां, तो क्या वह सड़क उस राय के मुताबिक तैयार हो रही थी ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां, यह काम २,२१० वर्ग फीट हो चुका है।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(२) जी नहीं, ठेकेदार ने सड़क का कार्य टीक नहीं किया और उसे टीक तरह से करने के लिए सूचना देने पर उसने इस्तीफा पेश कर दिया। इस प्रकार यह कार्य बन्द हो गया।

(३) जी हाँ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या इस सड़क का अब दूसरा टेन्डर इन्वाइट किया गया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह सूचना मेरे पास नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कितना काम हुआ और कब बन्द हुआ, इस बारे में आपके पास क्या सूचना है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : स्पेसिफिक प्रश्न पूछते तो सूचना देता।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या ठेकेदार की डिपोजिट जब्त करली गई है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : टेन्डर की शर्तों की खिलाफवर्जी की है तो सब कुछ किया जायेगा।

मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : यह म्युनिसिपेलिटी का काम है। गवर्नमेन्ट ने ठेका थोड़े ही दिया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इस सड़क को बन्द करने का कारण यह नहीं है कि ठेकेदार ने काम नहीं किया। इसका आधार कुछ और है। टेक्निकल राय ली गई या नहीं, यह बतलाइये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : भाग (३) के उत्तर में 'जी हाँ' कहा है। काम ठीक नहीं किया इसलिये बन्द किया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

झुंझुनू जिले के सहकारी भंडार

१०२. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या मंत्री सहकारी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) झुंझुनू जिले में कितने सहकारी भंडार हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त सहकारी भंडारों में से अधिकांश को विद्यार्थी भवन, झुंझुनू को ३०० रू० चन्दे का देना पड़ा है ?

(ग) क्या यह सही हैं कि इस सम्बन्ध में आडिट ऑब्जेक्शन हुए हैं ?

उप-मंत्री, सहकारी (श्री दौलतराम सारण) : (क) २७.

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : किसी सहकारी भंडार की जांच करने के बाद क्या इस प्रकार का ऑडिट ऑब्जेक्शन नहीं हुआ ?

श्री दौलतराम सारण : यह प्रश्न आपने पूछा नहीं। सवाल सन् '५० से पहले का है। उस समय जयपुर राज्य अधिनियम के अंडर में का प्रश्न है।

Page No.26

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अधिकांश को नहीं देना पड़ा But how many have been paid ?

मंत्री, सहकारी (श्री नाथूराम मिर्धा) : जितनों का दिया उनको दे दिया ।

श्री पी० के० चौधरी : When you said that majority has not been paid then it implies that some of them have deen paid.

श्री नाथूराम मिर्धा : दो तीन को दिया है ।

श्री पी० के० चौधरी : नाम बताइये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इससे क्या फर्क पड़ेगा ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या रकम सरकार से इसलिये मिली थी कि सरकार को चन्दा दिया जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण वर्मा ।

(अनुपस्थित)

श्री ज्ञानचन्द मोदी ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व का प्रश्न

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Mr. Deputy Speaker, sir, I want to call attention to a matter of urgent public importance under Rule 131. I have received a wire yesterdaya nda message today that the Gate erection workers working at Kota Barrage have gone on strike from yesterday. They have imported from Tungbhadra about 180 workers. They have not yet taken the work of the broken gate erection and if they don't complete it, after August, or September, we will not be able to do it. Shri R. Swami has been transferred from there.....

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : On a pint of order, Sir According to rule 131—'A member may, with the previous permission of the Speaker, call the attention of a Minister to any matter of urgent public importance and the Minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date......

श्री उपाध्यक्ष : Thisis what I was suggesting. We have sent a copy of it to the Government.......

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : But, Sir, how does it concern the Hon'ble Member ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : We should look to the rules.

श्री उपाध्यक्ष : We have sent a copy to the Government.

श्री पी० के० चौधरी : Conciliation proceedings have failed and if nothing is done immediately, rest of the workers are also likely to go on strike and then the entire project will be put back to one year. I will, therefore, request the Hon'ble Minister to enquire into the matter and take immediate steps.

११. ५८ म० पू०

राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १६५८

(प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक को विचारार्थ लिये जाने के प्रस्ताव पर वादविवाद)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा कल बोल रहे थे । आप आगे कुछ कहें उससे पूर्व मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रश्न पर वादविवाद आज भी आरम्भ रहेगा और कल ५ बजे तक आरम्भ रहेगा, इस प्रश्न को इस आसन के विवेक पर छोड़ दिया है । मैं नम्र निवेदन यह करना चाहता हूँ कि जो भाषण माननीय सदस्य दें वह कुछ संक्षेप में हो तो समयानुसार वाद-विवाद समाप्त कर सकेंगे ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष, कल मैं इस बिल के बाबत में दो, चार बातें कह चुका था और मैंने यह बतलाने की कोशिश की कि भारतवर्ष के कई प्रान्तों ने और स्टेट्स ने इस बिल के बाबत अलग अलग राय दी है । आन्ध्र में जब यह सीलिंग का बिल लाया गया था उस समय आन्ध्र के माल मंत्री ने इस मूलभूत बात को बिल के उद्देश्य और कारण में लिखा था और बिल के पहले उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें कहा था कि मेरी मंशा या भावना इस बिल को पास कराने में यह है कि ग्रामीणों के बीच में जो आर्थिक असमानता है उसको कम किया जाय । यानि विषमता को मिटाने का उनका उद्देश्य था और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हम इस समाजवाद के लक्ष्य को समानता से आँकते हैं और व्यक्ति के मूल्य को केवल बौद्धिक स्तर पर ही नहीं रखना चाहते हैं बल्कि यह चाहते हैं कि आचारण और कार्य में भी इसे लाना चाहते हैं और इसी के आधार पर हमें काम करना चाहिये । हमारे माल मंत्रीजी ने अपने भाषण में सारी बातों को साफ कर दिया था । मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने यह कहा था कि वे किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते हैं । यदि बीज चाहता है कि मैं नष्ट नहीं होऊँ और वृक्ष पैदा हो जाय तो यह असंभव है । यदि सीलिंग के बारे में इस प्रकार का भाषण माल मंत्रीजी दें और गौरव करें कि वे क्रान्तिकारी कदम उठा रहे हैं ? लेकिन क्रान्तिकारी कदम उठाना है तो समाजवाद का जो नकशा हिंदुस्तान में कांग्रेस ने बनाया है उसको बदलना होगा । सीलिंग का जो कानून हम बनाने जा रहे हैं उसमें ३० एकड़ जमीन पर सीलिंग करना

Page No.28

(श्री मूलचन्द डागा)

मौजूद रखा गया है। अब आपके कहने से यह मालूम होता है कि १६ एकड़ का एवरेज हमारे यहाँ है वहाँ पर हम ३० एकड़ देना चाहते हैं तो यह एक ऐसी भावना है जिसको हम मिटा नहीं सकते। एक बात जरूर है और वह बात यह है कि पहले प्लेटो ने कहा था कि न्याय क्या है, न्याय संपत्तिशाली व्यक्तियों के हाथ में ताकत है। यह न्याय संपत्तिशालियों के हाथ में नहीं होना चाहिये। दूसरी ओर १६ अगस्त को डीसेन्ट्रेलाइजेशन का बिल सदन के सामने आनेवाला है। श्री बलवन्तराय मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हिन्दुस्तान में यह दुर्भाग्य की बात है कि पंचायतों जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं के सरपंच और उप-सरपंच के स्थान पर धनाढ्य लोग आते हैं। इसका कारण यह है कि आपने ग्रामीणों की आर्थिक व्यवस्था को अपने हाथ में रखा है जिसके कारण से पंचायतों के सरपंच और उप-सरपंच धनी-मानी लोग बनते हैं या वे लोग बनते हैं जिनके पास एफिशियेन्टली मेनेज्ड फार्म हैं या काफी जमीन है। तो आप चाहते हैं प्रजातंत्र और लोकतन्त्र कायम करना, जिसकी आप दुहाई देते हैं और उसमें पूँजीपति और धनवान बना रहे हैं? जिस बलवन्त राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट का आप गुणगान कररहे हैं, जिसका मुख्य मंत्रीजी प्रचार कर रहे हैं और कहते हैं कि हम प्रजातंत्र,लोक तन्त्रको कायम करना चाहते हैं, लेकिन जो आपका तरीका है उससे आप आर्थिक असमानता कायम रखते हैं। ऐसी अवस्था में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता, हमारा यह प्रजातंत्र, लोक राज्य, जनतंत्र फेल होगा, हम उसमें अनुत्तीर्ण होंगे। कारण, यह वांछनीय नहीं है कि प्लेटो के सिद्धान्त को मानें कि शक्तिशालियों का राज्य रहे। आज लोगों की इच्छा का कानूनहो, उसमें लोगों की भावना रहनी चाहिए। मैं नहीं मान सकता कि हिन्दुस्तान और राजस्थान में उन खेतीहर मजदूरों की भावनाओं की कद्र करके आपने सीलिंग रखी है। अगर रखी है तो मैं मुबारकबाद दे सकता हूँ। लेकिन मैंने सुने हैं सारे भाषण। कई माननीय सदस्यों ने कहा है। यह सीलिंग का बिल कोई क्रान्तिकारी नहीं है और न असमानता को कम करनेवाला है। आप चाहते हैं असमानता न मिटाई जाय और ये पंचायतें बनी रहें, एफीशियेन्टली मैनेज्ड फार्म बने रहें। आपने इसमें एक्जेम्प्शन रखे हैं। प्रेसक्राइब्ड शब्द रखा है जगह-जगह। यह बहुत खतरनाक शब्द है। कई लोग कहते हैं कि अनइकॉनोमिक होल्डिंग नहीं करनी चाहिए और फ्रेगमेन्टेशन के खिलाफ हैं। मैं उदाहरण दूं, आपने जापान के कई उदाहरण कोट किये हैं। हमारे कृषि मंत्री अच्छे फर्टीलाइजर की तारीफ करते हैं और अच्छे फर्टीलाइजर देना चाहते हैं और एक बीघे में बहुत धान पैदा करना चाहते हैं। क्या आपने मालूम किया कि जापान में एक एकड़ में ७५ मन पैदा किया है। जापान और चीन में लोगों ने अपनी एक एक बाल्टी से दूर से पानी लाकर अपने खेत को सींच कर जमीन को उपजाऊ बना दिया और उसमें धान उगाना शुरू किया तो लोगों ने महसूस किया कि फ्रेगमेन्टेशन में, छोटी छोटी इकाई में अपनी मेहनत लगा कर, अपने हाथ पैर लगा कर, अपना दिल और दिमाग लगा कर ज्यादा धान पैदा कर सकते हैं। आपने इसीलिए आन्दोलन किया कि हम अच्छे बीज देना चाहते हैं और अच्छे फर्टीलाइजर देना चाहते हैं।

Page No.29

(श्री मूलचन्द डागा)

एकड़ जमीन को स्टेन्डर्ड जमीन बताते हैं, इससे आप खेतीहर मजदूरों की समस्या को हल नहीं करना चाहते। क्योंकि आप जानते हैं कि हम कुछ वोट देनेवाले होते हैं और वे वोट पूंजीपतियों के हाथ में रहते हैं। उनकी इच्छाओं के आधार पर, या किसी क्षेत्र विशेष के आधार पर हमारे माल मंत्री-जी एक कानून पेश करते हैं जिसे मैं क्रान्तिकारी कानून नहीं कह सकता। राजस्थान में भूमि कितने एकड़ है, यह बतायें, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि लाखों लोग बेकार हैं, बेकारों की सेना तैयार हो रही है। लोग कहरहे हैं कि इनसोलवेन्सी पिटीशन की संख्या आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में देखिये; इनसोलवेन्सी दिवाले की दरख्वास्तें उन काश्तकारों ने दी हैं जिनके पास साधन नहीं हैं क्योंकि आपने उनके लिए एक एकड़ से भी कम जमीन बतलाई है। मैं पूछता हूँ कि ३० एकड़ जमीन के हिसाब से जमीन का बँटवारा करने के बाद कितनी जमीन इन खेतीहर मजदूरों को देना चाहते हैं ? आपने ३० एकड़ किस आधार पर रखा है ? एक एकड़ का क्या आधार है, यह बिल जिन्होंने पेश किया है, उनके दिमाग में यह नकशा है या नहीं ? उन्हें जानना चाहिए कि यह बात बहुत जरूरी है। आप कनाडा, में देखिये, फ्रांस में देखिये, न्यूजीलैंड में देखिये, वहां पर फेमिली फार्मिंग करनी चाहिए, उन्होंने इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि अमेरिका जैसे मुल्क में जमीन काफी मात्रा में है और वहाँ पर लेबर बहुत कम मिलता है। उन्होंने नकशे को देखा, वहाँ लेबर की कमी होने के कारण ट्रेक्टर काम में लाया जाता है। लेकिन अमेरिका और हिन्दुस्तान में बहुत फर्क है ! अमेरिका में ट्रेक्टर को काम में लाकर जमीन में ज्यादा धान पैदा करना शुरू किया क्योंकि अमेरिका में लेबर बहुत कम मिलता है। लेकिन हिन्दुस्तान में काफी खेतीहर मजदूर हैं, जिनके रोजगार बन्द हो चुके हैं, जो बेकार हो चुके हैं, यह सवाल है। आप देखिये कि डेनमार्क और जर्मनी में क्या हुआ? उन्होंने बगीचे लगाये और उनमें फल और अनाज पैदा किया, उन्होंने सोचा। इससे हर आदमी अपना कर्तव्य समझता है, वह कुछ अपने आपके लिए करता है। आपने यू. पी. में जमीन देकर देखा। जमीदारों को जमीन दी। हम उन्हें बरदास्त नहीं कर सकते। समाजवाद में हम इस चीज का बहिष्कार करते हैं, निरादार की दृष्टि से देखते हैं। वे लोग आज आपकी देख रेख में पूंजी के बल पर दौलत कमाने के लिए बैठे रहें और उनका हाथ हल की मूठ पर न पड़े और फिर आप समाजवाद कायम करना चाहते हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, यह दुःख की बात है। यह तस्वीर होगी राजस्थान की। जो कि हमेशा से एक गौरवशाली प्रान्त कहलाता है, जिसकी पुरानी गाथाओं का हम वर्णन करते हैं। उसका अब इस प्रकार की गाथाओं से वर्णन किया जायेगा। हम मान चुके हैं कि बढ़े हुए देश, जो अच्छे बढ़े हुए देश हैं, जर्मनी डेनमार्क, फ्रांस, न्यूजीलैंड, उन्होंने सोचा, फेमिली फार्मिंग छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों के आधार पर होनी चाहिए। ताकि हर आदमी अपना मूल्य स्थापित कर सके। मैंने एक बार पहले भी इस ओर ध्यान दिलाया था कि हमारे समावजाद का सिद्धान्त है वह बौद्धिक स्तर तक सीमित नहीं होना चाहिये उसे हमें बौद्धिक स्तर तक सीमित न रख कर कार्य रूप में परिणित करना चाहिए। हमारा फर्ज होता है की मजदूरों की संख्या में हम कमी

(श्री मूलचन्द डागा)

करें। इसलिए मेरा पहला प्रश्न है, वह यह है। जो सीलिंग के मामले में रिपोर्ट पहली दी थी उसमें आपने कहा था और बतलाया था कि हम राजस्थान में केवल १६·२ एकड़ जमीन एवरेज के तौर पर रखेंगे। यह मेरी समझ में नहीं आया। मैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर की बात सुनता हूँ। वे कहते हैं कि १५ एकड़ जमीन में हम इतना धान पैदा कर सकते हैं। जब वे १५ एकड़ जमीन में इतना धान पैदा करते हैं, और आप कहते हैं कि यह अनइकॉनोमिक होल्डिंग होगी, ३० एकड़ से कम होगी। प्रवर समिति की रिपोर्ट में लिखा है : समिति ने ऐसे ३० स्टेन्डर्ड एकड़ के साधारण ३० एकड़ से कम होने और इस प्रकार खाते के आकार को काफी हद तक घटा देने की सम्भावना पर भी विचार किया है। अतः समिति ने यहां यह भी उपबन्धित करना तय किया है कि कोई सीलिंग एरिया ३० साधारण एकड़ भूमि से कम नहीं होगा।" मैं समझता हूँ कि जो जमीन उपजाऊ है। उसके लिए मेरा सवाल है कि आप ३० एकड़ क्यों रखना चाहते हैं ? यह सिद्धांत अवांछनीय मालूम होता है और जिस रूप में आप चाहते हैं, उससे समाजवाद के आंदोलन को सफल नहीं कर सकते। यह सिद्धान्त समाजवाद की ओर नहीं है।

दूसरी बात बतलाई मार्केट वेल्यू की। मैं नहीं समझ पाया कि आपने जब पहली रिपोर्ट में दिया था और यह कहा था कि हमने मार्केट वेल्यू का सवाल उठाया, लैंड एक्वीजीशन प्रोब्लम का। मैं समझ नहीं पाया कि आप मार्केट वेल्यू किस आधार से देते हैं और फिर इसका अधिकार देते हैं एस. डी. ओ. को ? इसका मतलब यह हुआ कि जमीन के मामले में जिसकी नॉलेज मुमकिन नहीं है उसको यह सौंपना चाहते हैं। आज करप्सन और भ्रष्टाचार के लिए आप जानते हैं कि आपका नोकर वर्ग बदनाम हो चुका है। आपने लिखा है :—

"The rates of compensation and the method of calculation laid down in the Rajasthan Tenancy Act for payment of compensation to land holders for acquisition of khudkasht rights be adopted for calculating the compensation to be paid to the persons from whom land in excess of the ceiling is resumed." लेकिन जो मार्केट वेल्यू की, लैंड एक्वीजीशन की बात आपने सोची वह मेरी समझ में नहीं आई कि जमीदारों को मुआवजा दिया, बिश्वेदार को मुआवजा दिया तो क्या यह मार्केट वेल्यू का सवाल था ? सवाल यह था कि जो लगान है उस लगान के आधार पर दिया जाय। मैं समझता हूं कि जिन लोगों की आप जमीन लेना चाहते हैं, उसके लिए जो आप खर्चा बढ़ाना चाहते हैं, जिस रूप में मार्केट वेल्यू के हिसाब को आपने शुरू किया है, यह आपके खजाने पर एक तरीके का बोझ है। मैं समझ चुका हूं कि किसानों की हालत क्या हो चुकी है। पहले उन्हें सेटलमेंट में फांसा गया फिर चकबन्दी के चक्कर में खींचा गया। उसके बाद क्रान्तिकारी कानून के आधार पर आचरण हो रहा है। उसके लिए अब बतलाया है कि हम अनइकॉनोमिक होल्डिंग को बदलना चाहते हैं, इसके लिए मुआवजा दिलाना चाहते हैं और उसके लिए एक तरीका निकाला गया मार्केट वेल्यू का। इस मार्केट वेल्यू की बात में कई चीजें काम करती हैं। उसके लिए परपज की जरूरत होती है,

Page No.31

(श्री मूलचन्द डागा)

लीगल पर्पज की जरूरत होती है और आखिर में डिस्क्रीशन काम करता है। आपके पास रेट्स फिक्सड हैं। आपने रेट्स मुकर्रर कर दी, हैं। उसको बढ़ा सकते हैं लेकिन आपने उचित न समझा है। यह आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपने फार्म्स की बाबत कहा है कि इन प्रेस्काइब्ड मेनर, भगवान् ही जाने' आपके दिमाग में क्या है ? आप केवल कानून पास करना चाहते हैं और देखते हैं कि सीलिंग का कानून पास करें और कल सारे पत्रों में आये कि राजस्थान में सीलिंग का कानून पास हो गया। पर आपने मजदूरों और किसानों की मंशा की कद्र नहीं की मजदूरों और किसानों का इससे कैसे भला होगा, यह एक ऐसा सवाल है जिसका आनेवाला समय ही जवाब देगा। आप इस चीज को रखना चाहते हैं कि जो उस जमीन की मार्केट वेल्यू है वह दी जाय। मुआवजा देने का यह तरीका गलत है।

एक बड़ा सवाल है लोगों के दिमाग में और हमारे भी कि को-ऑपरेटिव फार्मिंग में जमीनें देनी चाहिये और यह कानूनी लागू नहीं करना चाहिए। पर को-ऑपरेटिव संघों में यह होगा कि १०, १२ आदमियों की सहकारी समिति बन जाती है और उनमें सब एक सा दिल तोड़ कर मेहनत करनेवाले लोग नहीं हैं। सब लोग एक दिल नहीं हों तब तक हम अपने उद्देश्य में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते।

मैंने ३ बातें रखी हैं, एक तो मार्केट वेल्यू की, दूसरी ३० एकड़ की और तीसरा फार्मिंग का सवाल। फार्म का सवाल, यह तीनों चीजें समाजवाद के आधार पर जो हमने नकशा बनाया है उसके अनुकूल नहीं है। ५२-५३ से सीलिंग कमेटी का काम चल रहा है। ६ साल बाद यहां बिल पेश हुआ। सलेक्ट कमेटी में गया। हकीम अगर सोचता ही रहता है तो बीमार मर जाता है। माल मंत्री ने सोचते सोचते यह दवा निकाली है कि जिससे किसी भी किसान को आशा नहीं है कि हमें जमीन मिल सकेगी।

(हंसी)

जिस रूप में हम सोच रहे हैं वह दायरा ऐसा है कि हम गहरे रूप में नहीं सोच पाये हैं। मतों के आधार पर बिल बनाते हैं तो हम उस पर और गहरा विचार करना चाहिये। मार्केट वेल्यू को हटा देना चाहिये, एक्सेप्शन्स जो मेकेनाइज्ड फार्म्स वगैरह के रखे हैं बहुत कम रखने चाहिये बल्कि बिल्कुल ही हटा देने चाहिये। तभी सही रूप में काम कर सकेंगे नहीं तो जमाना बतायेगा कि हमें फिर उतनी ही तकलीफें उठानी पड़ेगी जिस प्रकार कि टिनेन्सी एक्ट में अनेकों संशोधन करने पड़े और हमें दिक्कतें उठानी पड़ी हैं।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : राजा श्री मानसिंह !

राजा श्री मानसिंह (बैर) : Mr. Deputy Speaker, Sir, before going into the details of this Bill, I feel we should run over the aims and objects of this Bill. The aims and objects which, I feel, the Government wish to provide by introducing this legislation, are to provide land to the landless, to establish a socialistic pattern of society and to

Page No.32

(राजा श्री मानसिंह)

increase food production. What we have to decide is whether these aims or any of them, desirable or not, can be achieved by any other method or not ?

From the figures that I have taken from ths book 'Basic Statistics' given to us in 1958, I feel that if all the un-cultivated land that is lying fallow in Rajasthan is distributed to the landless agriculturiste, there is no need of any ceilings in Rajasthan....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : Including land in Jaisalmer ?

राजा श्री मानसिंह : From the book of Statistics, Sir, we see that the urban population in Rajasthan is 29,55,000 persons and the rural population is 1,30,16,000 persons. Of this rural population, Sir, roughly 66 lakhs cultivate their own land and 35 lakhs cultivate the land belonging to others. These figures exclude the women and children who do not work on the land. The area of Rajasthan is 8,44,49,000 acres. Out of these, in the year 1956-57, the sown area was 3,07,02,000 acres and fallow land remained at 1,37,36,000 acres. Land not available for cultivation was 1,48,32,000 acres and other un-cultivated land excluding fallow land was 2,16,26,000 acres. Forest comprise 35,53,000 acres. It seems from what the Hon'ble. Leader of the House remarked that the area not sown is not suitable for cultivation.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I am sorry, I have not said that. Please don't put words in my mouth.

राजा श्रीमानसिंह : From the figures that have been given to us, it is seen that in the year 1956-57 there was an increase of sown area of 24 lakh acres. This increase in cultivation was brought about in this way. 10 lakh acres of fallow land were cultivated. One lakh acres of other uncultivated land, excluding fallow, was sown and 13 lakh acres of land classified as not available for cultivation was also sown. If the figures of the fallow land and the uncultivated land are combined, we get 3,53,62,000 acres available to us which can be distributed among the 35 lakh landless agriculturists.

श्री अमृतलाल यादव (जालोर-सु) : What is the position in Bharatpur district ?

राजा श्री मानसिंह : You ask for that from your own party man.

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : How much of these acres are in desert ?

राजा श्री मानसिंह: They are not given in the book.

35 lakh agriculturists can, I think, be divided in 7 lakh families, which

Page No.33

(राजा श्री मानसिंह)

means that if this vast area of land is divided among 7 lakh families, each family would receive more than 30 acres of land. In addition to this, Sir, the land that is classified as 'not available for cultivation.' may be, it is desert, may be it is rocky ground or urban area, is also available to the extent of 1,48,32,000 acres. I mention this because previously I said that 13 lakh acres of this land classified as 'not available for cultivation' was sown in the year 1956-57.

The Govetnment should first undertake to distribute this fallow and un-cultivated land among the landless before bringing in this legislation. On the other hand, Sir, we have been given no statistics by the Government as to how much land after this legislation will be available for distribution to the landless and how many families will be benefited and how many will be rehabilitated. Let the Government calculate it and consider the propriety of this measure before the time of the House is wasted. The Tenancy Act provides that no person may acquire land beyond a certain limit. Then the succession is itself a ceiling on the present holdings.

In this Bill, Sir, no consideration has been given to the future of the holdings that they would be further sub-divided by the rural inhabitants.

On the question of the increase in food production, I would like to have the expert opinion of our Agriculture Department and I would like to know, Sir, what the technical persons think is the ideal minimum holding for the establishment of an efficiently managed farm, considering of course the rotation of crops, maintenance of livestock and improvement regarding the methods of cultivation. The Government has not taken any of these factors into consideration and they are pressing the ceilings in relation of limiting the income only. The need of the hour is to increase the income and food production. The Select Committee itself were of this opinion and I should like to quote from its report Sir:—

"In the opinion of the Committee, the method adopted for the purpose has not been a scientific one and also the figure of income adopted for the purpose does not appear to be reasonable. The Committee are, therefore, of the feeling that some scientific, equitable and reasonable formula should be adopted for fixing the ceiling."

I agree with this, Sir, but even after expressing this opinion the Committee has Committed an error by suggesting ceiling again based on limitation of income. What is the reason, Sir, that both the Goverment and the Select Committee has set aside the basic

(राजा श्री मानसिंह)

need of the day which is improvement of agriculture. The President of India, Dr. Rajendra Prasad recently expressed his opinion that if the supreme importance of achieving self-sufficiency in food was accepted then land reforms and the establishment of Socialistic pattern of Society would have to wait for the time being. Inspite of these words of our President, why the Government is hastening in passing this legislation ? There is gross misuse of powers by the Government in trying to limit the incomes of farmers when they have no contemplation what so ever of limiting the income of capitalists and urban business community. Till recently they used to term the capitalists as black-marketers and now they seek their support. Reason for this, Sir, is well known to us in this House and to the people. In my opinion, the Bill is ridiculous. There is no scientific approach to the problem and I feel that it is only a political stunt for the future elections. To prove my ground, Sir, I would like to quote from the Bill: "30 C. Extent of Ceiling area- The ceiling area for a family consisting of five or less than five members shall be 30 standard acres of land,"

There is no consideration for the future addition to the strength of the family. Strenth of the family has been mentioned on a particular date and there is no consideration about the increase or decrease in the family in future through marriages, births, deaths and migration. It is quite obvious to me, Sir, that those inefficient farmers who breed like rabbits will get advantage over those efficient farmers who limit their families in the interest of the country.

In the framing of laws, Sir, we should see that the laws that we make are clear and definite so that even a layman may assess his position. But the Select Committee has suggested that there shall be a standard acre and standard acre has been defined as "A standard acre' shall mean the area of land which, with reference to its productive capacity, situation, soil classification and other prescribed particulars, is found in the prescribed manner to be likely to yield 10 maunds of wheat yearly."

It is quite obvious, Sir, that the farmers in this respect will be at the mercy of Patwaries, Girdawars, Tehsildars and other Revenue Officers and this will open an avenue of further corruption. Under Section 30 D, Sir, certain transactions before or after certain dates are to be made null and void because the Government feels that these transactions were made in anticipation of this Act. The principal Bill provided that any transfer made within 3 years before the commencement of this Act shall be null and void; and the Select Committee has recommended that any transaction that has taken place after 1st January, 1957, in certain

(राजा श्री मानसिंह)

cases, should be made null and void. What is the reason for this, Sir ? How can anyone say, that people have anticipated this Bill when this Bill itself was only introduced in this House on the 24th october, 1958 ? This provision will create chaos. It is bound to increase the litigation and harassment of the farmers. Therefore, I suggest that this provision should be deleted. This section further provides that the transactions made in favour of a member of family of such persons or in favour of other relation or friend shall also be void. This has no Constitutional or legal bearing. It is entirely mischievious. Landless agriculturist becomes disqualified by virtue of relationship or friendship with a person having excessive land. from this prejudiced attitude of the Government, Sir, I feel that the Government wish to distribute this land, which they want to collect. to their own relations, friends and party men. The real purpose of this Bill is to see that the farmer may never be in a position to take active part in the Government of his country. Hence the result of this Bill will be to kill the incentive and initiative of the farmer with regard to agriculture. Therefore, I strongly oppose the whole Bill.

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे सामने राजस्थान टिनेन्सी अमेंडमेन्ट बिल की सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट विचारार्थ है । इस रिपोर्ट के द्वारा तथा इसके पहले सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट तथा बिल जो हमारे सामने पेश हुआ था और उनके साथ साथ इस सदन में जिन महानुभावों के भाषण हुए हैं उनमें से हम मुख्य रूप से चार बातें इस सारे बिल को ऐनेलाइज़ करने के लिए पाते हैं । सबका दृष्टिकोण एक बात की ओर जाता है कि हम सीलिंग के बारे में कोई सिद्धान्त स्वीकार करें । उसमें आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक इस प्रकार के चार दृष्टिकोण को रख कर उसके बारे में किस प्रकार का निर्णय लिया जाय ? मैं इस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, ऐसा समझता हूँ कि हमारे सामने जो सीलिंग कमेटी की रिपोट पेश हुई थी उसको यदि दो भागों में बाँटा जाय तो एक भाग वह है जिसके केवल इकोनोमिक दृष्टि से कुछ विचार हमको इस रिपोर्ट में मिलते हैं और दूसरा भाग वह है जिसमें कुछ इकोनोमिक बेसिस भी है लेकिन अधिक सेन्टीमेन्टल बेसिस है । इन दो भागों में बाँटने के लिए एक दृष्टिकोण हमें मिलता है इस कमेटी के एक सदस्य श्री अल्ताफ हुस्सेन खेरी के ओब्जरवेशन्स से । राजस्थान रेवेन्यू विभाग के एक जानकार व्यक्ति ने इस कमेटी के सामने जिस प्रकार के ओब्जरवेशन्स रखे हैं उसके आधार पर ऐसा लगता है कि उन महानुभावों ने राजस्थान के इकोनोमिक दृष्टिकोण को सामने रख कर सीलिंग किस प्रकार लागू की जाय, कब की जाय, किस आधार पर लागू की जाय, उस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं । एक सर्विस क्लास के व्यक्ति से यह बात एक्स्पेक्ट की जा सकती है कि देश की आर्थिक दृष्टि को सामने रख कर इस प्रकार के विचार कमेटी के सामने प्रस्तुत करे । लेकिन उस रिपोर्ट के साथ साथ जो दूसरी बातें हमको देखने को

Page No.36

(श्री भैरोंसिंह)

मिली हैं जिसमें दोनों बातें है। यह कहना चाहिये कि आर्थिक दृष्टिकोण रख दिया है लेकिन उसके साथ साथ भावुकता का ज्यादा दृष्टिकोण रखा है, यह देखने को मिलता है। भावुकता किस अंश में, किस प्रकार है, इसकी डिटेल्स में जाने की बात थोड़ी देर बाद अर्ज की जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ केवल इतना कह सकता हूँ कि हमारे देश में सीलिंग के नाम पर एक कुछ इस प्रकार का एलीमेन्ट हवा पैदा करता जा रहा है, एक प्रकार का, वातावरण बनाया जा रहा है और यदि सीलिंग के बारे में कोई एक बात कही जाय विरोध में कही जाय तो वह रिएक्सनरी है, कोई सीलिंग के बारे में सुझाव देता है, अधिक सीलिंग के बारे में बात करता है, वह भी रिएक्सनरी है। सीलिंग के बारे में कोई बात आज के नीति निर्माताओं के बारे में कुछ कहें तो दो शब्द ढूंढ कर निकाल रखें और उन्हीं से आभूषित किया जाता है।

एक माननीय सदस्य : गलत थोड़े है।

श्री भैरोंसिंह : आप जैसों के लिए नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज हमारे देश में इसकी दौड़ लगी हुई है और हमारे प्रोविन्सेज इसमें भाग लेते हैं। सब इस ताक में हैं, यू. पी पंजाब, मध्यप्रदेश आगे बढ़ते हैं तो कौनसा प्रदेश आगे बढ़ता है और बढ़ रहा है। इस दिशा को आगे रख कर जिस प्रकार कम्पीटिशन चल रहा है, हमारे देश के लिए, मैं समझता हूँ, इकोनोमिक दृष्टिकोण से, यह हितकर नहीं हो सकता है। खैर, यह कम्पीटिशन चल रहा है। यहाँ सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट बिल के रूप में पेश की गई और सिलेक्ट कमेटी को वह बिल रेफर किया गया जिस तत्व की पूर्णतया कमी थी, वह पूर्णतया प्रभावित होकर उसने असर बताया। सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट को देखें तो वह कुछ भावुकता के आधार पर है और ऐसी सीमाएँ निर्धारित नहीं की हैं जो देश के किसानों के लिए लाभदायक हो सकती थीं। लेकिन कुछ सीमाएँ निर्धारित की हैं और कानून लाने की चेष्टा की है। लेकिन जब यह सिलेक्ट कमेटी के सामने आई तो मैं रेस्पेक्ट के साथ कह सकता हूँ कि सीलिंग कमेटी में राजनैतिक तत्व ज्यादा कम कर दिये और सिलेक्ट कमेटी ने जो परिवर्तन किये हैं उसको देखें तो यह स्पष्ट रूप से पता लगता है कि वहाँ राजनैतिक तत्वों ने ज्यादा काम किया है और इस प्रकार किया है कि सीलिंग के अर्थ को ही खत्म कर दिया है। ये बातें ऐसी हैं.......

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : I think the Select Committee had the cooperation of an Hon'ble Member from Jan Sangh who has not given any note of dissent. Therofere, he connived more in the framing of this Bill.

श्री उपाध्यक्ष : The observations are equally applicable to him as well?

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : Point of order Sir, if he was a Member of the Select Committee, he had his chance to speak there.

श्री भैरोंसिंह : I will request the Hon' ble Member to be more attentive when he sits in the House.

Page No.37

श्री ज्वालाप्रसाद : I want your ruling about it Sir. The Select Committee members.........

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : I understand the point of order raised by you- But the Hon'ble Member is not a member of the Select Committee.

श्री भैरोंसिंह : He wants a ruling whether a member should sit attentive or not. तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि अब यदि इस सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को देखा जाय तो इसमें तीन बातों की ओर सदन का ध्यान विशेष रूप से लेजाने की कोशिश करूँगा। पहली बात रखी है इस सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में कि हम एक स्टेन्डर्ड एकड़ निश्चित करेंगे और स्टेन्डर्ड एकड़ वह होगा जिसमें दस मन गेहूँ की पैदावार होती है और उसके आधार पर सीलिंग का एरिया प्रेस्क्राइब होने वाला है वह ३० एकड़ का होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सिद्धान्त को इस लाइट में स्वीकार कर के सिलेक्ट कमेटी में वास्तव में अच्छा काम हुआ है लेकिन उसके साथ सिलेक्ट कमेटी ने कुछ प्रोविजन्स रखे हैं। एक रखा है ट्रान्सफर्स के बारे में और उसके लिए लिखा है कि ट्रान्सफर्स सारे के सारे नल और वायड होंगे। कोनसे ट्रान्सफर्स?

"In favour of a member of the family or in favour of his other relations or friends" मैं समझता हूँ कि यदि इसको ठीक प्रकार से समझा जाय और इस लाइट में समझा जाय कि यह कोई कानून है या मज़ाक तो कोई कानूनदां आदमी कहेगा कि यह मज़ाक है। कोई कानून, कोई फ्रेन्ड, कोई रिलेटिव, किसी प्रकार का नियरेस्ट रिलेटिव, कोई परिभाषा नहीं देता है। इस कानून में सीधा ही कहते हैं कि इस प्रकार के ट्रान्सफर्स किसी रिलेटिव, किसी फ्रेन्ड के पक्ष में हुए होंगे तो नल और वायड होंगे। यह कौन स्पष्ट करेगा कि यह फ्रेन्ड है, या रिलेटिव है? यह करेगी सरकार और उसके सामने क्या माप दंड है दोस्त और दुश्मन को वह अब तक जो प्रेक्टिस रही है और जो अनुभव आया है उससे आसानी से कहा जा सकता है कि सरकार के दिमाग में जो दुश्मन नज़र आवेगा वह दुश्मन और दोस्त नज़र आवेगा वह दोस्त। लेकिन यहाँ विपरीत परिभाषा पाते हैं। यहाँ जो दुश्मन माना गया वह दोस्त और जो दोस्त माना गया वह दुश्मन हो गया। इस पर विचार नहीं किया गया। मैं सीलिंग का विरोधी नहीं हूँ। यह भी चाहता हूँ कि सीलिंग लगाई जाय और काश्तकारों के साथ न्याय किया जाय। इसके आने में जो देरी हुई है वह तो हुई है लेकिन अब भी जल्दी से जल्दी इसको पास किया जाय मैं इसका पक्षपाती हूँ। लेकिन कानून इतना स्पष्ट बनायें जिससे कि वह सरकार के डिस्क्रिशन पर न रहे, किसी पोलिटिकल बेसिस पर निर्णय न लिया जाय। इसकी परिभाषा से स्पष्ट विदित होता है कि सरकार जिससे पोलिटिकल दुश्मनी निकालना चाहेगी निकालेगी और जो उनकी निगाह में दोस्त है, उनको दोस्त मानते हुए पक्षपात करेगी। लेकिन यदि उसका कोई दुश्मन है और उसको यदि एग्जेम्पशन दिया जायगा तो कहा जायेगा कि यह तो जागीरदार का दोस्त है, सम्बन्धी है, उसने इसके नाम ट्रान्सफर कर दी है, उस व्यक्ति के पास जमीन नहीं रह सकती और उससे वापस ले ली जायगी। अब एक दूसरा प्रश्न फिर पैदा होता है। एग्जेम्पशन का। मैं उपाध्यक्ष महोदय, हमारी

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि एक्जेम्पशन्स के बारे में किसी प्रकार का कोई निर्णय लिया जाय उससे पहले यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की यह नीति है कि देश में जो बड़े बड़े फार्म्स हैं उनसे प्रोडक्शन कम होता है या स्माल फार्मिंग से देश का प्रोडक्शन बढ़ सकता है इस बारे में उसका क्या निर्णय है। दोनों में वह किसको ज्यादा लाभदायक मानती है। हमारी राजस्थान सरकार की ही नहीं भारत सरकार की इस बारे में नीति स्पष्ट है और वह चाहती है कि कलेक्टिव फार्मिंग और को-ऑपरेटिव फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाय। इसके लिए जगह जगह यह प्रचार किया जाता है कि छोटे फार्म्स हैं उनमें इनवेस्टमेंट ठीक प्रकार से नहीं होता इसलिए कलेक्टिव फार्मिंग किया जाना चाहिए और इस तरह से भारत सरकार को-ऑपरेटिव फार्मिंग की नीति को मानती है। को-ऑपरेटिव और कलेक्टिव फार्मिंग के लिए हमारी सरकार के एडवोकेट्स काश्तकारों के बीच में जाकर कहते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में खेती करने से पैदावार नहीं बढ़ती इसलिए को-ऑपरेटिव फार्मिंग बनाया जाय और उसके लिए लोगों को इनसिस्ट किया जाता है कि बड़े बड़े फार्म्स बनाये जाँय और ट्रैक्टर से और मशीनरी से खेती की जाय। इस तरह से देखा जाय तो हमारी भारत सरकार इनडायरेक्टली बड़े बड़े फार्म्स के पक्ष में है। जहाँ सीलिंग का सवाल आता है वहाँ आप यह कहते हैं कि बड़े बड़े फार्म्स से काम नहीं चलेगा, यह आप दबी जुबान से स्वीकार करते हैं कि वेल मेनेज्ड फार्म्स हों मेकेनाइज्ड कलटीवेशन हो उसको आपने इस बिल के द्वारा एक्जेम्पशन दिया है। तो इससे साफ मतलब निकलता है कि बड़े बड़े फार्म्स हैं उनको आप एबोलिश नहीं करेंगे। इससे सरकार के दिमाग में यह एक कल्पना है कि बड़े बड़े फार्म्स के ज़रिये ही प्रोडक्शन बढ़ता है और इस सिद्धान्त को वह स्वीकार भी करती है। ऐसी हालत में जहाँ हम सीलिंग लागू करने जा रहे हैं उसका मतलब यह है कि भूमि का वितरण इस प्रकार हो जिसमें एक दूसरे का एक्सप्लोइटेशन न हो। लेकिन हम इस कानून के जरिये डिसपेरिटी का निर्माण कर रहे हैं या यह इस बात का सबूत है कि इस बिल में यह स्पष्ट नहीं है कि आप किस चीज से प्रोडक्शन का बढ़ना मानते हैं, छोटे छोटे फार्म्स से या बड़े बड़े फार्म्स से। एक तरफ तो आप को-ऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं और दूसरी तरफ यह मानते हैं कि छोटे छोटे फार्म्स द्वारा प्रोडक्शन बढ़ता है। यह परस्पर विरोधी बातें हैं जो आप समाज के सामने, काश्तकारों के सामने रख कर आप उनमें केओस पैदा करना चाहते हैं ताकि काश्तकार अपना अस्तित्व ही भूल जाय। हमारी सरकार छोटे छोटे फार्म्स करके किसानों का खात्मा करने की तैयारी क्यों कर रही है। अगर मैं यह कहूं कि आज हमारे देश की सारी इकोनोमी कृषि पर मुनस्सर करती है। आज ही नहीं करती बल्कि हमेशा से करती चली आयी है इस संबन्ध में पुरानी कहावत है।

"उत्तम खेती मध्यम व्यापार और अधम चाकरी" सब से पवित्र धन्धा हमारे भारतवर्ष में खेती को माना गया है। केवल धन्धा ही नहीं समझा गया है बल्कि पवित्र माना गया है। और इसी पर सारी अर्थनीति की रचना की गई है। आज हमारे हिन्दुस्तान के नेता गण हिन्दुस्तान की जो पॉलिसी रही है उसको भूलाकर विदेशी लोगों की जो खेती संबन्धी पोलिसी है उसको अपना रही है। यह हमारी

(श्री भैरोंसिंह)

भारतीय इकोनोमी को खत्म करने जा रहे हैं। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि हमें इस बारे में कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। मैं समझता हूँ, अगर हम इस बारे में विदेशों से कुछ सबक लेना चाहें रूस में जाँय या चाइना का लिटरेचर देखें या अमेरिका का इस सम्बन्धी लिटरेचर देखें तो एक चीज़ हमारे सामने आती है और वह यह कि वहां पर बड़े बड़े फार्म्स को एप्रीसियेट किया गया है और वह भी प्रोडक्शन पाइन्ट ऑफ व्यू से। और यह सही है कि इसी के जरिये उन्होंने अपने देश की पैदावार बढ़ायी है। इसी बात को लेकर, इसी कृषि के प्रश्न को लेकर रूस के प्रधान मन्त्री को स्माल फार्मिंग और लार्ज स्केल फार्मिंग इस प्रश्न को लेकर अपने पद से जाना पड़ा था, यह सब को विदित है। एग्रीकलचर पॉलिसी में गलती होने के कारण हमारे देश में किस प्रकार गलत परिणाम निकल सकते हैं, यह देखने की चीज़ है। मैं इस बात को नहीं मानता कि लार्ज स्केल पर खेती करने से प्रोडक्शन बढ़ेगा और मैं सरकार से भी यही चाहता हूं कि वह इस बारे में स्पष्ट चित्र रखे। स्माल स्केल फार्मिंग से प्रोडक्सन बढ सकता है या लार्ज स्केल फार्मिंग से? अगर वह मानती है कि स्माल स्केल फार्मिंग से प्रोडक्शन बढ़ता है तो एक्जेम्पशन का जो सिद्धान्त है वह हटा दिया जाना चाहिये। उसमें मेकेनाइज्ड फार्मिंग को एक्जेम्पशन देने की आवश्यकता नहीं। स्माल स्केल फार्मिंग का एक उदाहरण आज संसार के सामने जापान ने रखा है। इसका एक सही नक्शा जापान ने विश्व के सामने प्रस्तुत किया है। जापान ने स्माल स्केल फार्मिंग के जरिये प्रोडक्शन बढ़ाकर संसार के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज सारा संसार उसके इस कदम की ओर देख रहा है। पर एकड़ पैदावार उसकी बढ़ी है वह क्यों? बढ़ी? इसका स्पष्ट रीज़न है कि उन्होंने फेमीली फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया। स्माल स्केल फार्मिंग को इन्ट्रोड्यूस करके ज्यादा से ज्यादा सरकार की तरफ से उनको सहायता दी गई और इसी कारण जापान का प्रोडक्शन बढ़ा और इससे हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक होगई। अगर यही तरीका हमारे देश में लागू किया जाय तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। एक तरफ तो लार्ज स्केल फार्मिंग की जाती है और दूसरी तरफ सीलिंग में आप स्माल स्केल फार्मिंग के सिद्धान्त को मानते हैं। मैं समझता हूं इस तरह से दोनों बातों में से हमें एक बात को स्वीकार करना होगा। एक ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जो हमारे देश के वातावरण के बिल्कुल अनुकूल हो और इस प्रकार के एक्जेम्पशन्स जो लार्ज स्केल फार्मिंग को प्रोत्साहन देने वाले हों इसमें रखने की कोई आवश्यकता नहीं।

अब प्रश्न आता है सारी स्थिति का अध्ययन करके कमेटी ने जो कुछ तय किया वह कितना उपयुक्त है यह देखना है। इसमें यह रखा गया है कि सरकार जिसको चाहे उसको एक्जेम्प्ट कर सकती है। अध्यक्ष महोदय मैं फिर यह निवेदन करूँगा कि सरकार केवल उन्हीं को एक्जेम्प्ट करेगी जो उनकी राजनैतिक पार्टी के होंगे। यह हमें मानना पड़ेगा क्योंकि इसके सम्बन्ध में हमारे सामने उदाहरण हैं। आज हम देखते हैं किसी भी इलेक्शन में नोमीनीशन का प्रश्न आता है वहाँ सरकार अपनी पार्टी के आदमी को ही

(श्री भैरोंसिंह)

नोमीनेट करती है दूसरी पार्टी के सदस्य को कतई नोमीनीशन नहीं मिलता । इस कारण यह निर्विवाद रूप से माना जा सकता है कि एक्जेम्प्शन जो सरकार को देना है वह केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जो सरकार की हाँ में हां मिलाने वाले होंगे या उनके राजनैतिक दल के सदस्य होंगे । विरोधी लोगों को तो यह कभी उम्मीद नहीं करनी चाहिये कि उनको भी एक्जेम्प्शन मिल जायगा । उनके लिए यह कह दिया जायगा कि your farm not well managed, not mechanised इसलिए आपको एक्जम्पशन नहीं मिल सकता और उस पर सिलिंग लागू हो जायगा । मैं निवेदन यह कर रहा था कि फेमिली रिलेशन का क्वश्चन एग्जेम्प्शन का क्वश्चन और फिर तीस एकड़ का हिसाब, यह आपने स्टेंडर्ड किस हिसाब से रखा है और उस आधार पर किस किस तहसील में कितनी कितनी जमीन होगी इस प्रकार की जो खामियाँ हैं उन सब को आपने हाथ में रख ली और इस आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि सिलेक्ट कमेटी में ऐसे राजनैतिक तत्व थे जिन्होंने सारी सिलेक्ट कमेटी पर अपना प्रभाव डालकर इस सारी चीज को राजनैतिक ढंग से बनाने की कोशिश की । पिछले कानून के अन्दर कौनसी तहसील के अन्दर कितनी जमीन होगी और कहां किस प्रकार से सिलिंग लागू होगा वह तहसील वाइज पहले प्रेसक्राइब कर दिया गया था । लेकिन इस कानून के अन्दर यह प्रेसक्राइब नहीं किया गया है कि किस तहसील में कितनी जमीन होगी यह तय नहीं किया है । सरकारी सेटलमेन्ट का तरीका रेन्ट रेट्स का तरीका, अलोटमेन्ट का तरीका ये सारे तरीके हमें देखने को मिले हैं उस अनुभव के आधार पर यह अच्छी तरह से कहा जा सकता है, जिस एरिया में जैसा सरकार चाहेगी करेगी । जैसा कि जागीर लैन्ड और खालसा लैन्ड के रेट्स में फर्क रखा गया है खालसा के अन्दर जहां जहां २ रु० २ आना देना पड़ता है वहां जागीरी एरिया के अन्दर १.२ आने में सेटलमेन्ट होता है । इसी प्रकार का दृष्टिकोण मैं समझता हूं और विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि सरकार ने इस तीस एकड़ में जो स्टेन्डर्ड लिमिट कायम की है उसमें भी रखेगी । इसमें केवल तहसील वाइज बांटने का आधार केवल अपने राजनैतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर अपनाया गया है और उसे अपनाये बिना नहीं रहेगी । किसी जगह प्रभावशाली राजनैतिक कार्यकर्त्ता पहुँच गये और कह दिया कि यहाँ जमीन में बहुत ज्यादा पैदावार है....

सेटलमेन्ट में चाहे पैदावार कम हो पर इस लिमिट को प्रेस्क्राइब करने में कहेंगे कि २० मन होता है । वह व्यक्ति जाकर कहेगा कि १० मन होता है इसलिए इसे ही स्टेन्डर्ड एकड़ माना जावे । तो ये इस तरह के पोलिटिकल कनफ्लिक्ट्स होंगे । इसके बाद मैं समझता हूँ कि सरकार आसानी से तै कर सकेगी यह उसके लिए सम्भव नहीं होगा । इससे पोलिटिकल एक्सप्लोइटेशन होगा । ऐसी सूरत में अगर आवश्यकता हो तो इसे दुबारा सिलेक्ट कमेटी में इन्हीं मुद्दों पर विचार करने लिए भेजा जा सकता है । आँकड़ों के आधार पर तहसीलवाइज तै कर दें । अगर यह नहीं होगा तो सरकार अपनी मर्जी से करेगी । जस्टिस का सवाल उठाने वाला कोई नहीं होगा, पोलिटिकल इस चीज को तै किया जावेगा और सरकार अपनी मर्जी से इसको इम्प्लीमेन्ट करेगी ।

Page No.41

(श्री भैरोंसिंह)

अब सवाल आता है इस सबका क्या जवाब हो सकता है ? भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव रक्खा था कि इस के लिए इसको दुबारा सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे । इसको दुबारा भेजने में कोई डिलेइन्ग टेकटिक्स नहीं होगी । जो इन्टरेस्टेड हैं वे पाँच छः दिन में बैठकर तै कर लें ताकि इस तरह की खामियाँ दूर हो सकें ।

इस सारे मामले में इस दृष्टि से मैं कह रहा था कि पहले सरकारी अधिकारियों का रवैया सामने आया, फिर सरकारी इकोनोमिक का सवाल आया और लास्ट में सिलेक्ट कमेटी में इसका पोलिटिकल शेप बना । इन सारी स्थितियों में किसान का हित सामने किसी ने नहीं रखा। अब सवाल आता है हम लो सीलिंग करना चाहते हैं या हाई सीलिंग, कौन सा सीलिंग करना चाहिये । यह भी विवाद का विषय है । प्लानिंग कमीशन जिसकी बात बार बार कही जाती है उसका रेफेरेन्स दो तीन लाइनों का मैं पहले पढ़कर बाद में लो, हाई के बारे में जिकर करूँ तो ज्यादा अच्छा होगा ।

पैरा ३७ चैप्टर ९ आफ दी सेकन्ड फाईव ईयर प्लान :—

The Planning Commission, while laying down the general conditions for the purpose of ceiling, has stated in very clear terms:—

"In these parts of the country where culturable waste lands are available and sufficient number of cultivators are not alwys easy to obtain, a ceiling may not be necessary at this stage, or may be set at a higher level than that envisaged here."

इसका मतलब यह कि जिस तरह से भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सीलिंग की आवश्यकता नहीं है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ । सीलिंग की आवश्यकता है । हम पसन्द नहीं करते कि एक के पास ज्यादा जमीन रहे और दूसरे मजदूरों के आधार पर उनकी कमाई हुई सम्पत्ति से स्वयं ऐश करे, अपने पास रक्खे । मेहनत करने वालों का शोषण करे । इसलिए सीलिंग तो लाना पड़ेगा । पर हमें यह दृष्टिकोण भी रखना पड़ेगा कि जमीन राजस्थान में कितनी है । रिपोर्ट के आँकड़ों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति १८० एकड़ जमीन एक किसान को मिल सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष : ३५. It may probably be 35.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : I can correct you. It is not more then 50 acres.

श्री भैरोंसिंह : वह तो मैथेमैटिकल केलकुलेशन है ।

श्री उपाध्यक्ष : It may vary between 35 and 40 acres.

श्री भैरोंसिंह : रिपोर्ट में गलत नहीं कहता । रिपोर्ट के आँकड़ों पर से १८० एकड़ की बात कहता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा कुछ आता है । आप आरम्भ रखिये ।

श्री भैरोंसिंह : मैं, खैर, इसको नहीं मानता। सौ से भी कम हो सकता है। मेरा इससे झगड़ा नहीं है। हम तो सिर्फ एक बात को सामने रक्खें कि सिरप्लस लैन्ड है राजस्थान में। अब वह ३५ एकड़ भी हो सकता है। उस हिसाब से भी स्वीकार किया जावे तो भी यह जितना सीलिंग आप प्रैस्क्राइब करना चाहते हैं उसके बराबर है। प्लानिंग कमीशन की मंशा से उसे हाई सीलिंग कह सकते हैं। अब हाई सीलिंग क्यों किया जावे इस पर कहना चाहता हूँ। मैंने कई भाषण सुने, कईयों ने समाजवाद की बात भी कही। आमदनी के जितनी अपोरचुनिटिज हैं सबको बराबर से बाँटा जावे ताकि किसी का शोषण न हो सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बात यदि कोई गरीब किसान कहता मजदूर कहता तो मैं भी समझता। पर ये बातें वे कहते हैं जिनके पास बड़े बड़े महल और हवेलियाँ हैं, तीन सौ चार सौ रुपया मासिक मकानों का किराया आता है, आठ आठ सौ रुपया महावारी प्रैक्टिस है और जो दो सौ रुपया से कम पर किसी मुकद्दमे की पैरवी नहीं करते। इस प्रकार के व्यक्ति यह कहें कि किसान की अमदनी सालाना १८० रुपया होनी चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता। हमारे देश में इस प्रकार के शिक्षा देने वाले बहुत हैं। पर इस शिक्षा को अपने शरीर पर उतारने वाले बहुत कम हैं। आज अगर कोई यह कहता है कि किसान की आमदनी २००) से ज्यादा नहीं होनी चाहिये तो उनसे मैं कहूंगा कि सबसे पहले वे अपनी अधिक आमदनी को स्वयं सरेन्डर करके एक आदर्श पेश करें (तालियां) और कहें कि दो सौ से ज्यादा हम भी नहीं लेंगे। पर उल्टा हम तो रात दिन कमाते रहें, ब्लेक मार्केट करते रहें, भ्रष्ट आचरण करते रहें, रिश्वतें लेते रहें, सब कुछ करते रहें इसकी चिन्ता नहीं। पर किसान की आमदनी कम करने की बात कहते हैं कि यह आमदनी कम होनी चाहिये। क्यों? क्या किसान नहीं चाहता कि मेरी भी आमदनी बढ़े, क्या किसान नहीं चाहता कि उसकी आमदनी बढ़े, क्या किसान आर०ए०एस० और आई०ए० एस० नहीं होना चाहता, लेजिस्टेटिव असेम्बली और पार्लियामेन्ट में जाना नहीं चाहता। आप चाहते हैं किसान की आमदनी ३६००) सालाना हो जावे। क्या वह इसमें इलेक्शन लड़ सकेगा, वैसे इलेक्शन जिनमें पचास पचास, साठ साठ हजार खर्च करते हैं आप, किसान के विपरीत बात करने वाले यह सब भुला बैठे हैं। क्या किसान नहीं कहेगा कि मेरा लड़का आई० ए० एस० में जाकर उन अफसरों के मुकाबले में जाकर बैठे। जैसे अरबन एरिया के लोग अच्छी अच्छी स्कूलों में पढ़कर वहां पहुंचते हैं वैसे वह भी चाहता है उसके लड़के भी वहां पहुंचे। पर किसान की बात मुश्किल है। यह कहने वालों से निवेदन करूंगा कि किसान की आर्थिक स्थिति क्या है पहले यह देखें। उसकी जरूरतों को स्टडी करें, उनकी संख्या को स्टडी

(श्री भैरोंसिंह)

करें और आज किसान की अर्थनीति देश की अर्थनीति है उसको महसूस करें, स्टडी करें। पर वे नहीं चाहते कि किसान की आर्थिक स्थिति अच्छी रहे। उसकी स्थिति को डिग्रेड करना चाहते हैं।

आज कहते हैं हमें जमीन का बंटवारा करना है। क्यों? आखिर जमीन की यह मांग और भूख क्यों बढ़ी है? इसका मोटा कारण जो मैं अनेलिसिस कर पाया हूँ वह एक है। जमीन एक आदमी की इज्जत है हमारे देश में। गांवों में जिसके पास जमीन होती है वह इज्जत वाला समझा जाता है, जिसके पास जमीन नहीं उसका कोई वसीला नहीं! इस प्रकार वसीला न होना और जमीन इज्ज़त होना दो बातें हैं। जिसके कारण हर व्यक्ति कोशिश करता है कि जमीन नहीं होने से अब तक बेइज्जतदार था अब जमीन लेकर इज्जतदार बनें। अगर किसी गांव में किसी की शादी विवाह है और पैसा उसको चाहिये पर अगर उसके पास जमीन नहीं है तो उसको कोई नहीं देगा। उसको कोई इज्जत वाला नहीं समझेगा और लोन नहीं देगा। पर जिसके पास पांच बीघा जमीन है उसको दस रूपया कोई भी उधार दे देगा। इसलिये सभी आदमी कोशिश करते हैं कि हमें जमीन मिले।

अब सबको किस प्रकार से मिलेगी? यह जमीन की भूख क्यों बढ़ी है, हमारे देश में तो नहीं पर पहले अमेरिका में ८३ परसेन्ट लोग काश्त करते थे। और वे बाकी १७ को बैठे खिलाने के लिए अनाज पैदा करते थे।

आज मुल्क का खाका बदल गया है। आज वहां अमेरिका के अन्दर १३ परसेंट तो खेती करते हैं और बाकी के ८७ परसेंट के लिए अनाज पैदा करते हैं और वह इतना अनाज पैदा करते हैं कि सरप्लस होता है और हिन्दुस्तान के लोग भी उसको खाते हैं। वहां पर सरकार ने जमीन के ऊपर से प्रेसर को उठाया और देश का इन्डस्ट्रियल डवेलपमेन्ट किया। इसको हमारी सरकार माने या न माने, लेकिन हमारी सरकार ने दुनिया के सामने अपनी असफलता का परिचय दिया है कि वह लोगों को खेती के सिवाय और कोई धंधा नहीं दे सकी और लोगों की भूख नहीं मिटा सकती। लैण्ड टू दी लेण्डलैस का स्लोगन लगा कर के हम दूसरी पोटेनशेलिटी नहीं बना सकते। इस चीज को लेकर हमारी सरकार समाज के सामने आती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आज जो भूख है वह जमीन की नहीं बल्कि यह भूख है खाने की। लोगों को खाने को नहीं मिलता और वह इसलिए नहीं मिलता कि सरकार ने ऐसा कोई धंधा नहीं बनाया। आज सरकार की कमजोरी है कि लैंडलेस के रूप में जो हमारे सामने आ रही है। आज समस्या हमारे सामने भूमि की आवश्यकता है इस रूप में आ रही है और इस बात के लिए मैं

Page No.44

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार के चलाने वालों को बधाई दूंगा कि उन्होंने बड़ी होशियारी से अपनी सारी कमजोरियों को छिपाने के लिए इस प्रकार की बातें समाज के अन्दर चालू कर दी हैं कि भूमिहीनों को भूमि दी जायेगी। मैं कहता हूं कि भूमि भूमिहीनों को दिलाई जायं मैं इसका विरोध नहीं करता.... "

श्री श्रीभानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय अब यह पूछ लिया जाये कि आप कह क्या रहे हैं आप एन्टी सीलिंग हैं या प्रो-सीलिंग हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप समय का भी ख्याल रखें।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय,.....

श्री अमृतलाल यादव (जालोर सु) : उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

(हंसी)

हां, आप(श्री भैरोंसिंहसे)आरम्भ रखिए।

श्री भैरोंसिंह : तो मैं यह निवेदन कर रहा था....

श्री उपाध्यक्ष: Land to the landless may not be treated as separate subject.

श्री भैरोंसिंह : नहीं इसी का है।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि हम इस प्रकार का स्लोगन लगा रहे हैं, उसको लगाने से पहले हमें यह विचार करना पड़ेगा कि काश्तकारों के पास कितनी भूमि छोड़ी जाये। सलेक्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है उसके आधार पर ३० एकड़ होगी। ३० एकड़ की बेसिस है जिस एकड़ में १० मन गेहूं पैदा होता है, वह स्टेन्डर्ड एकड़ होगी। उसके हिसाब से करीब ३०० मन गेहूं सालाना होगा और जो एक मन की एवरेज कॉस्ट सरकार ने स्वीकार की है वह१२ रु० है। उसके अनुसार ३६०० रुपये की आमदनी काश्तकार की एक साल के अन्दर होगी। अब एक क्वेश्चन पैदा होता है कि यह ३६०० रुपये नैट इन्कम है। या ग्रास इन्कम है अब इसके बारे में यह कहा जाय कि ३६०० रुपये इनक्लुडिंग लेबर है बाकी का जो कॉस्ट आफ लेबर हैवह तो है। याने यह इन्क्लुजिव लेबर है। लेकिन हम इस बात पर सहमत हैं कि पैदावार एक किसान की ३६०० रुपये की है। अब उसी लाइट में भारतवर्ष के अन्दर कहीं ४५ परसेंट है कहीं ५० परसेंट है, कहीं ६० परसेंट है कहीं पर ५५.परसेंट है और कहीं का प्रोडक्शन का बेसिस लोगों ने इस प्रकार का माना है। अब यदि उसका एवरेज लेकर चलें तो वह करीब ५० परसेंट के आता है। ३६०० में से १८०० रुपया कॉस्ट आफ प्रोडक्शन निकाल दें तो उसके बाद में किसान की आमदनी १८०० रुपया होती है और यह किसान वह है जिसके बारे में एवरेज फैमिली ५ आदमियों की मानी है। इसका मतलब यह है कि एक, किसान की आमदनी एक महीने में १५० रुपये पड़ती है। अब ५ आदमियों के परिवार के लिए हम ऐसा मानकर चलते हैं कि दो तो बहुत हो माइनर हैं, बच्चे हैं और उनके लिए हम मानते हैं कि वह किसी प्रकार की खेती नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

करते हैं और न कर सकते ही हैं। लेकिन उस परिवार में से ३ सदस्य अवश्य ऐसे हैं जो कि खेती के लिए काम करते हैं। अगर यह आमदनी तीन सदस्यों के अन्दर बांटी जाये तो एक किसान की आमदनी करीब ६० रुपये की होती है। अगर यही सरकार एक किसान की आमदनी ६० रुपये की करना चाहती है और कांग्रेस ने जो घोषणा-पत्र दिया है उसमें कहते हैं कि १:१० की आमदनी करना चाहते हैं। मैं नहीं समझ पाया कि सरकार एक किसान की आमदनी तो ६० रुपये की करना चाहती है और दूसरी ओर उच्च अधिकारियों की ४००० की तनख्वाह रखते हैं। यह किस प्रकार की डिस्पेरिटी है और इसको आप किस प्रकार से दूर करेंगे। आज आप शहरों के अन्दर चले जाइये और आपके यहां रामबाग में जाकर देखें वहां वहां पर जितने भी चाट वाले, पतासे वाले बैठते हैं उनकी ६० रुपये की इनकम होती है। तो क्या आप यह चाहते हैं कि किसान की आमदनी जयपुर के खोमचे वालों के बराबर कर दी जाये। लेकिन हमारी सरकार कहती है कि हमने तो वह आमदनी ३,६००) रु० रख दी और इससे ज्यादा क्या चाहते हो इलेक्शन के एक्सपेन्सेज के बारे में पूछा जाये तो कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा ६,०००) रु० खर्च किया जा सकता है, एक सीमा बंधी हुई है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने किसानों के बारे में अभी बहुत स्टेटिस्टिक्स के फिगर्स दिए हैं। आप तो यह बतायें कि यह कितने किसानों की आमदनी १६० रुपये हो जायेगी ?

श्री भैरोंसिंह : यह तो सब की हो जायगी यह मैक्जीमम सीलिंग है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरा मतलब यह है कि जिन पर सीलिंग लागू होगी उन्हीं की क्या होगी वह कितने परसेंट हैं और उसमें किसान कितने हैं ?

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह प्रश्न पूछ लिया कि किसानों के लिए लैण्ड ३० एकड़ की तय करने के बाद में कितने किसानों की आमदनी होगी। यह इस प्रकार का उनका प्रश्न था। कितने किसानों की आमदनी होगी या नहीं होगी इसका स्टेटिस्टिक्स तो बाद में देखे जायेंगे यह दिया भी नहीं जा सकता। आपकी सरकार यदि एक वर्ष तक काम करे तो भी तैयार नहीं कर सकती...

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : दे सकती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि जो सीलिंग में आयेंगे वह १ से २ परसेंट के बीच में नहीं आने वाले हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह तो एक दो परसेंट तक नहीं आता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किसान जनरल टर्म के तौर पर नहीं है। यह हम कहें कि बड़े होल्डिंग हैं उनकी आमदनी कम हो जायेगी।

Page No.46

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : आपका (श्री भैरोंसिंह से) किसान का मतलब जैन्टलमैन फार्मर्स से है ?

श्री भैरोंसिंह : किसान से मतलब मेरा सरदार शहर के केपिटलिस्ट से नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : I hope the Hon'ble Member will please now conclude it.

श्री भैरोंसिंह : केपिटलिस्ट को कन्ट्रोल करना तो मेरे हाथ की बात नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपके ऊपर नियंत्रण करने की बात कर रहा था ।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : १-२ परसेंट लोगों की इस प्रकार की आमदनी होगी लेकिन एक बात सही है कि किसान की आमदनी याने किसान के पास भूमि ३० एकड़ से ज्यादा नहीं हो सकती और अपने केलकुलेशन के मुताबिक ३६०० से ज्यादा उसकी आमदनी नहीं हो सकती मैं समझता हूं कि इसमें किसी प्रकार का आधार नहीं है । ज्यादा से ज्यादा वह आमदनी एक किसान की ५० से ६० हो जायेगी । लेकिन हमने एक सीमा निर्धारित करदी इससे ज्यादा आमदनी नहीं हो सकती । अब उपाध्यक्ष महोदय, हम यह चाहते हैं कि जमीन के ऊपर से प्रेशर कम हो । यह भी चाहते हैं कि जो सरकार के द्वारा टैक्स लिये जाते हैं जगह जगह प्राइमरी स्कूल्स खोलते हैं, हाई स्कूल्स खोलते हैं, टैक्नीकल स्कूल खोलते हैं, सब जगह इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है उसके लिए हमें विचार करना पड़ेगा कि ३६०० रुपये की आमदनी प्रेस्क्राइब करने से क्या इस बात को कोई सोचेगा कि हिन्दुस्तान के पढ़े लिखे नागरिक यह काम करें । क्या यहां के पढ़े लिखे नागरिक खेती के लिए जायेंगे । मेरा ख्याल है कि वह खेती करने के लिए नहीं जायेंगे । उसका मतलब यह होगा कि यह खेती तो अनपढ़ लोगों के करने का काम रह जायेगा और बाकी का काम पढ़े लिखे लोगों का हो जायेगा । आज कौनसा ग्रेजुएट है जो कि पढ़ने और लिखने के बाद २००-२५० रुपये की तनख्वाह ले लेता है खेती के लिए हल चला सकता है । जो कि १८०० की आमदनी करेगा ऐसा कोई भी ग्रेजुएट नहीं होगा जो कि खेती का धंधा अपनायेगा ...

अब उसके बाद में लोगों की इकानामिक कन्डीशन खराब होती है, किसानों की हालत खराब हो जाती है तो हमारी सरकार ने पहले एक स्लोगन दे रखा है कोऑपरेटिव फार्म बनाना चाहिए । कोऑपरेटिव के अन्दर किसानों का स्वामित्व समाप्त नहीं होगा । इस प्रकार की बातें इस वक्त जरूर हैं, पर धीरे धीरे वह स्थिति आ जायगी जिस प्रकार की स्थिति बाकी देशों में आई है । किसानों का स्वामित्व खत्म होगा और स्टेट केपिटलिज्म की व्यवस्था हमारे भारतवर्ष में आ जायगी । किसान भूमि का मालिक है उसके किसी तरह के वहां पर मालिकाना हक्क बने हुए हैं । अभी उसका अस्तित्व बना हुआ है । वह किसान मजदूर की संज्ञा में आ जायेगा । उस स्थिति में मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल सेन्टीमेन्ट के आधार सीलिंग हुआ तो देश के अन्दर बरबादी आ जायगी । इस प्रकार के स्लोगन में बहने की आवश्यकता नहीं है । देश को सीलिंग की आवश्यकता है, लेकिन इसतरह के सीलिंग की आवश्यकता

Page No.47

(श्री भैरोंसिंह)

करता है कि किसान की इकानामी को डिस्टर्ब हीं करें, किसान बाकी के जिस प्रकार का अगों का स्टेन्डर्ड है उसी स्टेन्डर्ड के अनुसार अपने जीवन को किस प्रकार से पनपा सकते है।

उसके साथ साथ कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा इस बात के लिए कहा गया, उनका फर्ज भी हो सकता है, कि जमीन जो मिलने वाली है वह बाहर गाँव के हरिजनों को मिलेगी। मैं उनकी जानकारी के लिए कह दूँ कि हमारी सरकार ने यह कानून बना दिया हैं जिसमें जमीनइन्डीविजुअल्स को एलाट नहीं की जायगी बल्कि कोऑपरेटिव फार्म्स को एलाट होगी ...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (मुख्य मंत्री) हरिजनों को उससे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Why this announcement? This announcement could have been made on Chaupar'.

श्री भैरोंसिंह : 'Chaupar' is meant for you and not for me. और आप अच्छे भी लगेंगे।

(हँसी)

क्वेश्चन यह है कि...

श्री उपाध्यक्ष : अब क्वेश्चन कहां है? अब तक तो समाप्त हो रहा है।

(हँसी)

श्री भैरोंसिंह : क्वेश्चन आपका था 'चौपड़' का। ....तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि मुझे मालूम नहीं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इन्कार किया या हाँ भरी लेकिन आर्डर तहसीलों में चले गये हैं कि जमीन का एलाटमेंट कोऑपरेटिव फार्म के लिए ही किया जाय। अगर हरिजन बन्धु यह सोचें कि उनको जमीन मिल जायगी तो जमीन मिलेगी कोऑपरेटिव फार्म्स को। मैं निश्चित रूप से कह दूँ कि आज कोऑपरेटिव फार्म का स्लोगन अच्छा लग सकता है, लेकिन कल कोऑपरेटिव फार्म पर भी उन लोगों का कब्जा होगा जिनके पास पैसा है और आपकी और हमारी हालत वही होगी जो आज है। आज तक हम कहते हैं कि जागीरदारों के नीचे हमारा एक्सप्लोइटेशन हुआ, कुछ दिनों के बाद में कोऑपरेटिव फार्म पर जो इनफ्लुएन्स डालेंगे उन मेम्बर्स के हाथों में वह होगा और उसके बाद में सरकार के मेनेजरों का एक्सप्लाइटेशन होगा और मेनेजरों के बाद स्टेट किपटेलिज्म होगा तो सरकार के द्वारा हमारा एक्सप्लोइटेशन होगा। इन सारी स्थितियों को देखते हुए हम सेन्टीमेन्टस में बह जायं कि जमीन जो मिलने वाली है वह हरिजनों को मिलने वाली है, हरिजन बन्धु भाषणों से आकर्षित हो जायेंगे लेकिन वास्तव में उनको जमीन मिलने वाली नहीं है। ऐसी स्थिति में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी महानुभावों से निवेदन करूंगा कि यह कहा गया है कि इसमें हमारा बेहबूदी का प्रश्न है। किसानों की बेहबूदी का प्रश्न नहीं है, बल्कि हमारी बेहबूदी का प्रश्न तो इसमें है वह स्टेण्डर्ड जो दूसरों का है उस दृष्टि से विचार करना चाहिए। जिनके पास बड़े बड़े फार्म्स है उनको सीलिंग के द्वारा खत्म करें। लेकिन ३० एकड़ को वह रखते हैं, मैं उसको स्वीकार करता हूं। उसमें १० मण का हिसाब रखा है। १० के हिसाब से एकड़ का

(श्री भैरोंसिंह)

का स्टेण्डर्ड माना है तो स्टेण्डर्ड वह मानें कि जिस एकड़ की आमदनी २००० रु० से ज्यादा हो। अगर २००) रु० की एक एकड़ की आमदनी होगी तो एक किसान की सालाना आमदनी ६०००) रु० होगी। वह सोशियल जस्टिस के नाते में उचित भी है। उचित इसलिये भी:है कि प्लानिंग कमीशन और हमारे टेक्सेशन एन्क्वारी कमीशन ने जितने भी टेक्सेशन जो अरबन पापुलेशन के ऊपर हैं उसके आंकड़े दिये हैं। उन आंकड़ों के एवरेज से एक्सपेन्डेबल इनकम १८,०००) आती है। उसके साथ साथ प्लानिंग कमीशन ने रूरल पापुलेशन और अरबन पापुलेशन का रेश्यो बताया है। वह १:२ का रखा गया है। उस स्थिति में एक्सल पेन्डेबल इनकम टेक्सेशन के ढांचे के अनुसार १८, ०००)रु० मुकर्रर करते हैं और हम यह चाहते हैं कि कि वह रेशो १.२ का हो तो किसानों की आमदनी कम से कम ६०००)रु० निश्चित् रूप से कर दें, तो इसका मतलब क्या होगा ....

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर) माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, समझ में नहीं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर।

(हँसी)

श्री भैरोंसिंह : तो ऐसी स्थिति के अन्दर उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यदि इस इनकम के बेसिस के ऊपर जो सोशियल जस्टिस की बात कहने वाले हैं, और जो सोशियलजस्टिस की बातें कहते हैं मैं उनसे निवेदन कर दूँ कि इन्डिविजुअल्स के रूप में कभी किसी का सोशियल एक्सप्लोइटेशन होगा या नहीं यह चीज छोटी सी लगती है, लेकिन इनकम की डिस्पेरिटी के कारण पढ़े लिखे आदमी शहरों में चले जायेंगे, जिनके पास साधन हैं वे शहरों में चले जायेंगे। एग्रीकलचर से इनकम कम होगी तो भले आदमी खेती नहीं करेंगे। भले आदमी शहरों में चले आयेंगे और अनपढ़ लोग गांवों में रह जायेंगे, और इन्हीं आदमियों के द्वारा गांवों का शोषण होगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि १८ हजार की एक्सपेन्डेबल इनकम मानी है तो किसान की आमदनी कम से कम ६०००) की रहनी चाहिए।

एक बात मैं बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य को कहना चाहूँगा। उन्होंने कल यहां पर आवेश में आकर कह दिया कि जमीन का बराबर वितरण होना चाहिए जमीन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि संसार में कौनसा ऐसा देश है जहां कि जमीन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ? किसी देश में इस प्रकार का एक्सपेरीमेंन्ट नहीं किया गया। जिस देश में इस बात का एक्सपेरीमेन्ट किया गया वहां पर दो वर्षों के बाद जमीनें किसनों को वापिस दे दी गई....

श्री श्रीभानसिंह : ६ हजार की इनकम आपने बताई लेकिन यह तो बता देते कि पर फेमिली जमीन कितनी आयेगी :

श्री भैरोंसिंह : मैंने बता दिया कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ हो, लेकिन स्टेन्डर्ड एकड़ वही माना जाय जिसकी आमदनी २००)रु० होगी। वैसे आपके हिसाब से १२०)रु० आती है ...

श्री श्रीमानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक साधारण सवाल है कि क्या माननीय सदस्य बतायेंगे केलकुलेट करके कि इस तरह से राजस्थान में जमीन कितनी रहेगी अगर ६०००) की इनकम से हम उसको कोइन-साइड करेंगे तो ?

श्री उपाध्यक्ष : आपका तो साधारण सवाल होगया और यहां एक घंटा और बिता देंगे।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य की भावना के अनुसार, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी भावना साफ है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह समझ में स्पष्ट तौर से नहीं आया कि आप क्या चाहते हैं। इस सारे लम्बे भाषण में आप सीलिंग के पक्ष में हैं या नहीं। आपने एक तरफ कहा कि बड़े फार्म्स नहीं होने चाहिए। दूसरी तरफ कहा कि ३० एकड़ की सीलिंग यहीं होनी चाहिए। फिर यह कहते हैं कि कोऑपरेटिव और बड़े फार्म नहीं होने चाहिए। लैण्डलैस को जमीन नहीं मिलेगी। इस तरह से कई प्रश्न जोड़ दिये। आपका यह राजनैतिक भाषण किसी और स्थान पर होना चाहिए। यहां पर तो इस बिल के ऊपर ही बोला जाय तो ठीक रहेगा।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर सारी बातों को स्पष्ट कर दूं, यदि माननीय मुख्य मंत्रीजी फिर चाहते हैं तो।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो कुछ कहा उसको वापिस कहा जाय या नहीं कहा जाय, यह जरा मुश्किल है।

श्री भैरोंसिंह : मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ शब्दों के अन्दर सारी चीजों को बता देता हूं।

आपने ३० एकड़ का एक फेमिली होल्डिंग मन्जूर किया है वह उस प्रकार की रेट का रखा जाय। आपने १० मन गेहूं एक एकड़ में पैदा हो उसको एक स्टेन्डर्ड एकड़ माना है। उसकी जगह यह हो कि १० मन के बजाय एक स्टेन्डर्ड एकड़ की आमदनी २००) रु० हो।

जिस एकड़ में २००) रु० की पैदावार हो। उस बेसिस को स्टेन्डर्ड एकड़ माना जाय। उस हिसाब से एक किसान की आमदनी ६०००) रू० होनी चाहिए।

दूसरे जहाँ एग्जेम्पशन का प्रश्न है। एग्जेम्पशन की बेसिस नहीं है। बड़े फार्म हमारे देश के प्रोडेक्शन नहीं बढ़ा सकते हैं। बड़े फार्म को एग्जेम्प्ट किया तो आप बड़े फार्म्स के पक्ष में हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप स्माल होल्डिंग के लिए सीलिंग लाना चाहते हैं जो आपके सीलिंग के प्रिन्सीपल से कंन्ट्राडिक्ट करता है। यह मेरी ३-४ बातें। मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्य मंत्रीजी समझ गये होंगे।

मैं सीलिंग के पक्ष में हूँ, लेकिन इस तरह के सीलिंग के पक्ष में हूँ जिससे किसान की इकानामी नहीं बिगड़े, जिससे किसान का एक्सप्लॉइस्टेशन शहर वाले नहीं कर सकें। मेरा उन सब बातों से यही मतलब था।

Page No.50

(श्री भैरोंसिंह)

उन माननीय सदस्य ने यह कहा था कि जमीन का बराबर बँटवारा कर दिया जाय। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि दुनिया के किसी देश का नाम बतायें जिसके अन्दर जमीन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो। आज तक नहीं हुआ है। यदि जमीन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कपड़े का भी होगा। इसमें सब प्रकार की दौलत का भी होगा, मकान का भी होगा। सारी चीजों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वह नहीं करते हैं। दूसरी तरफ जहाँ किसानों की भूमि का सवाल है वहाँ यह कहकर कि जागीरदार किसानों का शोषण करते हैं, तो जागीरदारों के नाम के नीचे किसानों की ईकॉनोमी को खत्म करने के लिए जमीन का बंटवारा करवाना, मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार की उचित चीज नहीं होगी। जमीन का कहीं पर बराबर बंटवारा नहीं हुआ है। जहाँ पर बंटवारा हुआ है तो उन देशों की इकानामिक कन्डीशन्स बिल्कुल गिर गयी है। उस स्थिति के अन्दर मैं यह चाहूँगा कि किसानों के हित के अन्दर, किसानों की लाइफ का स्टेन्डर्ड रेज हो, किसानों की इनकम स्टेन्डर्ड इनकम हो ताकि किसान भी अपनी सारी एम्बीशन्स को लेकर दुनियाँ के अन्दर एक आनरेबल लाइफ लीड कर सकें, इस प्रकार की व्यवस्था को सामने रखकर, और मैंने जिस प्रकार की स्थिति आपके सामने रखी है, उस स्थिति के अनुसार यदि सीलिंग फिक्स करें तो यह किसानों के ज्यादा हित में होगी। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री हरिप्रसाद यादव : (वल्लभ नगर-सु) : उपाध्यक्ष महोदय, आज बड़े हर्ष का समय है जब कि हमारी राजस्थान विधान सभा में एक महत्वपूर्ण बिल आया है जिसका नाम है सीलिंग बिल। हमारे उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों को इस भूमि वितरण कानूनको देखकर कुछ पसीना आया (हँसी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूँ जहाँ राजा महाराजाओं और जागीरदारों माफीदारों ने अपनी चारपाई पर सोकर और बैठ कर दूसरों की कमाई खाई है वे ही व्यक्ति आज जब उनके पैरों के नीचे से जमीन जाती हुई देखते हैं तो उनको दर्द होना स्वाभाविक है। मैं निवेदन करूँ कि अभी माननीय सदस्य जो सवाई माधोपुर से आये हैं, श्रीमान भैरोंसिंहजी ने यह कहा कि हरिजनों को जमीन, हरिजनों को जमीन। अरे हरिजन तो आज क्या अंग्रेजों के जमाने से आज तक आपकी सेवा करते आये हैं। उन्हीं व्यक्तियों को आप लोग ठोकर लगाते हैं। आप नहीं तो आप के भाई ठोकर लगाते हैं। मैंने बजट अधिवेशन के समय उधर बैठने वाले माननीय सदस्य को यह सुझाव दिया था कि आप हरिजन सदस्यों का क्या मतलब समझते हैं ....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। विधेयक पर बोलते बोलते हरिजनों पर कहाँ चले गये ?

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं उदाहरण दे रहा हूँ। श्रीमान् भैरोंसिंहजी ने यह कहा कि ३० एकड़ जमीन से इन्कम ६ हजार रुपये होगी या २ हजार होगी या ३ हजार होगी। मैं यह बताना चाहता हूँ कि राजस्थान प्रदेश बहुत बड़ा है, इसमें २५ जिले हैं और उन सब में जमीन एकसी नहीं है। मैं एक किसान के घर से आता हूँ और सारे राजस्थान का मैंने दौरा किया है।

(हँसी)

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): यदि आपने दौरा किया है तो चमड़ा कितना हैं यह बताइये ?

श्री हरिप्रसाद यादव : एक व्यक्ति लेख लिख कर कोई बात बतादे तो उस को ही मान लेना ठीक नहीं है। माननीय सदस्य ने कहा कि ६ हजार की इन्कम हो जायगी, भूमि जोतेंगे नहीं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि ३० एकड़ की सीमा रखी है वह सही है। किसान टकटकी लगाकर देख रहा था कि राजस्थान विधान सभा में सीलिंग का कानून पास होगा और एक परिवार के पास कितनी भूमि अधिक से अधिक रहेगी इसका पता चलेगा। इस बात से पहले कई लोगों ने अच्छी से अच्छी भूमि का क्रय विक्रय कर दिया। मैं यह निवेदन करूँ कि ३० एकड़ जमीन एक किसान के लिए और उसके ५ आदमियों के परिवार के लिए कोई ज्यादा नहीं है और इस पर भी माननीय सदस्य ६ हजार की इन्कम बताते हैं कभी २ हजार की इन्कम बताते हैं, माननीय सदस्य को यह पता नहीं लगा कि उनको कोऑपरेटिव की याद क्यों आ जाती है....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : भोपालसागर कोऑपरेटिव की याद आती है।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं दावे के साथ कहूँगा कि इन जागीरदारों ने हरिजनों पर अत्याचार किये...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। आप विधेयक पर बोलिये।

श्री हरिप्रसाद यादव : भूमि पर ३० एकड़ की सीमा रखी इस बारे में माननीय भैरोंसिंहजी ने अपने लंबे भाषण में समझाया कि हरिजनों को फायदा हो जायगा...

श्री उपाध्यक्ष : फायदे पर बोलिये अत्याचारों पर नहीं।

श्री हरिप्रसाद यादव : उन्होंने फरमाया कि हरिजनों को भूमि मिलेगी जो हरिजन किसान हैं उनके पास भूमि है। सरकार ने उनको भूमि दी है। लेकिन आज हरिजनों के नाम से गरीब किसानों के नाम से महत्वपूर्ण बिल के विरोध में जाना राजस्थान सरकार की परंपरा के खिलाफ है। आज माननीय सदस्य गरीब किसान और मध्यम श्रेणी के लोगों के वोट प्राप्त करके यहाँ आये हैं और उन्हीं की भूमि का विरोध करते हैं तो कहूँगा कि यह अपराध की बात है।

(समय समाप्तिसूचक घंटी)

जो महत्वपूर्ण बिल आया है, सीलिंग बिल पास हो रहा है और उसके समर्थन में जो लोग बोले उनको देखकर उधर बैठनेवाले माननीय सदस्यों को पसीना आया (हँसी). यह देखकर मुझे महर्षि दयानन्द का एक काव्य याद रहा है :

प्याला मेरा अमृत रस से भरदो,
ऐसा मेरी इस जुबाँ में असर दो।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुरूपमय और बहु गुणमय बनकर यह भूमि प्रतिबन्ध का विधेयक हमारे सामने है और मैं सुनता हूं सन् ४३ से ही इस बारे में किसी न किसी रूप में इस सदन में चर्चा चलती रही है। सन् ४३ से नहीं ५३ से इस दृष्टि से जहां तक इस विधेयक

(राव श्री नारायणसिंह)

की भूमिका का तालुक है काफी विचार विमर्श समृद्ध हो चुका है। मैंने भी इस विषय में अपने विचार काफी दफा प्रकट किये हैं और मेरी यह इच्छा नहीं थी कि इस बारे में इस विषय में और अधिक विचार प्रकट करूं लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे उठे हैं जिनके बारे में चर्चा करना लाजमी हो जाता है।

यहां आज हम सीलिंग के बारे में जो विचार कर रहे हैं वह विभिन्न प्रकार से सदन के सामने आया और विभिन्न प्रकार के विचार प्रकट हुए। मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में एक विशेष स्थान में विशेष वर्ग के लिए पहले भी सीलिंग लगा और उसका अनुभव भी सामने आया। मैं यह नहीं कहूँगा कि वह सीलिंग अजमेर में ५० एकड़ पर लगा। वर्ग विशेष के लिए वह बहुत साइन्टिफिक आधार था लेकिन यह कहना पड़ेगा कि अलग अलग ....

१. २६ म० प०

(श्री मुरलीधर व्यास, सभापति, पदासीन)

आधार को लेकर जानने की कोशिश की गई थी उस दृष्टि से आज राजस्थान में सीलिंग के प्रति भूमिका तो है लेकिन जब हम सीलिंग पर विचार कर रहे है तो हमें यह सोचना आवश्यक है कि यह प्रश्न केवल बहुत छोटे तबके का नहीं हैं। आज यह प्राइवेट प्रोपर्टी-शिप को टच करेगा। काबिल काश्तकार हैं उनका यह प्रश्न नहीं है, बिचोलिया और मध्यस्थ वर्ग का प्रश्न था, मैं मानता हूं समय का तकाजा था और समय चाहता है कि जो सुस्थापित कृषक या सुस्थापित कृषि के स्वामी हैं, जहां एबसेन्टी लैंड लोर्डिज्म है उनका निराकरण करना आवश्यक है और वह होगा लेकिन आज जब हम एक साधारण हल जोतने वाले कृषक को भूमिका बनाकर भूमि सुधार कानून बनाना चाहते हैं तो एक दूसरी भूमिका बनती है। हम उनको एबसेन्टी लैंड लॉर्ड की लिस्ट में नहीं बरत सकते और न वहां मुआवजा और धन की बात आती है अथवा दूसरी तरह की बातें आती हैं।

कानून से वास्तव में जब समाज में ऐसी उलझनें या गुत्थियें पड़ जाय जो साधारणतः नहीं सुलझ सकें तभी बनाने की आवश्यकता पड़ती है और खासकर जब हमारे समाज के इकोनोमिक स्तर को लेकर उलझन पैदा हो तब उसके निराकरण के लिए कानून की आवश्यकता पड़ती है और आज भूमि सुधार कानून में तरमीम करने की बात या सीलिंग भी विशेष स्थान रखता है और क्रान्तिकारी कदम रखता है। लेकिन आज भूमिका में यह कहना आवश्यक है कि हमारे सामने एक कन्फ्यूजन प्रस्तुत हो जाता है और वह दिक्कत हमारे सामने हरेक कानून में आती है। आज जो जनमानस है वह समाजवाद के आवेश में बहने लगता है। एक तरफ हमारा कांस्टिट्य-शन तकाजा करता है कि संस्कृति के आधार पर प्रजातंत्र के मूल सिद्धान्त को लेते हुए जो कुछ कार्यवाही करें वह साहिस्ता से करें और भावनाओं को जागरूक करें। इन दोनों कन्फ्यूजन को लेकर, इन दोनों मानसिक संघर्ष को लेकर जिस वक्त किसी कानून को बनाने जाते हैं, तो कभी हम भावावेश में बह जाते हैं, कभी उसकी वस्तु स्थिति का ख्याल आता है और उसमें प्रत्येक कानून की प्रत्येक विचारधारा हमको झकझोर देती है, तो एक विडम्बना पड़ जाती है और एक विचित्र स्वरूप बन जाता

(श्री नारायणसिंह)

है तो जब किसी भी सामाजिक गठन समाजिक इकानामिक सेस पूल को साफ करने के लिए कानून बन जाता है तो किसी न किसी तबके के ऊपर असर पड़ता है और आज जो यह कानून बनने जा रहे हैं, यह विशेष प्रकार से पीजेन्ट प्रोपराइटर्स, जो दाखिल काश्तकार हैं, उनको असर करने वाला है। इस भूमिका में उनके सामने यह सीलिंग बिल मौजूद है और उस पर कोऑपरेटिव फार्मिंग का मसला मौजूद है, और एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स का भार चढ़ चुका है। ऐसी दशा में यह बिलकुल स्वाभाविक बात हो जाती है कि जो एक विशेष वर्ग आहत होने वाला है, उसमें बैचेनी हो, जो कानून हमें बनाना है, वह सामाजिक न्याय दृष्टि से बनाना है और इस तरह से करना है कि अधिकाअधिक भावना और अधिकाअधिक स्वतंत्रता हमारी उस तरफ हो सके। तो आज जब कि हम पीजेन्ट प्रोपराइटर की तरफ ध्यान देते हैं। तो इन तीनों समस्याओं को खड़ी करके हमें ताल मेल और सामंजस्य इस तरह बैठाना पड़ेगा कि जिससे वास्तविक में दुखदायी चीज न हो जाय। मुझे एक दृष्टान्त याद आता है, एक बात याद आती है कि अबालिशन के समय, अबालिशन होने के पहले एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति से मेरी बातचीत हुई, वे बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे साधारणतया पूछा कि अबालिशन के प्रति आपकी क्या भावना है ? मैंने कहा कि यह एक अपेन्डीसाइटिस के आपरेशन की तरह है। आपरेशन के पहले घबराहट और बैचेनी स्वाभाविक हो जाती है, आपरेशन होने के बाद नतीजे से खुशी होती आजादी मालूम होती है, और अपेन्डीसाइटिस से छुटकारा मिलता है। तो

अपेन्डीसाइटिस से छुटकारा मिलता है। तो जब कानून बन जाता है तो एक विशेष वर्ग को बैचेनी होना स्वाभाविक है और एक आपरेशन की तरह उसमें यह ख्याल रखें कि कहीं इतना ब्लीडिंग न हो जाय कि वह समाप्त हो जाय। आज जो सीलिंग का कानून बन रहा है, यह सामाजिक न्याय कायम करने के लिए बन रहा है और एक विशेष भू सुधार के तारतम्य में एक कड़ी जोड़ना चाहते हैं। तो हमें सामजिक न्याय के साथ देखना पड़ेगा कि कृषि उत्पादन में उसका असर न पड़े। आज हमारे सामने अखिल भारतीय स्टेटिसटिक्स हैं, उनके मुताबिक ७० मिलियन टन नाज तक की हमारी उत्पत्ति होने लगी है लेकिन हमें थर्ड फाईव ईअर प्लान तक १८० मिलियन टन की उत्पत्ति करनी है, तब हम कुछ कुछ स्वावलम्बी बन सकते हैं। ऐसी भूमिका में विशेष प्रकार से हमे सोचना पड़ेगा कि कहीं जो प्रिन्सिपल आफ रिफार्म्स हैं, वह हम हर्ट में डीपड्राइव न कर दे कि ब्लीडिंग होने से खत्म हो जाय। इस वस्तु स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें सीलिंग पर विचार करना पड़ेगा। कुछ भावावेश में यही भाषण हुए, मैं कहूँगा कि कुछ भावावेश इस प्रकार के थे जो सामायिक फैसन के लिहाज से आते हैं, कुछ भावावेश ऐसे थे, जो एक किताबी नालेज के आधार पर आते हैं, तो उन भावावेशों की भी एक प्रकार से कद्र करनी है लेकिन वस्तु-स्थिति को सामने रखते हुए, हमें कद्र करनी पड़ेगी। सवाल सबसे बड़ा यह उठा कि वेल इरीगेटेड जो जमीन है, उसके प्रति जो व्यवहार इस बिल में किया गया है, वह अनुचित है और उस बारे में कहते हुए कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इसमें समानता का आधार बिलकुल भुला दिया गया है और उन्होंने सामाजिक

Page No.54

(राव श्री नारायणसिंह)

न्याय की भी दुहाई दी । मैं यहाँ यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिस समय समाजिक न्याय को कायम करने की बात आती है, जिस समय कानून बनाते हैं, तो एक कानून का मूलाधार सामाजिक न्याय है, वहां जिस समय समानता और बराबरी का सवाल सोचना पड़ेगा, वहाँ हमें समानता को इक्वीलिटी की दृष्टि से नहीं, इक्वेनिमिटी की दृष्टि से देखना होगा । इक्वीलिटी और इक्वेनिमिटी में पृथक चीजें हैं। इसके अलावा जहाँ समानता का सवाल देखना पड़ेगा । वहाँ उपलब्ध साधन सीमा, जिनके ऊपर हम किसी प्रकार के प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं उसकी उपलब्ध साधन सीमा क्या है, यह भी देखना है और उपलब्ध साधन सीमा है, वह पहले से इतनी कम हो कि वह बड़ी मुश्किल से अपना निर्वाह कर पाता है तो उनके ऊपर कोई ऐसी चीज़ न लायी जाय, ऐसा परिवर्तन न लाया जाय कि वह छब्बेजी के बजाय चौबेजी बन जाय अथवा दुब्बेजी बन जाय। यह भी हमें ध्यान में रखना है क्योंकि हमें गरीबी नहीं बांटनी, हमें सामाजिक न्याय बाटना है, तो उस समानता में इस चीज को देखना पड़ेगा । उपलब्ध साधन सीमा के अलावा तीसरी चीज समानता का निष्कर्श निकालने में आती है, वह है निजी प्रयास। इसको भी ख्याल में रखना पड़ेगा। इन्कम टैक्स ला में इस निजी प्रयास को महत्व दिया गया है और डिस्काउन्ट दिया जाता है जब इन्कम टैक्स बाकिंग होता है। इन तीनों दृष्टि से वैल इरीगेटेड के लिए कुछ छूट दी गई है तो वह अनुचित नहीं है । मैं आपसे अर्ज करूँगा कि फ्लो इरीगेशन और लिफ्ट इरीगेशन में बहुत अन्तर है अच्छे अच्छे विशेषज्ञों की राय पढ़ी जा सकती है कि लिफ्ट इरीगेशन में जहाँ एक एकड़ जमीन की सिंचाई होगी, वहाँ फ्लो इरीगेशन से ढाई एकड़ की सिंचाई हो सकती है और दुगने से भी ज्यादा खर्चा लिफ्ट इरीगेशन में होता है। इसके अलावा फ्लो इरीगेशन, केनाल इरीगेशन में जो जमीन है, उसमें निजी प्रयास इतना नहीं है, उनको इतनी रिस्क कवर नहीं करनी पड़ती इमरजेन्सी की समस्या उनके लिए नहीं है । जहाँ वेल इरीगेटेड लैंड का सवाल आता है, हाँ ये सब चीजें मौजूद हैं और वेल इरीगेटेड जमीन में खर्चा ज्यादा पड़ता है, इस दृष्टि से हमें इन दोनों प्रकार के इरीगेशन के बीच में एक सीमा, एक सही प्रकार की लाइन खींचनी पड़ेगी और वहाँ हम समानता-और असमानता का विचार केवल इस दृष्टि से नहीं ले सकते कि एक को पाँच एकड़ मिले, तो सबको पाँच पाँच एकड़ मिल जाय, वह समनता कभी होती नहीं, समान अवसर देंगे हम। हम उनको साधन के लिए समान अवसर देंगे, इसमें समानता सिद्ध करेंगे लेकिन समान बटवारा नहीं करेंगे। हम गाय भैसों के लिए बांटा नहीं बाँट रहे हैं, हम आदमियों के लिए सामाजिक न्याय के अनुसार ऐसे साधन समान रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनसे बराबर कमाई कर सकें। जो सीलिंग का मूलाधार ही है, वह भी यह है कि हम कृषक क्षेत्र में एक समानता कर सकें और कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सकें। इसके अलावा जोतने वाले के पास जमीन रहे, यह पहली चीज है। दूसरी चीज, जोतने वाले की कमाई में कोई दखल न हो और जोतने वाले, के पास साधन हों, साधन की उपलब्धि हो। इन तीनों बातों को ध्यान

Page No.55

(राव श्री नारायणसिंह)

में रख कर हम कानून बनाते हैं। जहाँ कमाई का सवाल आता है, कई दृष्टान्त इस सदन की हवा में दिये गये। मैं कहना चाहता हूं कि वे बातें, कहीं ऐसी परिस्थिति पैदा न कर दें कि काश्त को छोड़ कर व्यक्ति विशेष शहर की तरफ दौड़े और जिससे हमें वोकेशन को बाँटना पड़े, इन्डस्ट्री और एग्रीकल्चर को अनुपात में बिठाना पड़े, वहाँ इस भगदड़ में न पड़ जांय कि एग्रीकल्चरल सेक्टर, इन्डस्ट्रीयल सेक्टर की तरफ दौड़ पड़े और भार पटक दे। हम ऐसी चीज भी नहीं पैदा करना चाहते हैं, जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि कृषि केवल अनपढ़ के लिए है, ऐसी ही मान्यता रह जाय और पढ़े लिखे हैं, वे केवल या तो बिजनेस से, या किसी उद्योग धन्धे से, या नगर में आकर नौकरियाँ ढूढने में ही और बेकारी के चक्कर में ही पढ़ाई का कमाल दिखाने लगें। इन चीजों की दृष्टि से हमें कोई भी कानून और खास तौर से भूमि सुधार के लिए जो सीलिंग का महत्वपूर्ण कानून है, जाँचना पड़ेगा। जहाँ उत्पादन में वृद्धि का सवाल आता है, उसके लिए विभिन्न प्रकार के दृष्टान्त दिये गये। यह कहा गया कि स्माल होल्डिंग्स में, छोटे खेतों में ज्यादा उत्पादन हो सकता है, बड़े खेतों में कम हो सकता है। यह भी विचार भेद है और यह भी विचार भेद है, यह विभिन्न देशों की प्रक्रियाओं से सिद्ध होता है। जापान में जरूर मौजूद हैं, क्योंकि जापान वाले प्रयत्नशील हैं, यह मैं कहूंगा उसका फल हुआ कि वहाँ सर्विस को-आपरेटिव्स हुईं और सारे साधन उपलब्ध किये और प्रयत्न किये और प्रति एकड़ पैदावार को बढ़ाया। यह कहना सरल है कि प्रति एकड़ पैदावार बढ़ानी है और छोटी होल्डिंग्स में ज्यादा पैदावार बढ़ सकती है लेकिन कहने के साथ ही तो अलादीन के लेम्प की तरह सिद्ध नहीं होगा......

इसके अन्दर जो कृषकों की जमी जमाई भावनाएँ हैं, उनमें बड़ा भारी आन्दोलन करना पड़ेगा, उन मान्यताओं को बदलना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा और उन्नत प्रकार के बीज, खाद और साधन वगैरह की उपयोगिता को उसके दिमाग में समावेश कराना पड़ेगा, वे स्वयं उनसे सन्तुष्ट हों तब वे उन्नत प्रकार की खेती छोटे होल्डिंग्स में कर सकेंगे। इसके साथ ही आज जो प्राइसेज का सामन्जस्य है वह भी मिटाना पड़ेगा।

तो आज हमें देखना है कि यह लक्ष्य सीलिंग से पूर्ण होता है कि नहीं, होता है तो कहाँ तक होता है और किस प्रकार मौजूदा स्थिति में लागू हो सकता है। कृषि की उपज के सम्बन्ध में मैं विशद प्रकार से अर्ज करूँ कि प्रति एकड़ जो आदमी कमाता है उसके कुछ आँकड़े अर्ज करूँ, साल और हर एक नाज की ली है। दो साल की आमदनी मेरी कूंत से चाही अव्वल में ११६५ रुपया है और खर्चा आता है, जिसमें इरिगेशन चार्जेज और लैंड रेवेन्यू शामिल हैं खर्चा है ६१५.६८, माइनस २८०.२।

चाही दोयम में आमद है ८५७.५० और खर्चा ८८६.८७, घाटा २९.३७ रहता है बारानी में आमद ५६० और ७९३.२१ खर्चा आता है और माइनस २३२.७८ रहता है। तालाबी १ में आमद है ६५५. और खर्चा आता है ५२० और ४३४.३८ बचत। तालाबी दो में आमद है ४३२.५० और ४८८.१२ खर्चा आ जाता है माइनस ५७.७२ बचता है।

(राव श्री नारायणसिंह)

यह प्रति एकड़ का हिसाब है और इस तरह हमारे काश्तकारों की अर्थ भूमिका है वह बनती है। इस तरह की फलावट के आधार पर ७० एकड़ जमीन एक काश्तकार के पास होती है तो उसके पास २४०० रु० बनता है और यह नेट आमदनी का मूलाधार लिया है। इस प्रकार २४०० बचते हैं। तो ५० प्रतिशत तो प्रोडक्शन की कोस्ट काटनी पड़ेगी और अगर उसके यहाँ ५ फेमिली मेम्बर्स हैं तो प्रति व्यक्ति ५० रुपया माहवार के हिसाब से ६०० रुपया काटना पड़ेगा। इसके अलावा इमर्जेंसी रिजर्वेशन, अकाल के लिए आवश्यकता, खेती में उन्नति करने के लिए अलग रखना पड़ेगा तो २४०० रु० ७० एकड़ सम्मिलित तरीके की जमीन पर बच जाता है। इसमें भी उसको कोई खास इजाफा नहीं।

इसलिए प्लानिंग कमिशन ने बार बार विचार किया, इस पर कांग्रेस में भी बार बार विचार हुआ और ४८००=५४०० नेट आमदनी को लिया गया।

मैंने अर्ज किया कि हमारे जन मानस पर बड़ा भारी बोझा पड़ रहा है, विचार संघर्ष हो रहा है : दो तरह की हवाएँ आ रही हैं, एक हवा मास्को की तरफ से आ रही है और दूसरी हवा आ रही है अमेरिका की तरफ से वे और हमारे यहाँ की हवा में मिलती हैं। इस विचार संघर्ष का एक उदाहरण कुछ माननीय सदस्यों ने रखा भी था और वास्तव में वह हमें मिलता है। जब ड्राफ्ट फाइव ईयर प्लान बना था तो सीलिंग का उसमें जिक्र नहीं था। इसके बाद जब फर्स्ट फाइव ईयर प्लान बना तो उसमें यह रखा गया कि पहले की जो भूमि है उस पर सीलिंग नहीं लागू होगा, जो नई भूमि है उस पर लागू होगा।

फिर भावना ने प्रवाह लिया और दूसरी विशेष परिस्थिति का दबाव आया तो सब तरह की भूमि पर इसे लागू करने की बात चली। इस दृष्टि से यह चीजें बनती चली गईं। पर सब की मान्यता है कि ४८००=५४०० रुपयों की आमदनी एक व्यक्ति के पास रहनी ही चाहिये। यह देखते हैं तो ७० एकड़ सम्मिलित भूमि की बजाय १४० एकड़ सम्मिलित प्रकार की भूमि एक व्यक्ति के पास रहे तो उसको इतनी आमदनी हो सकती है।

वैल इरिगेटेड लैंड के लिए छूट दी गई है, १० मन का आधार बिन्दु रख कर इसमें लें तो, वैल इरिगेटेड लैंड होगी उसकी फलाई बरानी के तरीके से की जाय १० मन का रखा गया तो जैसलमेर की भूमि में २ मन गेहूँ की पैदावार हो सकती है, ५ एकड़ में दो एकड़ मिलता है और इस तरह १५० एकड़ बनता है।

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि १५० एकड़, १०० एकड़ या ७० एकड़ जमीन आप एक व्यक्ति के पास छोड़ते हैं तो फिर रह क्या जाता है ? रहने का प्रश्न अलग है कि राजस्थान में क्या रह जाता है पर इसमें यह देखना है कि अगर हम यह निर्धारित नहीं करेंगे तो वास्तव में हम जो एक साइंटिफिक फोर्मूला है फेमिली होल्डिंग का, इकोनोमिक होल्डिंग का, उसके ऊपर पहुँचने में भी गड़बड़ कर जायेंगे।

आज इस मूलाधार की भावना में सबसे पहली आवश्यकता थी कि फेमिली होल्डिंग

(राव श्री नारायणसिंह)

और इकोनोमिक होल्डिंग को वर्क आउट कर के निर्धारित करते, पर आज का जो तकाजा है उसको देखते हुए १० मन की पैदावार है, उसको रख कर स्टेन्डर्ड एकड़ बनाया वह उचित है और वैल इरिगेटेड को छूट दी गई है वह असमानता का व्यवहार कभी नहीं कहा जा सकता। जहाँ साधनों की सीमा में बहुत कम दायरे में कमी रही हो वह असमानता नहीं कही जा सकती। ५० और ५५ की आमदनीवालों के बीच में असमानता की लाइन खींची जाती है वह वास्तव में वस्तुस्थिति से जानबूझ कर इन्कार करना है। तो वहाँ पर कोई असमानता का प्रश्न नहीं जाता। अब प्रश्न यह भी उठता है कि आज जो मुआवजा दिया जा रहा है। वह लैंन्ड एक्वि-जिशन एक्ट के मुआफिक दिया जावे और २०। २० गुणा मिलेगा और मारकेटिंग वेल्यू पर मिलेगा यह बड़ी असमानता है। अगर ऐसा कहते हैं तो मैं यह कहूँगा कि बिल को धोखा देना है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ लाखों करोड़ों एकड़ भूमि वाले हैं, उनके लिए तो इस प्रकार का प्रश्न उठने की जरूरत नहीं है लेकिन मध्यम वर्ग वालों के लिए तो प्रश्न पैदा होता है। वर्तमान में जो कानून हम बना रहे हैं तो ऐसे कानून हम बनावें जिससे वे अगर जमी खोवें भी तो उनको दर्द न हो। उनको पीछे पुर्नवास के लिए इन्तजाम हो जावे। इसलिए यह रखना पड़ता है और यह कोई नई चीज नहीं है। बम्बई में भी लैन्ड एक्विजिशन एक्ट के मुताबिक लोगों को मुआवजा दिया गया और वो न केवल परमानेन्ट प्रोपराइटरों को बल्कि ऊपर के तबके को भी। मैं इसका समर्थन नहीं करता लेकिन मैं यह कहूँगा कि अगर हमें विचार करना है तो जिन व्यक्तियों के पास १०० एकड़ से ऊपर हो उनके लिए आप एक अलग स्केल बना दीजिये। इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी और स्केल के मुताबिक दे दें। अगर आप १५० एकड़ का स्केल बनाते हैं तो उससे कम जमीन है उनके साथ इतनी कठोरता, उनको मुआवजा देने में करना कोई सामाजिक न्याय भी नहीं तो कोई समानता का आवेश भी नहीं। तो इस दृष्टि से हमें इस चीज को देखना है।

अब दूसरा प्रश्न इस सिलसिले में उठता है वह है वैल इरिगेटेड लैन्ड के अलावा, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि ३० एकड़ की सीमा आपने रक्खी है और आपने एक एकड़ को १० मन नाज को मिला कर एक स्टेन्डर्ड एकड़ की चीज बनाई है। आपने वह आज की वर्तमान भूमिका में और मौजूदा सभी परिस्थितियों में और दूसरी सभी बातों को ख्याल में लेते हुए बनाया हैं यह मेरे खयाल से बिल्कुल ठीक है और जैसे जैसे बाद में समय का तकाजा होगा बदल लेंगे। यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसको हमने बनाया है वह कोई कोन्सटीट्यूशन ओफ इन्डिया बन गया। यह बदल सकता है। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि यह यहीं खत्म हो जाये। और आज जब हम इस स्थिति को देखना चाहते हैं तो हमें हल लेकर कृषक के साथ जाना होगा और तभी हम अपना निश्चय दे सकेंगे। हम यहाँ पर पढ़ी पढ़ाई बातों पर अपनी निश्चय राय नहीं दे सकते परोपदेशे पाँडित्यम् भी हो सकते हैं। लेकिन हमें यह देखना है। जब सामाजिक न्याय का संपत्ति भाव उग्र हुआ तब समाजवाद का आन्दोलन हुआ। एक भावना के प्रतिभावना

(श्री नारायणसिंह)

उत्पन्न हुई और जब तक सामाजिक न्याय और सामाजिक भावों के अन्दर सम्पत्ति भाव समाविष्ट न हो जावे, बराबर दूध में शक्कर की तरह नहीं मिल जावेगा तब तक आन्दोलन चलता रहेगा। आज हमें वस्तुस्थिति को इस भूमिका में जो असल स्थिति है उसको देखते हुए और जिस क्षेत्र में हम कानून बनाना चाहते हैं उसकी समृद्धि को देखते हुए हमें कानून बनाना होगा और काम करना होगा।

दूसरी चीज मैं अर्ज करना चाहता हूँ वह है एन्कमब्रैंस के बारे में। आगे बिल में एक क्लॉज आता है जिसमें एन्कमब्रैंसेज का जिक्र है। जिस व्यक्ति पर कुछ एन्कमब्रैंस होगा वहाँ तो सीलिंग के जरिये जमीन ले ली जावेगी तो वह बराबर रहेगा। अब इसमें यह बात विचारने की है कि जहाँ छोटे छोटे पर या यों कहिये १०० एकड़ के नीचेवाले लोगों पर या एक आमदनी की सीमा बना कर इतनी नेट इन्कम होगी उससे कम होगी तो उसको एन्कमब्रैंस वेव कर दिया जावेगा, हटा दिया जावेगा। हम एग्रीकल्चर रीलीफ एक्ट बनाते हैं और हम कर सकते हैं। हम ऐसा बड़े काश्तकारों के लिए रख सकते हैं लेकिन जहाँ पर छोटे छोटे काश्तकारों का प्रश्न आता है उन पर दोहरी मार नहीं होनी चाहिये और एन्कमब्रैन्स से रिहाई होनी चाहिये। इसके बारे में बड़े बड़े फार्मों के लिये कहा और जिसमें शुगर फार्म का प्रश्न आता है उनको एग्जेम्पशन दिया गया है। इसके लिए कुछ माननीय सदस्यों की राय है कि उनको ही यह रियायत क्यों दी जावे? वे तो पूंजीपति हैं। वे तो शुगर फार्म को गलत तरीके से एक्सप्लोइट करते हैं। इस लिए उनके लिए यह लाजिमी हो जाना चाहिये कि अगर वे इसके लिये जमीन लेते हैं तो वह जमीन शुगर केन के लिए ही काम में ली जानी चाहिये और दूसरी चीज नहीं लगानी चाहिये। मगर इस बात को हमें याद रखना चाहिये कि जहाँ शुगर फेक्ट्री लगाई जाती है वहाँ गन्ने के उत्पादन के प्रयोग भी किये जाते हैं और एक्सपेरिमेन्टल फार्म भी होते हैं जहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जिस मालिक की फेक्टरी हो वह फार्म का मालिक नहीं होना चाहिये। जो मालिक हैं उन्हीं के फार्म हैं। यह तो हमारे यहाँ की व्यवस्था का दोष है और यह तभी बदलेगी जब कोऑपरेटिव की तरफ जावेंगे या नेशनेलाइजेशन की तरफ जावेंगे तब दूसरी बात होगी। आज हम एक्सपेरिमेन्टल फार्म उनको चालू रखने के लिए इजाजत देते हैं तो भी वह जमीन ५० या ६० एकड़ से ज्यादा नहीं होगी।

अब ओरचर्ड के बारे में प्रश्न आता है। इसमें कम्पेक्ट बनाने का क्लॉज है। मैं कहना चाहता हूँ कि ओरचर्ड कम्पेक्ट हो या न हो, अलग अलग जगह में हो, हमें उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। क्योंकि उनका कल्टीवेशन विशेष प्रकार का है। अगर हम उसमें हस्तक्षेप करेंगे तो एक प्रकार का उनके साथ अन्याय करेंगे क्योंकि यह तो ग्रोवज कलचर है। जब तक हम कोऑपरेटिव फार्मिंग को सफल न बना सकें, जब तक हम इस प्रकार की व्यवस्था न कर लें कि उनको अच्छी तरह से संभाल सकें तो ऐसी परिस्थिति में बनी बनाई परमानेन्ट चीज को हाथ में लेकर उसको न बिगाड़ें। ये ग्रवज चाहे एक जगह हों या स्कटर्ड हों हमें उनको छोड़ देना चाहिये। अनन्त स्वामी आयंगर ने भी कहा था कि ऐसे फार्म को बने रहने देना चाहिये।

Page No.59

(श्री नारायणसिंह)

आज हम भेड़ को पालते हैं तो ऊन के लिए बकरे को पालते हैं खिलाते पिलाते हैं तो उसको काटने के लिए। आयंगर ने मिसाल दी कि हमें ऐसे लोगों को पनपने देना चाहिये। जिस समय परिवर्तन आवेगा उस समय यह राष्ट्र के हाथ में बनी बनाई चीज आवेगी तो यह चन्द बातें अर्ज करके मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हमारे सामने जो सीलिंग बिल है चाहे वह यदि हम उसको एक ऐसी चीज में उतारें कि वह बिल्कुल खरा उतरे ऐसी बात तो नहीं है लेकिन आज की स्थिति में सारी वस्तु स्थिति का अवलोकन करने के बाद देखेंगे कि काफी ठीक है। मैं यह भी नहीं कहता कि इससे पूर्ण समाजवाद प्राप्त होगा। पूर्ण समाजवाद एक दम छूमन्तर से नहीं आता। अगर कोई एकतंत्रवादी संस्था पैदा हो जावे और वह भी करना चाहे तो छूमंतर में नहीं हो सकता। आज चीन में भी प्राइवेट इन्डिविजुअल्स हैं और उनको छोड़ा है। आज रूस और चीन में भी समाजवाद पूर्ण रूप से नहीं है। जहाँ सोशियल जस्टिश पूर्ण रूप से हो जावे जिस प्रकार मार्क्स कहा करते थे। यह तो एक प्राज्य है और उसको करने में अलग अलग प्रकार के तत्व लगे हैं। सोशियलिस्ट, कांग्रेसमैन और कॉम्यूनिस्ट. सभी अपने अपने तरीकों से तथ्यों को ढूँढना चाहते हैं। इस चीज को हम इटोपियन गवर्नमेंट की बात करें, यह हो नहीं सकता। हमें वस्तु स्थिति को ध्यान में रखना होगा। हमें जानवरों के झुण्ड नहीं बनाने हैं। हमें आदमियों को सामाजिक न्याय देना है और वह आदमियों की तरह समझ बूझकर तरीके से देवे।

अब मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि The Process land regorm should not be moved of deep that they break the heart of Agrarian conomy and it bleeds to death. यह खास चीज है और जब तक पूरी व्यवस्था न कर सकें हम ऐसी लगन अन्दर पैदा न कर दें, भूमिहीन के लिए साधन तो न बन सके लेकिन एक माँग ज़रूर उत्पन्न हो जाय।

मैं राजस्थान के स्टेटिस्टिक्स के बारे में अर्ज करना चाहता हूं।

(घंटी)

सिर्फ पांच मिनट।

राजस्थान में कल्टीवेटर्स ६१. ११

Cultivators of owned land-32% Non-cultivato:s-25% Agriculture labour 4. 35 percent, और हमारी कुल जमीन ८ करोड़ है और काश्त २ लाख ८६ हजार, बाकी फोरेस्ट इत्यादि में ४ करोड़ एकड़ रह जाता है। राजस्थान में केनाल भी आनेवाली है। उस समय लोग बसेंगे। उस समय के लिए माइग्रेशन का खयाल भी करना पड़ेगा। गाँव की बात अर्ज करता हूँ कि एक गाँव से दूसरे गाँव को १०, १५ मील दूरी पर भूमिहीन को ले जाना चाहें तो उनको ले जाने में काफी दिक्कत आती है। तो फिर एक विशेष वर्ग को उस जगह से हटा कर हम कहें कि सो, दो सौ मील पर जाओ और उनको बसाने की चेष्टा करें तो स्थानीय वातावरण बड़ा भारी विरोधी होता है। सीलिंग लगा रहे हैं तो फेमिली होल्डिंग का ख्याल करना चाहिए, कोऑपरेटिव फार्मिंग को तेजी से सिद्ध करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे स्मॉल होल्डिंग्सवालों को ख्याल होगा। इकोनोमिक

(श्री नारायणसिंह)

होल्डिंग के लिए भी पूर्ण विचार करना पड़ेगा और इसके साथ २ मैं कहूँगा कि गाँव २ में नक्शे बनने चाहिए कि कितने भूमिहीन हैं। वे किस वोकेशन में फिट हो सकते हैं ? कितनी भूमि खाली रह जाती है जिससे कि उनको कोऑपरेटिव या अन्यान्य कामों में जमाया जा सके ? कोऑपरेटिव की जब हम बात करते हैं तो उसको इतना जमाना पड़ेगा जिससे कि लोगों का ध्यान उस ओर अधिक से अधिक लगे और तब ही समूची दृष्टि से भूमि सुधार हो सकेगा।

जहाँ तक केवल सीलिंग का प्रश्न है यह बिल अपना काम करता है लेकिन जहाँ सारी व्यवस्था है, भूमि सुधारों का प्रश्न आता है, हमें अभी काफी मंजिलें पार करनी पड़ेगी, काफी रोड़े पार करने पड़ेंगे और मैं स्वयं मानता हूँ और हर एक मानेगा कि जन मानस, राष्ट्रीय मानस, हमारा स्वयं का मानस सत्य विचार और भावना के साथ होगा, हमारी प्रवृत्ति भावना के साथ होगी। आज हम जिस दृष्टिकोण से सोचते हैं, चाहे उसको ओपोजिशन कह दीजिये या सपोजिशन कह दीजिये, वह सारे दृष्टिकोण से सत्य नहीं है। हमें सपोजिशन भी नहीं करना है और ओपोजिशन भी नहीं करना है। वस्तु स्थिति को देख कर पार पटकने की कोशिश करना है और तब ही इस प्रकार के महत्वपूर्ण कानून पास कर सकते हैं। यदि ऊटपटांग विचारधारा में बात कर जांय और कानून की दिशा को ही घुमा दें तो हमारा इतना नुकसान नहीं होगा। हम १७६ मेम्बर हैं। हमारी बोलने की ख्वाहिश तो पूरी हो जायेगी, अखबारों में प्रसिद्धि भी हो जायेगी लेकिन हमारी असंतुलित बातें से उनका क्या हाल होगा जिनके बारे में आज इस कमरे में बैठ कर सोचते हैं ? इसलिए हमको ओपोजिशन और सपोजिशन के खयाल में गुमराह नहीं रहना है। हमें तो देखना है कि वस्तु स्थिति क्या है ?

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि कुछ माननीय सदस्यों ने यह राय दी है कि इस बिल को पीछा उसी सलेक्ट कमेटी में रिकमेन्ड किया जाय। मैं समझता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि थोड़ी रद्दोबदली करके इसको पास कर दिया जाय तो कोई खराबी नहीं है।

कई माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय,...

श्री सभापति : माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि जो माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं वे जितना समय निर्धारित किया गया है उसको दृष्टि में रख कर बोलेंगे क्योंकि अभी २२ सदस्यों के नाम मेरे सम्मुख हैं और और भी बहुत से सदस्य अपने विचार रखना चाहेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय,........

श्री सज्जनसिंह (बुंदी) : सभापति महोदय, मैं समय विभाजन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। समय का जो विभाजन अब किया जाता है तो पहले ही समय का विभाजन किया जाना चाहिये था जिस दिन से इस पर बहस शुरू हुई है। यदि अब

(श्री सज्जनसिंह)

समय का विभाजन करना चाहते हैं तो जो अब सदस्य बोलनेवाले हैं उनके लिए समय का प्रतिबन्ध लगाया जाना उपयुक्त नहीं होगा।

श्री सभापति : समय पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है लेकिन हमारे पास कितना समय है यह दृष्टि में रख कर माननीय सदस्यों को बोलने की प्रार्थना की गई है।

श्री सज्जनसिंह : इस बिल पर बोलनेवाले अधिक हैं इसलिए यदि उपयुक्त हो तो स्पीकर महोदय और बिजनिस एडवाइजरी कमेटी से एक दिन का समय इस पर और बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : आगे इस पर विचार किया जायेगा।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : यह महत्वपूर्ण बिल है जिस पर कि बहस हो रही है। अब तक करीब उन्हीं सदस्यों को बोलने का अवसर मिला है जो कि कमेटी में थे और जो उसमें नहीं थे उनको मौका नहीं मिला जो कि बोलना चाहते हैं। यदि समय निर्धारित कर दिया गया तो उपयुक्त नहीं होगा और जो लोग बोलना चाहते हैं उनको समय न मिलने के कारण बोल न सकेंगे।

श्री सभापति : जो नामावली मेरे पास है वह दलों की ओर से आई है। जो और सदस्य बोलनेवाले हैं उनका ख्याल रखा जायेगा। लेकिन मेरी प्रार्थना थी कि माननीय सदस्य स्वयं समय का ख्याल रख कर बोलेंगे तो उत्तम रहेगा।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): सभापति महोदय, राजस्थान टिनेन्सी सिक्थ अमेन्डमेन्ट बिल पर प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत है। रिपोर्ट देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूं कि यह रिपोर्ट इस प्रकार की है कि जिसको प्रगतिशील रिपोर्ट नहीं कहा जा सकता है। इसमें कुछ विशेष तत्वों के या प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में आकर तब्दीलियाँ की गई हैं उस पर विचार करने के लिए मैं आंकड़े प्रस्तुत करूंगा।

सबसे पहला जो परिवर्तन किया गया है वह है फेमिली के सम्बन्ध में। प्लानिंग कमीशन ने ७ के बजाय ५ किया है। मैं उसका समर्थन करता हूं लेकिन उनके सम्बन्ध में बताया गया कि ३० एकड़ भूमि दी जावेगी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि यह किस आधार पर रखा गया? क्या नया तरीका निकाला कि जिस भूमि में १० मन गेहूं पैदा हो वह एक एकड़ मानी जायेगी। एक लम्बाई चौड़ाई मानी जाती है लेकिन पैदावार के माने में उसको एक स्टेन्डर्ड एकड़ नहीं मान सकते। यह एक और नये स्टेन्डर्ड का नया तरीका निकालने का कहा गया है। जहां ३० एकड़ के लिए कहा गया उसके अन्दर केवल २०० रूपये की पैदावार होती है इसी को स्टेन्डर्ड एकड़ माना जाय और अगर हम उनकी बात को मान कर चलें जिसके अन्दर २०० रुपये की पैदावार हो उसको स्टेन्डर्ड माना जाय तो भरतपुर में जो एकड़ माना है आमदनी का उसमें २,४०० का ५० एकड़ माना जाता है वहां ५० एकड़ एक फेमिली को पड़ेगा। अगर इसी प्रकार से भरतपुर के इलाके में भूमिहीनों को ज़मीन

(डॉ० बहादुरसिंह)

बांटी जाय तो वह २. ६३. एकड़ एक व्यक्ति के हिसाब से आती है। उस व्यक्ति को हमारे स्टेन्डर्ड के मुताबिक १० एकड़ जमीन मिलेगी। भरतपुर के अन्दर निश्चित रूप से एक व्यक्ति के हिस्से में १० एकड़ जमीन आती है तो जनसंघी नेता के कथनानुसार यदि भूमि को बांटा जाय तो १२५ एकड़ बंट जायेगी। इससे होगा क्या कि वहां भूमिहीन लोग रह जायेंगे। इस तरह से जो हमारी समस्या थी वह उसी प्रकार रह जाती है। भूमिहीन लोगों के बारे में जैसा कि कहा गया है हमारे यहां ४ लाख लोग हैं जिनके लिये हम इस समस्या को हल कर रहे हैं। बहुत से सदस्यों ने यह भी कहा कि हम आमदनी की सीलिंग करने जा रहे हैं। यह आमदनी की सीलिंग नहीं यह सीलिंग तो भूमि के स्वामित्व के बारे में है। इसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं कि एक आदमी को २० या ३० एकड़ भूमि दी जायेगी और इस तरह से सब मिल कर कोऑपरेटिव फार्मिंग करके खेती कर सकते हैं और इस तरह से पैदावार में वृद्धि हो सकती है। लोग सीलिंग पर एतराज भी करते हैं। वे आक्षेप करते हैं कि सीलिंग की वजह से खेती की पैदावार कम हो जायेगी। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं इस प्रकार के भुलावे में किसान आनेवाला नहीं है। सीलिंग का मतलब केवल इतना ही है कि एक व्यक्ति के कब्जे में कितनी भूमि रहे। उसका सही२ निर्धारण करना और जिस व्यक्ति के पास इससे ज्यादा जमीन है उस भूमि को भूमिहीनों में वितरण करना और वह भी समानता के आधार पर करना, यह सीलिंग का मकसद है।

यह भी कहा गया कि सीलिंग की राजस्थान के अन्दर कोई आवश्यकता नहीं। उन माननीय सदस्य के सामने भरतपुर की नजीर सब से अधिक है। अगर वहां की भूमि को ४. ६८.' के हिसाब से मल्टीप्ल किया जाय तो वहां २० एकड़ के हिसाब से अधिक जमीन नहीं पड़ती। यह जो लिमिट है ३० एकड़ की मैं समझता हूं यह एक निश्चित आधार है। लेकिन सलेक्ट कमेटी के सामने जो एकड़ रखा था उसे बिल्कुल छोड़ दिया गया है। अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह ३० एकड़ का आधार आपने किस आधार पर रखा ?

इसी प्रकार भूमिहीनों के बारे में भी बहुत से आंकड़े सामने आये। जो ४० लाख इसमें दिये गये हैं मैं उसको तथ्यपूर्ण आँकड़े नहीं मानता। जो बड़े जागीरदार थे, जिनके पास जमीन थी उनके सब टिनेन्ट्स थे उन्हीं को काश्तकार माना है। सब टिनेन्ट को काश्तकार मान लिया गया है। सब-टिनेन्ट के लिए कुछ अधिकार दिये गये हैं। वास्तव में सब टिनेन्ट भूमिहीन है इसलिए यह ४ लाख की जो समस्या है वह काफी बड़ी है इतनी ही नहीं है इस सम्बन्ध में भी हमें क्लॉज बाई क्लॉज विचार करते समय सोचना पड़ेगा।

कम्पेन्सेशन के बारे में जो हमने यहां रखा है कि वह एक तरह से एक कानून के अन्दर दो कानूनों का समावेश किया गया है। टिनेन्सी एक्ट में मुआवजा देने का प्रावधान है लेकिन इसमें हमने लैंन्ड एक्वीजीशन एक्ट का आधार माना है। कोई ऐसा कानून ही नहीं होगा जिसमें एक ही कानून में दो प्रकार की विचारधारा हो। टिनेन्सी एक्ट में मुआवजा देते हैं लेकिन इस जगह लैंन्ड एक्वीजिशन एक्ट के अनुसार देने का रखा है। भूमिहीनों के पास पैसा कहां है जो

(डॉ० बहादुरसिंह)

मार्केट रेट उसकी दे सकें? मुआवजा या तो लैन्ड रेवेन्यू के हिसाब से रखा जाय या जो लैंन्ड रेट्स देते हैं उस हिसाब से रखा जाय। यह मार्केट रेट का कोई क्राईटेरिया नहीं है। इसलिए माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि जो रेट्स उन्होंने रखी मुआवजे को उसमें परिवर्तन करें। उनके भाषण से तो यह पता चलता था कि उन्होंने इसे भारी हृदय से स्वीकार किया है।

२. १७. म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

जो भूमिहीन है उनकी इन्कम को देखा जाय तो मौजूद जो रेट्स हैं उस हिसाब से ४४५ रु० वार्षिक की है। इस हिसाब पर-केपीटा १०४ पड़ता है और ऑल-इन्डिया पर केपीटा २६४ रुपया आया है। जो भूमिहीन हैं, जो ९८ दिन बेकार रहते हैं उनकी बेकारी को देखते हुए यह जो स्टेन्डर्ड हमने रखा है उसको कम करना पड़ेगा। सीलिंग की जो स्थिति है उसको बजाय ३० एकड़ के अधिक रखने से ३० से कम करना पड़ेगा। यह सीलिंग के बारे में सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है वह मूल बिल है उसे देखते हुए इसमें जमीन और आसमान का अन्तर है। इसको ठीक करने की ओर भी हमें कदम उठाना चाहिये। इसलिये जब हम क्लॉज बाई क्लॉज इस पर विचार करें तो जो ४ लाख लोग इस आशा से बैठे हुए हैं कि विधान सभा शीघ्र ही हमारे लिये कदम उठायेगी ताकि हम लोग अच्छी तरह हमारा जीवन यापन कर सकें।

इसके अलावा इस पर भी जरूर विचार किया जाना चाहिये कि एक कानून में दो प्रकार के कानूनों का समावेश न हो। इसके लिए या तो जमींदारी एबोलिशन में जो रेट रखी थी उसको लिया जाय या टिनेन्सी एक्ट में जो रेट रखी है उसको स्वीकार करें। जो हम पहले स्वीकार कर चुके हैं उसी को लेना चाहिये। लैण्ड एक्वीजीशन का आधार बिल्कुल गलत है।

फेमिली की जो बात है उसके लिए मेरा निवेदन है कि जब बच्चा पैदा होता है तब हम यह मानकर चलते हैं कि यह बालिग होगा और जो बालिग होगा वह आदमी होगा....

एक माननीय सदस्य : क्या यह जरूरी है?

डॉ० बहादुरसिंह : इस प्रकार जो व्यक्ति बालिग है उसका एक परिवार अलग माना जाय।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु०): वह तो परिवार नियोजन में आ गया है।

डॉ० बहादुरसिंह : ग्रान्ड-सन की जो बात है उसको एड नहीं करना चाहिये। ग्रान्ड-सन का जो सवाल है उसको फेमिली के अन्दर नहीं लेना चाहिये। इन शब्दों के साथ मेरा यह निवेदन है कि इस प्रगतिशील कानून पर जो सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है उस पर फिर से विचार करें और फिर सदन में प्रस्तुत की जाय।

श्री अमृतलाल यादव (जालोर-सु) : माननीय सभापति महोदय, सीलिंग बिल पर जो सिलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है उस पर कल से हमारे इस सदन में वाद-विवाद हो रहा है। सभी माननीय सदस्यों ने इसके ऊपर विचार प्रगट किये। मैं भी इस संबंध में

Page No.64

(श्री अमृतलाल यादव)

अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। यह निर्विवाद है कि हमारी राजस्थान सरकार भूमि सुधार के मामले में प्रगतिशील सरकार मानी जाती है और यह राज्य भी भूमि सुधार के मामले में प्रगतिशील रहा है। इसी भूमि सुधार के सिलसिले में सन् १९५३ के अन्दर सीलिंग कमेटी का एपोइन्टमेन्ट हुआ था। उस समय यह आशा थी कि इसकी रिपोर्ट एक साल में नहीं तो दूसरी साल अवश्य आ जायेगी और सीलिंग भी लागू हो जायेगा। किन्तु यह देख कर बड़ा दुख है कि १९५३ से लेकर आज १९५९ जा रहा है और अब जाकर सलेक्ट कमेटी उस पर रिपोर्ट देती है। फिर भी इसके लिए हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र है और अब यह आशा होती है कि सीलिंग आखिर लागू होकर ही रहेगा।

एक बात को सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि भरतपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि यहाँ तो सीलिंग की कतई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जमीन इतनी अवेलेबल है और ताज्जुब यह होता है कि ये जिस जगह से आते हैं, जिस जिले से आते हैं वहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेशर है जमीन पर और वहाँ सबसे ज्यादा भूमिहीन हैं, जहाँ की हालत ज्यादा खराब है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): उनके पास जमीन ज्यादा है।

श्री अमृतलाल यादव : उन्होंने एक और कही यह सीलिंग साइन्टिफिक तरीके से नहीं है व्यावहारिक नहीं है। आगे जाकर परिवार में जब वृद्धि होगी तो इसका क्या नतीजा होगा? गाँव में कहावत कही जाती है कि गोद का बच्चा है उसको तो फेंक दो और पेटवाले की आश करो। आज जो हमारे सामने समस्या है, जो आज भूमि के लिए तरस रहे हैं, दाने दाने को तरस रहे हैं, भीख मांगना नहीं चाहते, जो काम करके खाना चाहते हैं और जो खेती के सिवाय और काम जानते नहीं उनकी फिकर नहीं की जाती और फिकर की जाती है उनकी जिनके पास हवेलियां हैं, बड़े बड़े खेत हैं, ट्रैक्टर हैं, मोटरें हैं। तो आज कोई इस समस्या पर सोचता नहीं है। तो यह कहना कि फ्यूचर में क्या होगा होगा? क्या मेरे घर में अगर बच्चे ज्यादा पैदा होंगे तो जमीन में अधिक पैदावार बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर यह एक्सपर्टों की रिपोर्ट भी है कि जमीन की पैदावार को ४ गुना तक अधिक बढ़ाया जा सकता है। जापान ने कैसी तरक्की की, यह अभी किसी माननीय सदस्य ने कहा। तो ज्यादा परिवार बढ़ेगा तो इस तरह मिल कर ज्यादा उत्पादन करेंगे।

अब एक माननीय सदस्य ने फरमाया कि लैण्ड की भूख बढ़ा दी है ......

डॉ० बहादुरसिंह : पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, एक माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठे सदन में अखबार पढ़ रहे हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर ऑर्डर। सोने से तो अच्छा ही है। आप जारी रखिये।

श्री अमृतलाल यादव : जमीन की भूख बढ़ गई है, कहा गया। नतीजा यह होगा कि जमीन की हालत खराब हो जावेगी। इसका असर जमीन के उत्पादन पर पड़ेगा। इस पर उन्होंने सुझाव दिया कि उद्योग धन्धों

Page No.65

(श्री अमृतलाल यादव)

की वृद्धि होनी चाहिए ताकि काफी लोगों को इसमें लगा सकें।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह उद्योग धन्धे का सुझाव अच्छा है पर आप आज देखें कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में को-ऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। अब इसमें केपिटल भी चाहिये। जिसके पास केपिटल नहीं है वह क्या करेगा? जिसके केवल दो हाथ पैर हैं वह तो खेती ही कर सकेगा। पर जिसके पास साधन हैं वह इन्वेस्ट कर सकता है धन्धों में। तो आज जिसके पास इन्वेस्ट करने को है वह तो जमीन का मोह छोड़ने को तैयार नहीं बल्कि यह चाहता है कि अधिक जमीन मिले और अधिक ट्रेक्टरों से उसमें वह काम करे और जिसके पास जमीन नहीं, पैसा नहीं उससे अपेक्षा की जाती है कि वह जमीन का मोह छोड़ दे, यह कहाँ तक मुमकिन है? जिनके पास पैसा है, जो उसको धन्धों में लगा सकते हैं वे मोह छोड़ें। वे पहल करें। अगर वे ऐसा करेंगे तो मैं एश्योर करना चाहता हूं कि हम कोशिश करेंगे कि कि उनको सरकार और रुपया उधार दे। तो मैं इस बात को गलत मानता हूँ कि पैसेवालों को जमीन और दी जावे। यह भुलावे में में लानेवाली चीज है। जो इस प्रकार जमीन पर प्रेशर की बात करते हैं वे वेस्टेड इन्टरेस्ट को सेफ कर रहे हैं। वास्तव में जो जरूरतमन्द हैं उनको वे नहीं देना चाहते।

आगे एक सज्जनने कहा कि सीलिंग से फूड प्रोडक्शन पर बड़ा असर पड़ेगा। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, यह गलत बात है। मैं कहना चाहता हूँ कुम्भलगढ़ में एक बीघे में कितना मक्का पैदा होता है। इसी तरह भरतपुर में एक मामूली काश्तकार एक बीघे में, राजस्व मन्त्रीजी यहाँ बैठे हैं, मैं अगर गलत कहूँ तो वे दुरुस्त कर दें, पर मैं उन्हीं के बताये आँकड़ों के आधार पर कह रहा हूँ, कितना अनाज पैदा करता है। उसको पड़त जमीन दी गई। पर उसने अपनी मेहनत से दो साल में ही इतना अच्छा बना लिया और इतना पैदा करना शुरू कर दिया कि २५ साल से बोई जानेवाली जमीन से भी वह ज्यादा अच्छी हो गई। ठूंठे निकाले, उसमें हल चलाया, आबाद किया, सारा परिवार उसमें रात दिन जुट पड़ा और दो साल में इस लायक बना लिया कि एक बीघे में कम से कम सात मन बाजरा पैदा किया। मेरे पास सबूत हैं इसके। फिर ऐसा भी मौका आया कि आगे जाकर उससे वह जमीन भी छिन गई। फिर कोई बन्जर जमीन पकड़ा दी। इस तरह के उदाहरण आम तौर से आते हैं। यह उदाहरण इसलिए दिया कि किसान आज कितना मोह जमीन से रखता है और कितनी मेहनत से उस पर काम करता है और कितना उत्पादन बढ़ाने में अपने को और अपने परिवार को खपा देता है। रात दिन बीबी बच्चों के साथ उसमें काम में जुटा रहता है। जबकि दूसरी ओर पैसेवाले अपने फार्मों पर किराये के आदमियों से उत्पादन करना चाहते हैं। तो यह कहना कि सीलिंग से किसान का स्टेन्डर्ड लो होगा कहाँ तक उचित है?

आखिर हम विचार करें कि किसान के माने क्या हैं? खाली जमीन कितनी है, किसान कितने हैं, सीलिंग के कितने परसेन्टेज पर इसका असर होगा और कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा? इन सब बातों को तोल कर देखें और यह भी देखें कि हमारा जो उद्देश्य है सोशियेलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का हम उसकी तरफ जाते हैं या नहीं?

(श्री अमृतलाल यादव)

यह हमें देखना होगा। हम चाहते हैं कि डेसपेरिटी कम हो तो जितना हमें इस तरफ बढ़ सकते हैं बढ़ना चाहिये। लेकिन अगर नहीं बढ़ते हैं तो इसका नतीजा यह होगा कि यह डिसपेरिटी मिटने-वाली नहीं है। आंकड़े हमारे सामने हैं। कुल राजस्थान में ८ करोड़ एकड़ जमीन हमारे पास है। ३ करोड़ में इस समय खेती होती है। इसमें से ३४ लाख एकड़ जमीन इर्रीगेटेड है। ३ करोड़ ऐसी है जो कृषि योग्य है पर पड़त है। २ करोड़ नहीं है। कुल मिला कर ८ करोड़ होती है। इधर १८ लाख ऐसे परिवार है जो १० एकड़ से कम जमीन पर काबिज हैं। ४॥ लाख ऐसे हैं जिनके पास १ एकड़ से कम है लगभग ३।४ लाख भूमिहीन हैं। इनका सवाल भी आता है।

तो अब जिनके पास जमीन है वे कोई २ परसेंन्ट होंगे जिन पर इसका असर पड़ेगा सीलिंग का और जिनसे जमीनें छीनी जावेंगी। पर इसका भी उनको कम्पेन्सेशन मिलेगा और उनके पास भी इतनी जमीन तो रहेगी कि जिससे वे अपना इकोनोमिक होल्डिंग रख सकें। तो इन परिस्थितियों में मैं इस रिपोर्ट को बहुत उत्तम मानता हूँ और जोरदार शब्दों में इसका समर्थन करता हूँ। इस बिल को जल्दी से जल्दी पास करके हम इसको लागू करें इस बात को मैं चाहता हूँ। यह जब तक लागू नहीं होगा राजस्थान के अन्दर अन्न का उत्पादन अधिक नहीं हो सकेगा और राजस्थान के अन्दर जो भूमिहीनों की जबरदस्त बर्निंग प्रोब्लम है और जो ज्वलंत समस्या है, मैं यह मानता हूँ कि इससे भी यह समस्या निश्चित रूप से पूरी की पूरी हल नहीं होगी। लेकिन फिर भी रुपये में से ४ आना, ६ आना, ८ आना जितनी भी हल हो सके उसको तो हल करने की कोशिश की जानी चाहिए। अगर वह कोशिश नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हम केवल उन्हीं लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके पास साधन हैं और जो साधनहीन हैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। यहां पर इस समय प्रतिनिधित्व करने या नहीं करने का सवाल नहीं है लेकिन जब हमने यह निश्चित किया है सोशियेलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी होनी चाहिए तो उसके अन्दर उन लोगों का ध्यान भी रखा जाना चाहिए कि जो लोग आपके यहां बसते हैं और जो लोग खेती करके अपना काम और जीवन बिताना चाहते हैं। मैं राजस्थान गवर्नमेंन्ट को यह निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे जहाँ तक मालूम हुआ है उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है लेकिन फिर भी अर्ज करना चाहूँगा कि इस तरफ पूरा पूरा ध्यान रखा जाये कि जो जेनुइन कल्टीवेटर हैं और जो सही माने में कृषक हैं और भूमिहीन हैं उनको जरूर प्राथमिकता मिलनी चाहिए और जो काश्तकार नकली बनना चाहते हैं उनके ऊपर जरा चैक रहे। इसके लिए मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि इसका ध्यान रखा जाये।

अब जो सीलिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है उसके सम्बन्ध में तीन, चार बातें कहना चाहता हूं। सब से पहली बात तो यह है कि ओरीजिनल बिल में सलेक्ट कमेटी में जाने से पहले जो परिवार के सदस्यों की संख्या थी वह ७ थी और अब सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट से ऐसा मालूम पड़ता है कि उसने परिवार के सदस्यों की संख्या ५ कर दी है। मैं

(श्री अमृतलाल यादव)

समझता हूँ कि अगर यह संख्या ७ ही रहती तो कुछ और लोगों को जमीन मिल सकती थी। इसलिए गवर्नमेंट इस बात पर विचार करे कि परिवार के सदस्यों की संख्या ५ न करके ७ ही रहने दी जाये।

इसके बाद में उन्होंने वैल इर्रीगेशन के लिए यह कहा कि जो बारानी जमीन है उसके बराबर ही वैल इर्रीगेटेड जमीन को मानेंगे और उसके लिए उन्होंने यह दलील दी कि इससे जो लोग खेती करनेवाले हैं उनको इम्पीटस मिलेगा, एनकरेजमेन्ट मिलेगा कि उनकी जो बारानी जमीन है उसमें वे काश्त करें। इसमें कोई शक नहीं कि जो आदमी कुंआ खोदता है वह उसमें कुछ पैसा लगाता है और कुंआ खुदानेवाले ज्यादातर मिडिल क्लास के किसान हो सकते हैं और इसके अलावा जो उससे सिंचाई होती है उसमें भी नहर की सिंचाई से ज्यादा खर्चा आता है। मैं इसको मानता हूँ और इसको मानने के साथ ही मैं समझता हूँ कि इस बात पर कुछ लिबरली विचार करना जरूरी है। लेकिन मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ कि इसको बारानी जमीन के बराबर कर दी जाये, इससे इम्पीटस मिलेगा और एनकरेज-मेन्ट मिलेगा। मैं चाहता हूं कि एक बीघा जो कुंए से सींचा गया है—मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि कम से कम वह दो बीघा बारानी के बराबर माना जानी चाहिए। अगर तीन बीघा नहीं मान जाये तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। क्योंकि हम प्रेक्टिकल वे से भी देखें तो राजस्थान के २६ जिलों में से एक गंगानगर को छोड़ दिया जाये और भीलवाड़ा में मेजा बाँध है या दो, चार जगह बाँध हैं, चम्बल कब आयेगी और कब पानी ? देगी पता नहीं लेकिन जो वैल इर्रीगेटेड लैंड है वह काफी तादाद में ऐसे किसानों की हैं कि जो कुए से खेती करते हैं और कुंओं में भगवान की कृपा से अच्छा पानी है। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने पैसा इनवेस्ट नहीं किया। मैं यह नहीं कहता कि उनकी बहुत अच्छी हालत है। लेकिन उस आदमी के साथ गैर इन्साफ होगा और साथ ही यह भी ध्यान में रखना है कि जमीन से आदमी को बड़ा मोह होता है। अगर एक आदमी को अपने ही गाँव में ५ बीघा जमीन मिल जाती है तो वह उससे गुजर कर लेगा मगर दूसरी जगह २५ बीघा मिलती हो उसको भी नहीं लेगा। अगर आप थोड़ा सा यह कन्सेशन कर दें तो थोड़ी बहुत जमीन और उपलब्ध होगी। मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि जमीन वहीं की वहीं मिल जाये और किसान को दूसरी जगह न जाना पड़े। इस लिए मैं इस तरफ भी गवर्नमेन्ट का ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

अब आगे सवाल आता है ट्रान्सफर का। यह एक बिल्कुल सोचने की बात है कि जिस बात की चर्चा जिस समय से हो आदमी की यह स्वाभाविक वृत्ति है कि वह उस पर अमल कर देना शुरु कर देता है। आपने सीलिंग के लिए कमेटी सन् '५३ में अपोइन्ट की और अब आप ट्रान्सफर का जो सवाल है वह सन् '५७ से करना चाहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि सन् '५३ से '५७ के बीच में जितने भी ट्रान्सफर्स हुए वे सब वैध हो गए और सन् '५७ के बाद में जितने भी ट्रान्सफर्स हुए उनके ऊपर आप चैक लगाना चाहते हैं। एक तरफ से यह डिस्पेरिटी है। जिन लोगों ने ट्रान्सफर किए उनमें आप फर्क करना चाहते हैं। सीलिंग के सवाल को लेकर जिन लोगों ने

(श्री अमृतलाल यादव)

ट्रान्सफर्स किये हैं उन लोगों को आप दो क्लास में बाँट देते हैं। एक तो उनकी जो कि सन् '५३ से '५७ तक ट्रान्सफर कर चुके। वे तो मौज में रह गए और एक वे लोग कि जिन्होंने '५७ से लेकर आज तक ट्रान्सफर किए हैं। उन पर आप चैक करना चाहते हैं। आखिर आप ही बताइये कि उन्होंने क्या कसूर किया है? अगर आप चैक ही करना चाहते हैं तो जब से इसकी चर्चा चली तभी से आप इसको कन्सीडर कीजिये। मैं इसके लिए माननीय राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूँगा कि वे ट्रान्सफर के सवाल को जब से सीलिंग कमेटी अपोइन्ट हुई उसी तारीख से इस सवाल को लें तो ज्यादा मुनासिब बात रहेगी।

अब आगे जाकर एग्जम्पशन की बात आती है। एग्जम्पशन में वैल मेनेज्ड फार्म और शुगर फार्म रन बाई शुगर फैक्टरी। कल को तो एक बिस्कुट की फैक्ट्रीवाला कहेगा कि मुझको गेहूं चाहिए इसलिए मैं भी एक फार्म बनाना चाहता हूं। इसलिए मुझे फार्म को बनाने देना चाहिए क्योंकि मेरी फैक्ट्री सफर करेगी। शुगर फैक्टरी इसलिए सफर करे कि उसको गन्ने नहीं मिलेंगे। तो आप देखें कि शुगर का प्रोडेक्शन कितना है? इतना प्रोडेक्शन उसका होता है कि जहाँ फैक्टरी चल सकती है। आप इस बात को मानते हैं कि एक शुगर फैक्टरी एक केपिटेलिस्ट लगाता है और एक पर्टीक्युलर कैपीटल इनवेस्ट करता है और उसका फार्म भी उसके साथ में सुरक्षित करना चाहते हैं कि वह इतना गन्ना पैदा करे कि उससे उसकी फैक्टरी चलती रहे। लेकिन वह किसान जिसका गन्ना पड़ा सड़ता रहता है उसको कोई नहीं उठाता है उसकी आपको कोई फिक्र नहीं है। अगर यह फिक्र नहीं करते हैं तो हम सोशियेलिस्टिक सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं या केपिटेलिज्म की तरफ जा रहे हैं, इसका अन्दाजा स्वयं लगा सकते हैं यह समझ में नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेन्ट इस बात पर विचार करे। अगर आपने इस बात को मन्जूर कर लिया कि शुगर फैक्टरी चलानेवाला शुगरकेन फार्म लगाये तो फिर आप इससे भी इन्कार नहीं कर सकते कि मैं एक कपड़े की मिल लगाता हूँ तो कपड़े के लिए कुल गाँठें रूई की चाहिए तो मुझे भी इतना बड़ा फार्म देना होगा कि जहाँ रूई पैदा हो और मेरा मिल चलता रहे। इससे आप इन्कार नहीं कर सकते अगर आप शुगर फैक्टरी की बात मन्जूर करते हैं तो। यह एक प्रिंसिपल की बात है। यह प्रिन्सिपली रोंग है कि एक को तो आप एग्जम्पशन दे दें और दूसरे को नहीं। इसका नतीजा बहुत खराब होगा। यह जो एग्जम्पशन है वह शुगर फैक्टरी को बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए।

अब वैल मेकेनाइज्ड फार्म की बात आती है। अभी माननीय जनसंघ के सदस्य बोले थे। मैं उनसे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा जरूर हुआ हूं...

श्री मदनसिंह (दाँता रामगढ़): आप तो उनसे प्रभावित हुए और हम उनसे ज्यादा तो आपसे प्रभावित हुए और इसलिए कि आप वही कर रहे हैं जो जनसंघ चाहता है।

श्री अमृतलाल यादव: हरिजनों को जमीन नहीं मिलेगी और को-ऑपरेटिव फार्म्स को भी जमीन मिलेगी। को-ऑपरेटिव शायद

(श्री अमृतलाल यादव)

बहुत अच्छी चीज है। मुझे उससे मोह है। लेकिन मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ कि को-ऑपरेटिव फार्म से मतलब वैल मेनेज्ड फार्म से है क्या, कि जिसके अन्दर उसे भी कहा जा सकता है? अगर १० हरिजन मिल करके को-ऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं और वे ट्रेक्टर नहीं खरीदते हैं और अपने पुराने तरीके से बैल और हल से काम करते हैं। अगर आप उसको को-ऑपरेटिव सोसाइटी मानते हैं और उसको एग्जम्पशन देते हैं तो मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप यह कहते हैं कि वह को-ऑपरेटिव सोसाइटी नहीं हो करके को-ऑपरेटिव फार्म है और फार्म के माने वैल इफिशियेन्ट मेनेज्ड और मेकेनाईज्ड फार्म है तो उसके बाद में मुझे थोड़ी सी शंका थी। तो मैं शंका निकालना चाहता हूँ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के कारण हरिजनों को जमीन नहीं मिलेगी। इस बात को मैं नहीं मानता हूँ। हरिजन इन्डिविजुअल को नहीं मिलेगी तो मैं उसके लिए चिन्तित नहीं हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमारे देश ने निर्णय किया है, यह नीति निर्धारित की है कि इन्डिविजुअल के ऊपर प्रिफरेन्स समूह को दिया जाय तो बेशक हम लोग हरिजन भी इस बात को मानना चाहते हैं। अगर इस बात में १, २ हरिजनों या ज्यादा हरिजन इफेक्टेड होते हैं, उनका नुकसान होता है, तो हम लोग आपको एश्योर करना चाहते हैं कि हम उनके नुकसान की वजह से देश की नीति को बदलवाने का आग्रह नहीं करते हैं। आपने यह निर्णय लिया कि एक व्यक्ति को जमीन न देकर कोऑपरेटिव सोसाइटी को दी जायेगी। हरिजन भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेंगे। अगर नहीं बनायेंगे तो सफर करेंगे। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी को उसी तरह से एक्सेप्ट किया जाय, इसको मैं थोड़ा सा एक्स्प्लेन करना चाहता था।

उसके बाद एक जरा सी बात और मुझे अर्ज करनी है। कम्पेन्सेशन देने का मामला जो तय किया जायेगा वह मारकेट वेल्यू से होगा। मैं समझता हूँ यह मुनासिब नहीं है। मारकेट वेल्यू के बजाय असल में तो यह लैण्ड रेवेन्यू के बेसिक पर होना चाहिए। क्योंकि यह जमीन खेती की जमीन है। और खेती की जमीन की आज कितनी कीमत बढ़ गई है। आज उस तरह से देखेंगे तो बड़ा भारी बर्डन आता है, और यह ज़रा सामाजिक न्याय की दृष्टि से मुनासिब नहीं है। इसलिए मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूँगा कि यह विचार करने की बात है। कम्पेन्सेशन जरूर दिया जाय। बड़े बड़े जागीरदारों को कम्पेन्सेशन दिया है। और लोगों को दिया है तो इन लोगों को भी दें। जब हम एक जगह यह सिद्धान्त मानते हैं तो वह मानना चाहिए यहाँ भी। यदि वहाँ पर उस तरीके से नहीं किया होता और उनको कम्पेन्सेशन नहीं मिलता तो इनको भी नहीं मिलता। आपने जब एक प्रिन्सीपल तय कर दिया तो मिले। लेकिन यदि वह मिले तो सोशियल जस्टिस के आधार पर मिले। और उसके लिए मैंने अर्ज किया है कि वह रेन्ट रेट के आधार पर मिलना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ तक सीलिंग का सवाल है हम यहाँ केवल राजस्थान में ही लागू नहीं कर रहे हैं। यह सीलिंग हमारे देश के दूसरे प्रान्तों में भी लागू होने जा रही है। कुछ प्रान्तों में हो गई

(श्री अमृतलाल यादव)

है और कुछ प्रान्तों में नहीं हुई है वहाँ पर बराबर होगी।

श्री परसराम (आमीन) : कितने प्रान्तों में लागू हुई है ?

श्री अमृतलाल यादव : मेरे पास आपकी तरह से कितने प्रान्तों में लागू हुई है वह डेटा तो है नहीं। मैं तो मोटी बुद्धि का आदमी हूँ और मोटी अकल रखता हूँ। २, ४ प्रान्तों में लागू हुई है। और जिनमें नहीं लागू हुई है उनमें लागू की जायेगी। इस बात को मैं मानता हूँ।

सीलिंग की जो नीति देश ने निर्धारित की है वह नीति इसलिए निर्धारित की है कि आज हमारे देश को आगे बढ़ाना है। तो सीलिंग एक आवश्यक चीज़ है। और हमने सीलिंग को इस तरह से यदि नेग्लेक्ट किया तो इसका नतीजा यह होगा कि हमारे देश की जो एग्रेरियन पॉलिसी है और जो सामाजिक समता के न्याय की नीति है वह डिस्टर्बेन्ड हो जायेगी।

मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी और राजस्थान सरकार को इस बात का बराबर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अब तक जो कुछ जिन प्रान्तों ने सीलिंग लागू हुआ है उसका उन्होंने अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद राजस्थान की स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल जो कुछ व्यावहारिक दृष्टि से हो सकता था उसको कन्सीडर किया है और सोचने की कोशिश की है और इसलिए ही मैंने दो चार सुझाव देने की कोशिश की है। क्योंकि जो विचार करता है, कन्सीडर करता है और सोचता है उन्हीं से आशा रखी जा सकती है कि वे उस बात को कन्सीडर करेंगे। बिल्कुल ही जो विचार न करे वहाँ पर कुछ कहने की गुन्जाइश नहीं होती है।

इन शब्दों के साथ माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सीलिंग का जो सवाल है वह हमारे देश का अहम सवाल है। इसके ऊपर हमारे देश के हज़ारों, लाखों गरीबों की रोजी का सवाल है, उनके जीवन निर्वाह का सवाल है। उन लोगों को न खाने को रोटी मिलती है, न पहिनने को कपड़ा मिलता है, न रहने को मकान है। यह सीलिंग लागू हुआ तो उन लोगों को रोटी, कपड़े और मकान की राहत मिलेगी और वे लोग यह महसूस कर पायेंगे कि आज हमें ११ साल हो गये हैं आज़ाद हुए लेकिन उनके लिए वह आज़ादी सफल आज हुई है। वह आज़ादी प्रत्यक्ष में साकार हो सकेगी, वे भी आनन्द उठा सकेंगे और अपनी मेहनत के ज़रिये देश की पैदावार को बढ़ा कर देश की सेवा कर सकेंगे।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय सभापति महोदय, कल से सीलिंग के विषय में हमारे सदन में वाद-विवाद हो हो रहा है। इस पर कई माननीय सदस्यों ने जो सारे देश की आर्थिक स्थिति को हल करने के सुझाव दिये हैं और उन्हीं के साथ साथ मैं भी अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

माननीय चेयरमैन महोदय, यह जो सीलिंग होना जरूरी है और यह होकर रहेगा। उसका मैं समर्थन करता हूं। बाकी यह सीधे हाथ से कान नहीं पकड़ कर उल्टे

(श्री हीराभाई)

हाथ से कान पकड़ा जा रहा है। उसका मैं विरोध कर रहा हूं। माननीय चेयरमैन महोदय, अगर किसी किसी जिले में जमीन ज्यादा है और कुछ जिलों में बिल्कुल कम है, और वहाँ पर आप ३० एकड़ की एक सीमा निर्धारित करते हैं, और ३६००) रु० या २४००) रु० की आमदनी की सीमा निर्धारित कर रहे हैं। यह करने का मतलब यह है कि–अनवेला घोड़ा और मीटा चना (?) एम हो जायेगा। ३६००) रु० का उत्पादन करने के लिए एक आदमी चाहे जितने एकड़ जमीन अपने कब्जे में रखेगा। उनकी जाँच करने के लिए हमारी सरकार शुरू से ही अपनी स्थिति ऐसी रखती है कि उससे न तो ढंग से ही राहत हो सकती है और न पूरे रूल के अनुसार उनको सजा दी जा सकती है। जो सीमा निर्धारित की है वह कुछ लोगों के लिए अच्छी है और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल गलत है। उसमें क्या होगा? यही होगा कि जैसे कि फसल का पटवारी लोग सर्वे करते हैं। और पाक निर्धारित किया जाता है। उस वक्त वे लोग कई लोगों के गाँवों में और खेतों में पाक ५० मण होने वाला है वहाँ पर ५ मण लिख दिया जाता है और कई गाँवों में जहां ५ मण है वहाँ ५० मण लिख दिया जाता है। यह क्यों लिख दिया जाता है? इसलिए कि सरकार का मतलब है ऋण वगैरह वसूल करने का। इसलिए वहां पर पूरा पाक लिख दिया जाता है। कोई अपना रिश्तेदार है या अपनी पार्टी का कोई आदमी है जिसको खतरे में नहीं डालना है उसकी तरफ जहां ५० मण का है वहां ५ मण का बताया जाता है तो उसका मतलब यह हुआ कि जहां ३६०० रु० आमदनी है वहां उसका कोई ख्याल नहीं किया जायेगा। हमारा रिश्तेदार होगा या साथी होगा ३,६०० क्या ५,००० या ५०,००० की भी आमदनी होगी तो वहां २ हजार की आमदनी बतायेंगे क्योंकि उनको जमीन दिलानी है। यदि उसकी गुंजायश नहीं रहती तो सीलिंग का रूप अच्छा कैसे बन सकता है? इसलिए सीलिंग का रूप ऐसा बनाया है कि या तो रिश्तेदारों को आगे बढ़ाने के लिए या पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सीमाएं निर्धारित की हैं। यह न तो भविष्य में काम आनेवाला है और न जनता इस पर निर्भर रहेगी और न जनता की रोटी रोजी की समस्या इससे हल हो सकती है।

दूसरी बात यह है कि साधारणतः ३० एकड़ पर सीलिंग रखा है। एक तरफ ३,६०० रु० रखे हैं और दूसरी तरफ ३० स्टेन्डर्ड एकड़ पर सीलिंग की बात रखी है जब कि आज बहुत सी जगह किसी किसान के पास ५ या १० एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं है। वहां पर भूमिहीन किसान कितने हैं इसकी गिनती करें तो मैं समझता हूं कहीं पर २५ परसेन्ट से कम नहीं हैं तो कहीं पर ५० परसेन्ट तक से कम नहीं हैं। आपने यह भी बताया कि जिन एरियाज में भूमि की सीमा निर्धारित की जायेगी वहां पर निर्धारित सीमा से ज्यादा भूमि किसी के पास होगी तो उससे छीनी जायेगी। यदि ऐसा है तो वहां के भूमिहीन लोगों को कौनसी जमीन देंगे। वहां पर ३० एकड़ से ज्यादा या ३६०० से ज्यादा इन्कमवाली भूमि किसी के पास नहीं है तो वहां पर भूमिहीनों का मसला कैसे हल होगा? क्योंकि वहां पर ५ या १० एकड़ जमीन है इससे ज्यादा जमीन मालदार लोग हैं उनके पास भी मुश्किल से होगी। हमारे डूंगरपुर, प्रतापगढ़ या बाँसवाड़ा के एरिया में जो गदरों पर सोनेवाले आदमी हैं उनमें से ८,

Page No.72

(श्री हीराभाई)

१० आदमियों के पास ही इतनी जमीन होगी। उनकी जमीन छीनने से वहां के भूमिहीनों का मसला हल नहीं होगा। या तो आपको यह करना था कि वहां के जो भूमिहीन किसान हैं उनको देने के लिए वहां पर १० या १५ एकड़ से ज्यादा जमीन किसी को नहीं देनी चाहिये। जहां पर ३० एकड़ से ज्यादा नहीं है वहां न तो बंटवारा होनेवाला है और न सीलिंग लागू होनेवाला है और न भूमिहीनों का मसला हल होनेवाला है और न उनका कोई उपयोग है और न वहां पर कोई कल कारखाने हैं जिनसे वे अपना भरण पोषण कर सकें। तो जो नीति रखी है वह पक्षपात पूर्ण है इसके सिवाय कुछ नहीं समझ सकते। वहां तो १०, १५ एकड़ से ज्यादा सीलिंग नहीं होना चाहिये। मैं अपने एरिया की बात कहता हूं यह नहीं कि बीकानेर या और किसी एरिया की बात नहीं कहता हूँ। आपने नक्शे में डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, कोटा, अलवर आदि की हालत को देखा होगा। ऐसी हालत में जो सीमा निर्धारित की जा रही है उससे भूमिहीनों का आप पोषण कर सकेंगे, ऐसी बात नहीं है।

तीसरी बात यह है कि मैं कल से सदन में सुन रहा हूँ कि ३० एकड़ बहुत कम है। किसी ने तो ६० एकड़ रखने की बात कही। किसी ने खर्चा होना बताया कि इतना खर्चा होगा, बचत नहीं होती लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि खर्चा क्यों होता है? मैं खुद किसान हूँ, खेती करनेवाला हूँ तो मेरी खेती पर खर्चा क्यों होना चाहिये? मैं खुद हल चलाता हूँ। बैलों के लिए या और साधन के लिए खर्चा चाहिये तो सरकार से ऋण या सहायता लेकर खेती के साधन जुटा सकता हूँ। लेकिन ६० एकड़ का खर्चा बतादें तो वह मदकमाऊ लोगों के लिए खर्चा होगा लेकिन हाथ से काम करनेवालों के लिए खर्चा नहीं होता। मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ, वही मेरा धंधा है, फिर मजदूर लगाने और दूसरा तरीका लगाकर हजारों रूपये खर्च करने की मुझे क्या जरूरत है? मुझे खेती का काम अपने हाथ से करना होगा। मैं अपने पेट के लिए खेती करता हूँ। रोजी, रोटी और कपड़े के लिए खेती करता हूँ और मेरी जो आमदनी होगी वह मेरे साल भर के खर्चे के लिए होगी यह नहीं समझते हैं कि किसान खेती करेगा और उस पर खर्चा करेगा तो क्या कहीं बाहर से लाकर करेगा? खर्चा तो उसकी खेती की कमाई में से ही होगा। इसी खेती की आमदनी से वह शादियाँ करेगा या और जो रीति-रिवाज होते हैं वह सब पूरा करेगा और खेती की आमदनी में से ही यह खर्चा निकालेगा। तो फिर किसान पर कौनसा खर्चा आयेगा। यह खर्चा बताकर दुनिया को अंधा बनाकर आप अपने कब्जे में रखना चाहते हैं क्या, या इस तरह के हजारों बहाने लगा कर जमीन को अपने हाथ में रखना चाहते हैं? इसलिए यह जो खर्चे के बारे में वाद-विवाद हो रहा है वह वास्तव में कोई खर्चा नहीं है। साल भर का खर्चा निकालने के लिए ही वह खेती करता है। १० या ५ हजार की आमदनी निश्चित की है उसी से खर्चा चलायेगा। नहीं तो खर्चा करने और खेत में अनाज नहीं हो तो वह आदमी जिन्दा रहने की कोशिश ही क्यों करे? उसे तो एक अच्छा सा तालाब ढूँढना चाहिये डूबने के लिए। हमारा खेती के लिए काहे का खर्चा होगा?

Page No.73

(श्री हीराभाई)

५ आदमियों की फेमिली है उसमें से ३ मेहनत करेंगे। और उत्पादन करेंगे। यह हो सकता है कि मेरे हाथ पैर टूटे हुए हैं या शुरू से आरम्भ में जान फँसी हुई है तो खर्चा जरूर लगेगा। इस युग में हमें आरम्भ के सामने देखना पड़े तो जिन्दगी से दूर होना पड़ेगा या दूसरों को दूर करना पड़ेगा। यह नीति ठीक नहीं है।

एक बात यह कही जाती है कि सवाल जागीरदारों का है। लेकिन जागीरदारों की कोई बात नहीं हैं। ज्यादा जमीन की बात है। उनको मुआवजा देने की बात है। अब या तो भूमिहीन किसानों के लिए यह मानलें कि ये हमारे हिन्दुस्तान के बाहर के आदमी हैं और घर के आदमी नहीं हैं या। तो यह तरीका निर्धारित करना चाहिये कि मुआवजा दिलाना छोड़ कर भूमिहीन किसानों को हिन्दुस्तान से बाहर करदें तो मसला हल हो सकता है। क्योंकि जागीरदार भी कहते हैं कि इससे कम जमीन रखेंगे तो विद्रोह और आन्दोलन होगा और उधर देखें तो भूमिहीन खेती करनेवालों के पास जमीन नहीं है उनको यदि जमीन देने को कहा जाय तो हमारे पास हमला हो रहा है इसलिए यह करना चाहिये कि भूमिहीन किसानों को हिन्दुस्तान के बाहर भेज दिया जाय। उनको यदि हमें अपने घर का आदमी मानना है तो एक घर में माता, पिता, पुत्र, पुत्रियों का जो परिवार होता है उसी दृष्टि से जमीदारों और भूमिहीनों को एक समान मान कर और एक साथ मिला कर उनकी रोटी रोजी का इन्तजाम करना है। यदि ऐसी मानते हैं तो भूमिहीन को भूमि देनी होगी और उनके रोटी रोजी का साधन उपलब्ध करना होगा। तब तो हम अपने घर के मानें, देश के मानें, तो कोई मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। जिसके पास जमीन है और जमीदार के लिए जो जमीन छोड़ देते हैं उससे गुजारा करेंगे, उनको मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। यदि घर के मानें तो कोई जरूरत नहीं है मुआवजा देने की। रोटी है तो उसे बाँट कर खायेंगे। यह बात नहीं है कि यह हमारे दुश्मन हैं इसलिए जमीन की कीमत लेकर खायेंगे। एक काश्तकार के लिए १०, ५ साल मुआवजे के लिए किश्त के लिए कायम कर दें तो इसका मतलब यह हुआ कि एक गधी थी। उसके १२ बच्चे हुए। लेकिन उसकी पीठ का बोझ कम नहीं हुआ। क्योंकि गधी गरीब है, उसकी पीठ पर बोझ लदा रहेगा। यह किसान १० साल तक तो जमीदार की भूमि का मुआवजा देगा, उसका खेत १० साल में जाकर ठीक होगा और इस बीच में जितना खर्चा होगा वह सेठ साहूकार से कर्जा लेकर भूमि ठीक करेगा और जमींदार को मुआवजा चुकाता रहेगा। यह नीति बिल्कुल गलत है। (घन्टी)। इससे तो जिस समय किसान मजदूरी करता था, अपने सिर पर बोझ उठा कर मजदूरी करता था। वह अच्छा था। इसलिए मैं चाहता हूँ। कि किसान से लेकर मुआवजा न दिया जाय। गवर्नमेन्ट को यदि देना है। और जमीदार से सम्बन्ध रख कर राजनैतिक स्वार्थ पूरा करना है, शासन में तोड़ फोड़ न हो, इस डर से करना है तो राज्य सरकार अपने कोष से पैसा लेकर मुआवजा दे, किसान से मुआवजा न लिया जाय और जमीन ज्यादा से ज्यादा एरिया के मुताबिक १५ एकड़ से ज्यादा न दी जाय और दूसरे एरिया में जो सीमा निर्धारित की है उसके अनुसार दी जाय।

(श्री हीराभाई)

इसके अलावा यह भी है कि आपने अन्दाज लगाया है कि १० मन पैदावार एक बीघे में होगी। मैं समझता हूँ कि हमारा पहाड़ी इलाका है, वहाँ १० मन के बजाय १५ मन पैदावार एक बीघा में हो सकती है। लेकिन हमारी लापरवाही से नहीं होता है। अगर वैसे ही आप रखना चाहते हैं तो इसका मतलब होगा कि किसान रोते रहेंगे और कहेंगे कि मेरा पेट नहीं भरता है, मुझे और सहायता दो। एक तो उनकी लापरवाही, दूसरे उनके पास साधन नहीं हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि उनके लिए साधन जुटाये ताकि वे अच्छी खेती कर सकें। (घंटी) चेअरमैन महोदय, थोड़ी सी बात और कह दूं।

दूसरी बात है सहकारी के विषय में। इसका बिल में तो उल्लेख नहीं है वैसे यहाँ बातचीत चल रही थी इसलिए जरा.......

श्री सभापति : बिल में नहीं है तो रहने दीजिये।

श्री हीराभाई : माननीय सदस्यों में चर्चा हो रही थी।

श्री सभापति : सब का जवाब देने की जिम्मेदारी नहीं है।

श्री हीराभाई : मैं जानकारी देना चाहूँगा।

श्री सभापति : एक मिनट में कह दीजिये।

श्री हीराभाई : चेअरमैन महोदय, सारी बातों में न जाकर मुझे यह अर्ज करना है कि सीलिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, व हमारा सीलिंग का बिल बना है उसमें कई तरह के परिवर्तन करने हैं। मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि बिल को प्रवर समिति को दिया जाय। ऐसे जाते जाते काफी अर्सा हो गया है। मैं समझता हूँ कि लोगों में शंका पैदा हो रही है इसलिए जल्दी से इसे हाउस में पास किया जाय और क्लॉज बाई क्लॉज पास किया जाय। मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूँगा कि अपनी उम्मीद को भूल कर, अपने छुटपन को न समझें और गरीबों की गरीबी को दूर करने की दृष्टि से जिन धाराओं में कमी है उनको दूर करने की चेष्टा करें, यही मुझे निवेदन करना था।

श्री सभापति : श्री लक्ष्मीचन्द।

(कुछ माननीय सदस्यों के भाषण देने के लिए खड़े होने पर)

Shri Laxmi Chand. None has spoken from Ram Rajya Parishad. Let him have a chance.

श्री लक्ष्मीचन्द (साँचोर) : सभापति महोदय, सीलिंग बिल पर सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट से ऐसा महसूस होता है कि हमारी सरकार राजस्थान की जनता को एक भुलावे में डालना चाहती है। जिस प्रकार जालोर के किले में भूल भुलैया है, उसमें किसी आदमी को छोड़ दिया जाय। तो वह गुमराह हो जाता है और उसको मालूम नहीं रहता है कि किस रास्ते से निकले उसी प्रकार इस बिल में राजस्थान सरकार ने स्टेन्डर्ड एकड़ को माना है, एक फेमिली के लिए ३० एकड़ रखेंगे। स्टेन्डर्ड एकड़ किस प्रकार मुकर्रर करेंगे, इसलिए सेपरेट एजेन्सी मुकर्रर करनी पड़ेगी और कृषकों को भुलावे में रखेंगे और

(श्री लक्ष्मीचन्द)

उन्हें वकीलों के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। ३० स्टेन्डर्ड एकड़ के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक गाँव में भी आपको एक किस्म की जमीन नहीं मिलेगी यानि अलग अलग काश्तकार के इन्डीविजुअल केसेज खड़े होंगे। सरकार के सामने स्टेन्डर्ड के इन्डिविजुअल केसेज खड़े होंगे। इससे परेशानी होगी, मुसीबत खड़ी होगी। आप स्टेन्डर्ड एकड़ मानने के लिए क्या करेंगे ? एक काश्तकार के पास बारानी जमीन है। वह एक बीघे में पाँच मन अनाज पैदा कर सकता है। दूसरे काश्तकार के पास भी वही जमीन है, उसके पास की ही जमीन है, उसी गाँव में जमीन है, वह केवल एक मन पैदा करता है। वहाँ स्टेन्डर्ड एकड़ मानने के लिए क्या माप रखेंगे ? आपकी उसमें और परेशानी होगी और कई किस्म की उलझनें आयेंगी क्योंकि यह काश्तकार की काश्त पर डिपेन्ड करता है। एक काश्तकार के पास जमीन है, उस पर वह अधिक मेहनत कर अधिक अनाज पैदा करता है। दूसरे के पास जमीन वही है उसमें एक मन भी नहीं हो पाता है। इस प्रकार कहते हैं :

ऊँचा खेत ओखला
माँये बेलू रेत।
मण आवे मण नीवजे
ए खखरधजी रा खेत ॥

एक खेत है। वह का वह है। एक मेहनत करके उस खेत के अन्दर जो बारानी जमीन है उस पर मेहनत करके अनाज पैदा कर सकता है जिससे ज्यादा अनाज नहीं पैदा हो सकता परन्तु दूसरे के पास वही जमीन है उसमें मेहनत नहीं करता है और एक मन बोता है लेकिन एक मन का चौथाई हिस्सा भी पैदा नहीं होता है। आपने राजस्थान की जनता को भुलावे में रखा है कि स्टेन्डर्ड एकड़ मान लेंगे। अलग अलग जमीन है, अलग अलग किस्म की है। अलग अलग प्रकार की है। अलग अलग काश्तकार। है पैदा करने वाले अलग अलग हैं। मेहनत करनेवाले अलग२ हैं, फिर स्टेन्डर्ड एकड़ मानने के लिए सैकड़ों किस्म की उलझन पैदा होगी। काश्तकारों के लिए पहले सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट खोल दिया। उन्होंने सेटलमेन्ट विभाग से मुकाबला किया, वह खत्म हो गया तो फिर कन्सोलीडेशन डिपार्टमेन्ट आ गया। उससे लड़ना शुरू किया। अब आप एक और पैदा करना चाहते हैं, एक एजेन्सी और डिपार्टमेन्ट खोलना चाहते हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि सीलिंग जल्दी लागू हो और दूसरी तरफ ये उलझनें पैदा होंगी। इसका परिणाम यह होगा कि स्टेन्डर्ड एकड़ आप तय नहीं कर सकेंगे। एक जगह अगर ज्यादा मान कर चलेंगे तो दूसरी जगह कम मान सकते हैं। इससे उलझनें पैदा होंगी। अब प्रश्न यह नहीं है कि जागीरदारों को खत्म कर रहे हैं। अब तो सब काश्तकार हो गये हैं। यह सबके लिए परिस्थिति हो गई है स्टेन्डर्ड एकड़ मानने की। जिस दिन से सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट तैयार हुई है उस दिन से यह भावना पैदा हो गई है कि अगर हमने अधिक जमीन को उपजाऊ किया तो हमारी जमीन कम न रह जाय क्योंकि यह चीज रखी है कि स्टेन्डर्ड एकड़ १० मन से ज्यादा उपज का नहीं होगा। ऐसी जमीन या इस कीमत की जमीन, तो लोगों के दिल में भावना हो गई है कि जब तक राजस्थान सरकार स्टेन्डर्ड एकड़ न मान लें, गवर्नमेन्ट जब तक यह मान ले कि अमुक बीघे के बराबर होगी स्टेन्डर्ड एकड़ तब तक

(श्री लक्ष्मीचन्द)

लोग अपना यह ध्येय बना लें कि अपन कम उपजाऊ बनाओ जमीन क्योंकि हर एक आदमी सोचता है कि मेरे पास धन अधिक रहे। यह कोई नहीं सोचता है कि मैं अपना धन दूसरों को दे दूँ। तो हर एक आदमी सोचे बैठा है कि किसी प्रकार मेरे पास अधिक जमीन रहे तो इन कानूनों की शरण लेते हैं। सरकार कितने ही कानून बना दे, कमरे में किसी आदमी को बन्द कर दे तो भी आदमी तो यही सोचेगा कि कौनसे दरवाजे से मैं बाहर निकल सकता हूँ! सरकार ने कह दिया कि ३० एकड़ से ज्यादा नहीं रहेगा और १० मन गेहूं की उपज जिस भूमि में हो उसको एक स्टेन्डर्ड एकड़ मानेंगे तो लोगों ने अपनी उपज कम कर दी है कि जब सरकार स्टेन्डर्ड एकड़ मुकर्रर कर देगी तो बाद में अधिक अन्न उपजावेंगे। तो इस प्रकार तो जिस समस्या को हल करना चाहते हैं वह समस्या और भी उग्र रूप में हमारे सामने खड़ी हो जायेगी। सरकार ने हर प्रकार की जमीन की रेट तय कर रखी है। उपज के लिहाज से रेट तय कर रखी है। कम उपजाऊ है तो उसकी कम रेट है और अधिक उपजाऊ है तो अधिक रेट मुकर्रर की है। तो सरकार को तय करना चाहिये कि १०० रुपया बीघोड़ी देनेवाले तक की जमीन नहीं लेंगे। स्टेन्डर्ड एकड़ वाली बात तो ठीक नहीं बैठती। साँचोर में और तरह की रेट में गेहूँ मिलता है। जोधपुर में ऊँची रेट में गेहूँ मिलेगा। और जयपुर में उससे भी ऊँची रेट में गेहूं मिलेगा। १० मन गेहूँ की उपज को स्टेन्डर्ड एकड़ माना जाय। उसके हिसाब से ३० एकड़ में ३०० मन गेहूँ अगर एक काश्तकार पैदा करता है तो उसकी ३,६०० रुपया कीमत हुई। एक फेमिली में ५ मेम्बर शुमार किये हैं तो ५ मेम्बरों के लिए ३,६००रु० की साल भर की आमदनी हुई। कहीं भी चले जायँ ६ आने पाव से कम कहीं पर भी रोटी नहीं मिलेगी। एक आदमी के लिए १२ आने की सुबह और १२ आने की शाम को रोटी चाहियेगी। इस हिसाब से ५ मेम्बरों की एक फेमिली के लिए ७॥) रु० रोज के खाना खाने के चाहिये। कोई टमाटर, चटनी, पापड़ की जरूरत नहीं। घी की जरूरत नहीं। सिंपल खाना खाना चाहें तो ५ आदमियों की फेमिली का ७॥) रु० रोज का खाने खाने का खर्च हुआ। एक महीने के सवा दो सौ रुपये और १२ महीने के २,७००) रुपये खाने का खर्च होता है। आखिर मेहमान भी जहाँ घर है वहाँ आते ही रहते हैं। पहिनने को कपड़ा भी चाहिये और उस जमीन को जोतने के लिए, ३० एकड़ जमीन को जोतने के लिए ६ महीने मेहनत करनी पड़ती है। एक आदमी की एक रुपया रोज की मेहनत भी गिनी जाय तो ५ आदमियों की एक महीने की १५० रुपये की मेहनत हुई और ६ महीने की मेहनत के ९०० रुपया होता है, तो इस तरह २,७०० रु० खाने खर्च के ९०० रुपये मजदूरी के ३,६०० रुपया तो इसमें ही खर्च हो गया। फिर आखिर मेहमानों के लिए भी चाहिये, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी चाहिये, समाज के और भी रीति-रिवाज होते हैं। तो इस प्रकार बचत का सवाल तो रहा दूर। इस कानून में जिस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है उससे तो खर्चा भी निभाना मुश्किल हो जायेगा। ऐसा लगता है कि इससे तो सरकार की नीति यह जाहिर होती है कि काश्तकार हमेशा ही कर्ज में दबे रहें, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा न सकें और अन्धे के अन्धे ही बने रहें। इससे तो साफ जाहिर है कि राजस्थान का किसान ३,६००

Page No.77

(श्री लक्ष्मीचन्द)

रुपये से ज्यादा पैदा नहीं कर सकेगा तो फिर वह कहाँ से बच्चों को पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था करेगा और कहाँ से ६,००० रुपया बचा कर इलेक्शन लड़ेगा ? इसके साफ माने यही हुए कि यह हुकूमत पढ़े लिखे लोगों के हाथ में ही रहेगी ।

एग्जेम्प्शन का जहाँ आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि गरीब किसानों को जिन्हें कि वास्तव में एग्जेंपशन मिलना चाहिये उनको किसी भी प्रकार का एग्जेंपशन नहीं मिलेगा । यह तो सरकार अपने कृपा पात्रों के लिए बैकडोर खोल रही है । सरकार के कृपा पात्रों को ही एग्जेंपशन मिलेगा । जो कांग्रेस के कृपा पात्र हैं, सरकार के इशारों पर नाचनेवाले हैं, सरकार के इशारों की पाबन्दी करने वाले हैं उन्हीं को यह एग्जेंपशन मिलनेवाला है न कि ऑर्डिनेरी किसानों को । जो बड़े बड़े फार्मसवाले हैं उनसे आप उम्मीद करते हैं कि उनसे आपको जमीनें मिलेंगी तो आप मुगालते में हैं । वे लोग तो एग्जेंपशन्स में रह जायेंगे। अच्छी फर्म है तो उससे आप ले नहीं सकेंगे और आखिर इस प्रकार बेचारे गरीब किसानों से ही जमीनें ली जायेंगी । जब आप कहते हैं कि दूसरों से भी लेंगे तो यह तो एग्जेंपशन मन्त्रियों के कृपा पात्र, कांग्रेस के आदमी हैं उन्हीं को मिलेगा । एग्जेंपशन गरीब काश्तकारों को नहीं मिलेगा ।

१० मेम्बर्स की बड़ी फेमिली के लिए ज्यादा से ज्यादा ६० एकड़ भूमि रखने की बात आपने मानी है । अमूमन यह देखा गया है कि काश्तकारों के यहाँ खाने को दाना नहीं है और खड़ने को खेत नहीं है वहाँ औलाद खूब मिलेगी । १० से ज्यादा उसके बच्चे हैं तो ६० एकड़ से ज्यादा जमीन तो उसको मिलेगी नहीं । कई कई काश्तकारों के तो दस, दस, पन्द्रह २ बच्चे हैं । गाँवों में आपको दो चार फेमिली भी ऐसी नहीं मिलेगी कि जिनके दस, पन्द्रह बच्चे नहीं हैं । तो इन लोगों के लिए यह भूमि अपर्याप्त ही नहीं बिल्कुल कम रहेगी ।

जाति के बेसिस पर सरकार ने आँकड़े तैयार किये हैं । पहले के समय में जाति के आधार पर पेशा किया जाता था । काश्तकार का लड़का काश्त करता था और बनिये का लड़का व्यापार करता था । पहले जाति के आधार पर धंधे किये जाते थे पर आज वह समय नहीं रहा । आज देखा जाता है कि काश्तकार का पढ़ा लिखा लड़का काश्त में दिलचस्पी नहीं दिखायेगा । जालोर का एक छोटा सा जिला है और एज्यूकेशन में वह परसेंटेज के लिहाज से पिछड़ा हुआ है । वहाँ पर पढ़े लिखे काश्तकारों के लड़कों की तादाद भले ही कम हो पर कोई मिडिल पास भी काश्तकार का लड़का है तो काश्त को छोड़ कर सर्विस की तरफ जाता है। इसलिए जाति के आधार पर आँकड़े नहीं बनाने चाहिये कि काश्तकार का लड़का चाहे पढ़ा लिखा है तो भी जमीन उसको देंगे । जाति के आधार पर काश्तकार की व्याख्या नहीं करनी चाहिये ।

इसके सम्बन्ध में मुझे एक किस्सा याद आ गया । एक ब्राह्मण ने देखा कि महाजन लोग व्यापार करते हैं इसलिए ज्यादा मालदार होते हैं। इसलिए मैं भी व्यापार ही करूँगा। उसने क्या किया कि किसी भाई सेठसे रुपया एक हजार कर्ज लिया और उन एक हजार रुपयों के टीपरे खरीद लिये । ब्राह्मण तो

(श्री लक्ष्मीचन्द)

ठेहरा । उसको यह मालूम नहीं कि बारह महीने बाद टीपणे तो किसी काम के नहीं रहते। साल भर में बहुत कम टीपणे बिके और बाकी सारे के सारे पड़े रह गये। लोगों ने जिन्होंने उसको रुपये कर्ज दिये थे आकर अपने रुपये मांगे। टीपणे तो यों के यों पड़े रहे वह पैसा उनको कहाँ से देता? उसने हार मानी और कहा :

बिणज करो रे बाणिया मैं बिणजां सूं धाया।
अबके टिपणा बिक जावे तो मैं गंगाजी नहाया।

तो इस प्रकार आप किन्हीं दूसरों से लेकर किन्हीं ऐसे शख्सों को काश्त करने के लिए भूमि दे देंगे तो उन पर वह इसी प्रकार का बोझ हो जावेगा और लगान देना भी उनके लिए मुश्किल हो जावेगा। आप यह सोच रहे हैं कि जिसने कास्तकार अपने को लिखा दिया वह कास्त करनेवाला है। अगर आप उसको जमीन दे देंगे तो धान की प्रोब्लम और भी मुश्किल हो जावेगी। इसलिए मैं सदन के माननीय सदस्यों का ज्यादा समय न लेकर यही कहूँगा कि यह सीलिंग की बात है वह एक प्रकार से गमराह करनेवाली है। यह कास्तकारों और बड़े बड़े फार्म वाले दोनों को गुमराह करने वाली है। कोई यह समझे बैठे हैं कि उनको जमीन मिलेगी तो कोई यह समझते हैं कि उनके बड़े बड़े फार्म एग्जेम्प्ट हो जावेंगे। यह दुतर्फी बात है। जिस प्रकार नाई हजामत बनाता है और काँच दिखाता है जिससे आगे और पीछे दिखाई देता है उसी तरह दोनों को गुमराह करनेवाली चीज है। हमारी सरकार उसी तरह से दोनों तरफ का काँच दिखाना चाहती है। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि 'लिख्या बिन मिले नहीं भली वसत का भोग' लोग यह सोचते हैं कि फलां आदमी को ४ हजार रुपये मिलते हैं और वह एक बड़े पद पर है मगर मुझे पाई नहीं मिलती मगर जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही उसको फल भोगना पड़ता है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगना होगा। जब आप जानते हैं कि हाथ की पांचों उंगलियें भी बराबर नहीं होती हैं तो आप यह कैसे कर सकते हैं? मेरे को तो यह कम संभव दिखाई देता है। आप कास्तकार की बात कहते हैं। आप सरकार की मशीनरी में जो आपके हाथ में है और आपके इशारे से नाचती है उसको भी बराबर करके नहीं दिखा सकते। तो राजस्थान के काश्तकार को ३० एकड़ भूमि देकर दिखादेंगे, यह संभव नहीं दिखाई देता। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसमें बहुत सी उलझनें हैं उनके लिए स्पष्ट नीति बतावें और जब तक सरकार अपनी नीति स्पष्ट न करे तब तक इस पर कन्सीड्रेशन नहीं किया जाये।

श्री सभापति : आपके कथन के मुताबिक सीमा कितनी होनी चाहिये?

श्री लक्ष्मीचन्द : मैं तो सैद्धान्तिक रूप से इस बिल का कतई समर्थन नहीं करता। क्योंकि किसी को भगवान ने कर्म के अनुसार दिया है वह ठीक है। यह स्पष्ट है कि 'लिख्ये बिना मिले नहीं भली वस्तु का भोग।' १०० रुपये के लगान पर ...

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) : सभापति महोदय, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के छठे एमेन्डमेंट पर जो वाद-विवाद कल से हो रहा है, मैं भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। यह तो वास्तव में एक एक क्रान्तिकारी कदम राजस्थान के लिए

(श्री तेजमल बापना)

है कि आज सदन इस सीलिंग के बिल को पास करने के लिए उपस्थित है। यों तो हिन्दुस्तान के कई प्रदेशों ने सीलिंग के कानून को पास कर दिये हैं। अलग अलग स्टेटों में अलग अलग व्यवस्था रखी है। यहाँ भी सिलेक्ट कमेटी ने अपनी विचार धारा के अनुसार कुछ सुधार करके यह बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया है। इस बात से तो करीब करीब सभी सहमत हैं कि राजस्थान ऐसा प्रान्त है जहां पर जो भूमि है उसका वितरण हो और उसका वितरण होना बहुत आवश्यक है। कितनी भूमि एक परिवार के साथ रहनी चाहिये और वह परिवार कितने सदस्यों का हो, इसमें कुछ मतभेद जरूर है। जो सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है उसमें एक परिवार ५ सदस्यों का हो और उसके लिए स्टेन्डर्ड ३० एकड़ जमीन रहनी चाहिए और उस स्टेन्डर्ड एकड़ की व्याख्या इस प्रकार की है कि उसकी उपज १० मन गेहूं हो या १० मन गेहूं की कीमत का कोई दूसरा अन्न हो उसके बराबर हो। मैं समझता हूं कि यह जो फोरमुला सलेक्ट कमेटी ने प्रस्तुत किया है वह एक उलझन भरी वस्तु होगी और इसका पूरा मापदंड होना चाहिये वह होना बड़ा कठिनाई से हो सकेगा। इसलिए अलग अलग तहसीलों में, अलग अलग जिलों में एकड जमीनों से है, अधिकतर भूमि की अधिकतम सीमा रखी जावे तो अधिक उलझन में नहीं पड़ना होगा और एक सीधा तरीका भूमि के वितरण का हो सकेगा। क्योंकि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जमीन की किस्म अलग अलग है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जमीन की उपज बहुत अच्छी है तो कुछ जगह ऐसी हैं जहां वर्षा काफी अच्छी होती है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल वर्षा नहीं होती है और उपज बिल्कुल नहीं के बराबर है। इस परिस्थिति को देखते हुए अलग अलग तहसील वाइज जैसा कि प्रारम्भ में अधिकतम भूमि वितरण के लिए १९५३ में कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई उसने अपनी सिफारिश की और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर भूमि के बारे में निर्णय दिया वह किसी हद तक ठीक महसूस हुआ। अब एक स्टेन्डर्ड एकड़ का हिसाब वास्तव में लोगों को उलझन में डालनेवाला और उलझन भरा है।

उसके बाद, वास्तव में जिसके पास अधिक भूमि है उनको मुआवजा कितना दिया जाये? जो कम्पेन्सेशन की प्रोविजन सलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दिया है वह मार्केटवेल्यू पर है। यह वास्तव में अधिक है। मार्केट रेट बहुत अधिक है जो रखी गई है। ऐसा हाई कोर्ट के कुछ फैसलों में भी दिया गया है और तय किया गया है कि लैंड रेवेन्यू दिया जाता है उसका कुछ मल्टीपल जैसा भी हाउस चाहे वह तय किया जावे। लेकिन मार्केट रेट का जो प्रोविजन रखा गया है वह वास्तव में उचित नहीं है और बहुत ज्यादा है। मार्केट रेट में बहुत बड़ी उलझन होगी। एक एकड़ की किसी जगह ५००, २००, ४०० रू० हो सकती है तो किसी जगह पर १०, २० या २५ रुपये भी मुश्किल से हो सकती है लेकिन जहां तक लैण्ड रेवेन्यू का प्रश्न है। भूमि को उपज के किसम के अनुसार निर्धारित किया है और उसके मुताबिक सीधा तय किया जाना बहुत ही सीधा और उचित तरीका हो सकेगा।

Page No.80

(श्री तेजमल बापना)

इसके साथ ही जो फर्क इसमें चाही और बारानी का बतलाया है उस सम्बन्ध में रोशनी डालना चाहूंगा। जो लोग अपनी मेहनत से और अपने पैसों से कुए खुदवाना चाहते हैं उसमें वास्तव में मेहनत ज्यादा लगानी पड़ती है और उसकी मजदूरी और किस्म बारानी जमीन के बराबर करना यह तो वास्तव में ठीक लगनेवाली बात नहीं है। एक जमीन के टुकड़े की जिसकी कुंए से सिंचाई होती है और वह जमीन का टुकड़ा जो बारानी हिस्से में है उसकी और उसकी उपज में बहुत कुछ अन्तर है। जमीन का लगान जहां तक उदयपुर डिविजन और भीलवाड़ा जिले का प्रश्न है, एक बारानी जमीन के चार आने, आठ आने, बारह आने बीघा लगान के मिल सकते हैं और एक चाही जमीन है उसके ८, १०, १५ रुपये या २० रुपये बीघा तक लिये जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो चाही से पीवल होने वाली जमीन है और जो बारानी जमीन है उसमें कोई भेदभाव न रखना, यह ठीक से लगने वाली बात नहीं है। यह कहना कि इसको यदि बराबर नहीं मानेंगे तो लोग कुँए खोदने की तरफ नहीं झुकेंगे मैं इसको उचित नहीं मानता। जो आदमी अपनी स्थिति को ठीक करना चाहता है, पैदावार बढ़ाना चाहता है, वह किसी तरीके से बारानी जमीन की उपज बढ़ाने की कोशिश करेगा। जहाँ नहर पहुँची है वह उसका उपयोग करेगा और नहीं पहुँची है तो फिर बिना कुँए के तो नहीं रहने वाला है। ऐसी स्थिति में सलेक्ट कमेटी ने चाही और बारानी को बराबर माना है। वह एक मानी जानेवाली चीज नहीं है और मैं उसका विरोध करता हूँ।

इसके साथ साथ इसमें कुछ एक्जम्पन्शन का प्रोविजन किया गया है। ऐसी फेक्टरी जो शुगर पैदा करती है, यदि वह फेक्टरीवाला स्वंय अलग फार्म बनाना चाहता है तो वह सीलिंग से मुस्तसना रहना चाहिये। इसके साथ वेल मेकेनाइज्ड फार्म्स या मेकेनाइज्ड फार्म्स हैं वे भी एक्जम्प्शन्स में आने चाहियें। जहाँ तक मेकेनाईज्ड और वेल ओर्गेनाईज्ड फार्म्स का प्रश्न है मैं उससे सहमत हो सकता हूँ। वास्तव में वे केपिटल लगाते हैं और विशेष माइन्ड लगाते हैं तो उनको कुछ न कुछ प्रोत्साहन की दृष्टि से एग्जम्प्शन मिलना चाहिये। लेकिन सवाल आता है कि क्या शुगर पैदा करनेवाली फेक्टरी के फार्म्स को इससे मुस्तसना रखा जाय या नहीं? सभापति महोदय, मैं इसके विपरीत अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज बहुत सा एरिया है जहाँ किसान गन्ना पैदा करते हैं और परिस्थिति यह है कि वे गरीब किसान जो साल भर मेहनत करते हैं वे गन्ना काट कर पांच, सात मील दूरी पर जहाँ कि फेक्टरीवाले उसका गन्ना लेते हैं लेजाता है। एक दो रोज उनको रुकना भी पड़ता है। वजन पर पैसा मिलता है। बहुत सी दफा उनको निराश होकर लौटना भी पड़ता है क्योंकि फेक्टरीवालों को गन्ने की जरूरत नहीं होती। तो बहुत सों की गाढ़ी मेहनत की कमाई बेकार जाती है और उसके साथ साथ कुछ किसानों को निरुत्साह होना पड़ता है कि उन्होंने गन्ना तो बोया लेकिन खरीदनेवाला कोई नहीं है। एक तरफ तो यह परिस्थिति है दूसरी तरफ शुगर फेक्टरी को एक्जम्प्शन देना चाहते हैं। यह विवाद का प्रश्न है और मैं नहीं

(श्री तेजमल बापना)

चाहता कि ऐसी फैक्टरीज को एक्जम्प्शन दिया जाय।

एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। सन् '५३ में राजस्थान सरकार ने सीलिंग मुकर्रर करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की और अब सन् '५६ में उसका एक कानून बनाने हम जा रहे हैं। इसके बीच में जिनके पास अधिक मिकदार में भूमि थी उन्होंने उसको ट्रान्सफर कर दिया। यह वस्तु स्थिति है। कुछ ने अपने रिश्तेदारों को, कुछ ने अपने फेमिली मेम्बर्स को और कुछ ने दूसरे काश्तकारों को दी और ड्यु कन्सीडरेशन पर उन्होंने दी। इसमें इस बात का क्लीयर प्रोविजन होना चाहिये कि जो एक किसान है और वास्तव में खेती करता है और उसने वाजिब कीमत देकर जमीन ली है तो उसके ऊपर कोई असर होना नहीं चाहिये। लेकिन जिन्होंने जान बूझ कर इस अधिकतम सीमा से बचने के लिए इस भूमि को अपने रिश्तेदारों में या फेमिली मेम्बर्स में बाँट दिया है वह जरूर रद्द होना चाहिये। अब यह किस तरीके से होना चाहिये यह भी एक विवाद का प्रश्न है। वास्तव में प्लानिंग कमीशन की जो रिपोर्ट है अधिकतम सीमा या लैंड रिफॉर्म्स के लिए प्रकाशित हुई है उसमें थोड़ी सी रोशनी इसमें दी गई है कि जब से यह सीलिंग का कानून बनाने की कार्यवाही शुरु हुई है यानि १६५३ से या उसके बाद के ट्रान्स्फर्स गैर कानून करार दिये जाने चाहियें। सीलेक्ट कमेटी ने प्रोविजन किया है। उनको मालूम है कि सन् '५३ से कमेटी मुकर्रर हुई है और उसने सारे राजस्थान में घूम कर इस बात की जानकारी की है कि कहाँ किस हिसाब से जमीन की सीमा निर्धारित होनी चाहिये। फिर ट्रान्सफर्स सन् '५७ से लागू करने में क्या औचित्य है, यह मुझे नहीं मालूम होता है? जब से यह वातावरण चला है तब से इसको लागू करने में क्या कठिनाई उपस्थित होती है?

इसके बाद सभापति महोदय, कुछ आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि वास्तव में आज सलेक्ट कमेटी ने जो यह रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत की है और जो आँकड़े राजस्थान सरकार की तरफ से प्रस्तुत किये गये हैं उनसे ऐसा महसूस होता है कि जो ३० स्टेन्डर्ड एकड़ का फॉर्मुला मुकर्रर किया गया है वह आज की परिस्थिति को देखते हुए कुछ ज्यादा है। क्योंकि राजस्थान की जनसंख्या १ करोड़, ५६ लाख है और ८२ प्रतिशत इसकी जो पोपुलेशन है वह खेती की ओर आकर्षित है, खेती में लगी हुई है।

श्री सज्जनसिंह (बूँदी) : खेती पर लगानेवालों की परसेन्टेज ७३ प्रतिशत है।

श्री तेजमल बापना : वह रूरल पोपुलेशन में रहनेवाले हैं। ७० प्रतिशत तो केवल खेती पर लगे हुए हैं। उसकी परसेन्टेज को देखते हुए कुछ तो अपनी खेती में लगे हुए हैं लेकिन कितने ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास खेती इतनी काफी है कि वे अपना गुजारा कर सकते हैं और कितने ऐसे हैं जिनके पास पूरी खेती की जमीन नहीं है। जो आँकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उनमें से करीब पांच लाख ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं हैं लेकिन उनका निर्वाह खेती पर होता है। इसके साथ साथ चार लाख, ३२ हजार ऐसे व्यक्ति हैं

(श्री तेजमल बापना)

जिनके पास एक एकड़ या उससे कम जमीन है। १७ लाख ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास १० एकड़ जमीन है या उससे कम है। दूसरी ओर ५६० ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास एक हजार या उससे अधिक जमीन है. और एक हजार, ५,००० ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास पांच सो एकड़ जमीन से अधिक है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमको इसके लिए कितनी भूमि मिल सकती है जो कि जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनमें वितरित की जा सकती हैं। ८ करोड़ एकड़ कुल जमीन है जिसमें से ३ करोड़ एकड़ जमीन ऐसी है जो खेती के काम आ सकती है। बाकी की जमीन कुछ बंटी हुई या कुछ अनकल्चरेबल है। यदि हम इसकी सीमा सोच विचार कर ठीक तरह से नहीं रखेंगे तो मेरे ख्याल से भूमि की समस्या या उन व्यक्तियों की समस्या को जो केवल खेती पर आधारित हैं पूरी नहीं कर सकेंगे। आज की इन परिस्थितियों में सलेक्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें मैं कुछ संशय रखता हूँ। जहां पर दूसरी स्टेटस हैं वेस्ट बंगाल में २५ एकड़, जम्मू काश्मीर में २३ एकड़, पंजाब में ३० एकड़, उड़ीसा में ३३ एकड़, स्टेन्डर्ड एकड़ रखा है। इन सब राज्यों से हमारी समस्या विपरीत है। कुछ हमारे प्रदेश का ऐसा हिस्सा है जो घना बसा हुआ है जहां, पर ज्यादा जमीन उपलब्ध नहीं हो सकती। कुछ भाग ऐसा है जहां जमीन ज्यादा है वहां उसका उपयोग नहीं होता। यह बड़ा पेचीदा प्रश्न है कि सिलेक्ट कमेटी ने जो तीस एकड़ की अधिकतम सीमा निर्धारित की है वह क्या उचित होगी, इसको भी हमें विचारना है।

इन्हीं विचारों के साथ जो बिल पेश हुआ है उसका तहदिल से समर्थन करता हूँ और सदन से निवेदन करता हूं कि सदन के विद्वान सदस्य इसमें उचित संशोधन लाकर इस को शीघ्र से शीघ्र पास करेंगे यही मेरी कामना है।

श्री मोहरसिंह (चुरू): माननीय सभापति महोदय, भूमि सुधारों के सिलसिले में राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत बिल पर जो रिपोर्ट सिलेक्ट कमेटी ने दी है उस पर दो दिन से वाद-विवाद चल रहा है। इस पर भिन्न भिन्न माननीय सदस्यों ने अपने अपने ख्यालातों का इजहार किया। सभापति महोदय, वास्तव में सीलिंग एक अहम मसला है। खेती जो हमारे सारे देश की अर्थ नीति का केन्द्र बिन्दु है उसके अन्दर सीलिंग यह एक महत्वपूर्ण चीज है। हम राजस्थान के कृषि से ताल्लुक रखने वाले लोगों पर नजर डालते हैं तो हमें कई प्रकार के किसान राजस्थान में देखने को मिलते हैं। एक तो वे किसान हैं जिनके पास खुदकाश्त के अलावा सरप्लस जमीन है वह बंटाई के ऊपर या लगान के ऊपर किसी भी तरह दूसरों को देकर शोषण करते हैं। कुछ इस प्रकार के किसान हैं जो खुद अपने हाथ से काश्त करते हैं और कुछ इस प्रकार के किसान हैं जिनके पास जमीन है किन्तु वह काश्त के लिये बहुत थोड़ी जमीन है। ऐसे भी किसान हैं जिनके पास कतई जमीन नहीं है जो दूसरों के खेतों पर जाकर मेहनत, मजदूरी करते हैं।

जब हम भूमि सुधार के सिलसिले में बात करते हैं तो हमें एक मुद्दे पर जाना होगा और वह खास मुद्दा है जिसको हम यदि नहीं पकड़ते हैं तो भूमि सुधार हम ठीक ढंग से नहीं कर सकते। वह मुद्दा यह है कि जमीन उसी के पास हो जो खुद हाथ से काश्त करता हो और उसे ही दिया जाय जो काश्त करना जानता हो, उसी के पास जमीन रहे। इसी

Page No.83

(श्री मोहरसिंह)

एक मुद्दे को लेकर हम यदि आगे बढ़ते हैं तो देश के अन्दर कृषि की व्यवस्था ठीक कर सकते हैं। अगर हम इस सिद्धान्त को तोड़ देते हैं तो चाहे हम इधर उधर भटकते रहें हम सही मायने में भूमि सुधार नहीं कर सकते। इसी खास मुद्दे पर विचार करते हुए ही हमें इस सीलिंग पर विचार करना होगा पर हम विचार करते हैं तो हमें यह तय करना होगा कि राजस्थान में बहुत से इस प्रकार के आदमी हैं जिनके पास जमीन है नहीं उनको जमीन देनी है। देनी ही हैयह हमारा फर्ज है। यह बहुत गम्भीर चीज है जिस पर हमें विचार करना होगा। इसके साथ साथ एक दूसरी चीज और है फिलहाल जो जमीन पर काबिज हैं या जो काश्त कर रहे हैं तो क्या जो आज काश्त कर रहे हैं उनका स्टेडर्ड गिरा कर जिनके पास जमीन नहीं है उनको दी जाय, यह चीज ऐसी है जिस पर हमें गम्भीरता पूर्वक विचार करना है।

हमने देश को समाजवाद की ओर ले जाने का नारा बुलन्द किया है और हम देश को समाजवादी व्यवस्था लाकर ही आगे बढ़ाना चाहते हैं और यह नहीं चाहते कि जिनका स्टेडर्ड आज बना हुआ है उसको नीचा गिराना नहीं चाहते। यहाँ कई किस्म के निवासी हैं। किसान भी कई प्रकार के हैं। यहाँ एक तरह के स्टेन्डर्ड का सवाल आता है। आज राजस्थान सरकार ने जो सीलिंग का बिल प्रस्तुत किया है उसमें एक परिवार के लिए २६ और ३० एकड़ जमीन को स्टेन्डर्ड माना है। इस पर कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रगट कर दिये हैं। अगर जो सिम्पल रेवेन्यू रेट को देख कर यह मुकर्रर कर दिया जाता तो जिस प्रकार से पंजाब में हुआ है तो ठीक रहता। इसमें भी बहुत गड़बड़ की गुंजाइश है। इसमें १० मण पर-बीघा का हिसाब रखा गया इसमें मेरे ख्याल से थोड़ी दिक्कत जरूर आयगी और यह सारा मामला सरकारी मशीनरी पर छोड़ दिया गया है? तो आखिर इस समस्या का हल क्या है? इस प्रकार के जो आदमी हैं जिनके पास या तो जमीन थोड़ी है या कतई नहीं है उनकी संख्या इस प्रकार बताई गई है। १७ लाख वे आदमी हैं जिनके पास दस एकड़ से कम जमीन है। ४॥ लाख ऐसे आदमी हैं जिनके पास एक एकड़ और इससे कम है और सवा चार लाख के करीब ऐसे लोग हैं जिनके पास कतई जमीन नहीं है। इस तरह से कुल मिलाकर २६ लाख आदमी हुए और इन २६ लाख में ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास ठीक ढंग की जमीन है भी नहीं। अब जो रिपोर्ट में दी हुई है उसके अनुसार ३ करोड़ एकड़ ऐसी जमीन है जो काबिले काश्त बनाई जा सकती है। दो करोड़ जमीन पर काश्त नहीं होती है। वहाँ पर या तो गाँव बसे होंगे या नदी नाले होंगे। इस तरह से ६ करोड़ एकड़ जमीन है इसमें से ३ करोड़ एकड़ पर काश्त की जा रही है। इसके अलावा ३ करोड़ एकड़ जमीन ऐसी है जिसको काबिले काश्त बनाई जा सकती है। २६ लाख के करीब इन्सान है जिनके पास जमीन की काफी तंगी है। ३ करोड़ पर काश्त की जा रही है इसमें से कुछ व्यक्तियों के हिस्से में हजार और पाँच सो एकड़ जमीन भी हो सकती है। वे ऐसे आदमी हैं जो खुद हाथ से काश्त नहीं करते होंगे और इस तरह से सरप्लस लैन्ड है उसका नाजायज तरीके से फायदा उठा कर किसानों का शोषण करते

(श्री मोहरसिंह)

होंगे और अनुचित मुनाफा कमा रहे होंगे। उस जमीन को छीन लेनी चाहिये। इस तरह से जो हाथ से काश्त नहीं करता, हल, बैल से काश्त नहीं करता उससे अगर हम इस प्रकार की जमीन छीन भी लेते हैं तो कोई अनुचित नहीं करेंगे। और ऐसे व्यक्तियों के पास भी जमीन है जिन्होंने गिरदावरी अपने नाम पर करवा ली है और उससे मुनाफा उठा रहे हैं वह हमें ले लेनी चाहिये। इस तरह से जो ३ करोड़ एकड़ जमीन है उसको हमें तकसीम करनी है और उन आदमियों में जिनकी संख्या २६ लाख के अन्दर है।

सवाल आया इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन का। जमीन कितनी है ६ करोड़ एकड़। ३ करोड़ पर काश्त हो रही है। बाकी १.२० लाख में बांटें तो चार एकड़ और एक बीघा हिस्से में आई एक एक के। ४ सही ८ बटे १३ के करीब होती है एक के हिस्से में। इसको पांच से गुणा करें तो पौने तेईस एकड़ के करीब एक परिवार के हिस्से में आती है। लेकिन इसके साथ में हम उस तरफ उमड़ते हैं जो ४० करोड़ काश्त करते हैं, जिनके सन्तान हैं १५।१० मेम्बर हैं। जो अनुचित मुनाफा नहीं उठाते। क्या उनसे जमीन छीनने में कोई औचित्य है? तो अनुचित मुनाफा उठाते हैं अपनी जमीन में उनसे छीनी जावे और उसको लेकर बाकी तीन करोड़ जो पड़त पड़ी है उसको मिला कर डिस्ट्रिब्यूट कर देनी चाहिए उनको जिनके पास नहीं है या थोड़ी है और जो काश्त करते हैं, अपने हाथ से मेहनत करते हैं। हाथ से महनत करनेवालों से जमीन छीनने में औचित्य नहीं है। उन्होंने मुद्दत से उस जमीन में अपनी सन्तान को बेच बेच कर लगान भर भर कर काबिले काश्त बनाया है और उसको बचाये रखा है। आज हम उनसे छीनें और कहे कि तू तीन रोटी खाता है तो दो में गुजारा कर और जिसके पास कतई नहीं है उसको एक, डेड रोटी दे दें तो इससे समस्या क्या हल हो जावेगी? जो तीन रोटी में अपना और अपने परिवार का पेट मुश्किल से भर पाता था वह भी भूखा रह जावेगा और जिसको आप एक, डेड दे रहे हैं उसका भी पेट नहीं भर पावेगा। इस तरह से तो दोनों भूखे हो जावेंगे। पर अगर इससे दोनों का पेट भर जाता है तो ठीक है।

दूसरा सवाल है, क्या इतनी जमीन देने के बाद भी समस्या का हल हो जावेगा? नहीं होगा। इसके लिए दो इलाज हैं और सही तौर से मैं कह देना चाहता हूँ कि यही दो इलाज हैं। एक है जितनों को जमीन से शिफ्ट किया जा सके किया जावे। उनको साइड बिजनैस दिया जावे। इसके बिना काम नहीं चलेगा। सीलिंग से आप रोटी की सम्पूर्ण समस्या को हल कर लेंगे, यह सम्भव नहीं है। दूसरे मुल्कों में भी लैंड प्रौब्लेम सोल्व कर देने मात्र से रोटी की समस्या हल नहीं हो सकी है। उनको भी उद्योग धन्धों को बढ़ाना पड़ा है। हमारी नीति अगर यह बन गई है कि जमीन से सारी समस्या हल कर देंगे तो यह इलाज नहीं है मर्ज का। पर चूँकि हम भी इसी पर निर्भर नहीं हैं, हमारी सरकार इस चीज को समझती है और साइड बिजनैस देने की बात का महत्व समझती है और आगे जाकर लेना चाहती है और जहां तक मैं समझा हूँ यही चीज है कि लैंड के डिस्ट्रिब्यूशन के बाद में बिजनैस भी दिया जावेगा तो मुझे इस समय इस पर नहीं कहना है। सिर्फ इतना ही कहना है कि एक क्लॉज अगर इस आशय का और रख दिया जाता तो प्रसन्नता

(श्री मोहरसिंह)

होती। अब भी रख दें आप। दूसरा इलाज है कि आप यह घोषित कर दें कि अगले पांच सालों में सारी जमीन को सिंचित बना दिया जावेगा नहरों से या ट्यूबवैल्स से या कुँओं से तो मैं समझता हूं कि इससे जमीन की समस्या राजस्थान में बाकी नहीं रह सकती। सारी समस्या हल हो जावेगी।

इसके साथ हमें यह मान कर चलना पड़ेगा कि जमीन हमें उससे लेना है जिसके पास सरप्लस है और बाकी सरकारी पड़त जमीन को लेकर २६ लाख को डिस्ट्रिब्यूट करना है।

साथ ही एक चीज और है। आपने मेकेनाइज्ड फार्म छोड़ दिया है। इस पहलू पर विभिन्न महानुभावों द्वारा प्रकाश डाल दिया गया है। बार बार कहना एक ही मुद्दे पर उचित नहीं है। मैं उनसे अतिरिक्त कुछ कहूँगा। एक तरफ हमारा नारा है समाजवादी समाज रचना का और दूसरी तरफ हमने रियायत रख दी फैक्टरियों के लिए। वे जमीन रख सकते हैं गन्ना उत्पादन के लिए। उनको छूट होगी। आज तक तो पूंजीपतियों की पूंजी पर ही उनका पोषण किया करते थे। पर आज आपने उनको जमीन पर भी अपनी पूँजी के बल पर कब्जा करने की छूट दे दी है। मिल से भी अपनी कैपिटल वे बढ़ाते जावें और इधर जमीन से भी अपनी कैपिटल बढ़ाते जावें। दोनों रास्ते उनके लिए खोल दिये। एक रास्ता पहले से खुला था, दूसरा और खोल दिया। यह है आपका समाजवादी समाज रचना का नमूना। भूमि और दे दी उनको। साइड बिजनैस में खेती और करने लग जावें वे यह आपने उनके साथ और रियायत कर दी। इधर पूँजी से बड़े हैं सो तो बड़े ही हैं पर इधर जमीन पर भी अधिकार करके किसान की रोजी, रोटी के साधन पर भी वे कब्जा कर लें। यह है आपके इस समाजवादी नारे की असलियत। कथनी कुछ और है और करनी कुछ और। आपकी कथनी और करनी में लाख हाथ का अन्तर है। यह गलत चीज है। अपका यह कदम बहुत चातुर्य से भरा हुआ है। आपकी यह बड़ी मिलीभगत है और अगर मैं यह कहूँ कि यह आपकी चाल ४२० से भरी हुई है तो भी बुरी चीज नहीं है। यह केवल कैपिटेलिस्ट को बढ़ावा देने के सिवाय और कुछ नहीं है। किसान के हित की चीज यह नहीं है।

इसी तरह आपने आगे कहा है वैल मेकेनाइज्ड फार्म कौनसा होगा यह वैल मेकेनाइज्ड फार्म, वे होंगे जिन पर आपकी नजर इनायत होगी। जिन पर नजर इनायत होगी सम्बन्धित मिनिस्टर महोदय की या सरकार की। अगर इसके सिवाय किसी के पास रह जावे तो देख लें। आपकी यह नीति पड़ चुकी है। इधर नारा लगाया जाता है जागीरदारों को समाप्त करने का पर उधर मैं कहता हूँ नये जागीरदार पैदा किये जा रहे हैं। पुराने को मिटाया पर आपकी नीति है नये जागीरदार बनाये जावें। तो जहाँ तक मेकेनाइज्ड फार्म की छूट देने का सवाल है इसका सख्त विरोध किया जाना चाहिये और ये क्लॉजेज हटा दिये जाने चाहियें।

इन सारी चीजों के साथ मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि इस समस्या का हल आपके इन बताये तरीकों से नहीं होनेवाला है। इस समस्या का हल महज इस तरह से हो

Page No.86

(श्री मोहरसिंह)

सकता है कि काश्तकारों से खेत न छीने जावें, सरप्लस जिनके पास है उनसे लेकर और आपकी ३ करोड़ एकड़ के साथ मिला कर बाँटा जावे। साथ ही पाँच साल के भीतर भीतर सरकार ऐसा प्रबन्ध करे कि सारी भूमि सिंचित कर दी जावे नहर लाकर या कुँए खोद कर। तो सारी समस्या हल होनेवाली है वर्ना तो केवल इस सीलिंग से चिपटे रहने से सब को रोटी नहीं दे सकेंगे। कहने और रौला मचाने के लिए भले ही ठीक हो। पर वास्तविक रूप से सब की रोजी, रोटी की समस्या का आप इससे हल कर देंगे तो यह नहीं होनेवाला है।

मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इन बातों पर गौर करेंगे और जहाँ तक इन बातों को एडजस्ट किया जा सकता है किया जावेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री सभापति : Sri Laxman Hirat. You should not make repetitions. You should be brief.

श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा) : आप जितना फरमावेंगे उतने समय में फिनिश कर दूँगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय माल मंत्री महोदय ने जो सीलिंग की रिपोर्ट कल पेश की है उस पर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं भी आपकी आज्ञा से थोड़े ही समय में अपने विचार व्यक्त कर देना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, जैसे हमारे राजस्थान में अलग अलग इलाके हैं और अलग अलग इलाके में रहनेवाले अलग अलग किसानों की अलग अलग स्थिति है, जैसे इस सीलिंग की रिपोर्ट में अलग अलग तहसील वाइज आंकड़े भूमि के दिये हैं कि उस तहसील में इतनी एकड़ भूमि होगी और उसमें इतनी होगी और जिला वाइज भी दिया हुआ है लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कोटड़ा, फालासिया, गोगुन्दा, खेरवाड़ा में ७५ एकड़ भूमि की सीमा रखी है इससे वहाँ के किसानों को कोई फायदा नहीं होनेवाला है। इसी तरह से उदयपुर डिविजन में सब तहसीलों में और जिलों में इतनी ही भूमि ५०-६० एकड़ के आसपास रखी है और इससे कोई खास किसानों का मतलब हल हो, ऐसी बात नहीं है। माननीय सभापति महोदय, माननीय माल मंत्री महोदय अच्छी तरह से जानते हैं कि वहाँ के किसानों के पास दो या डेढ़ एकड़ जमीन होती है और उससे ही वह अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो इस बिल के आने से या सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट के आने से हमारे इलाके को ज्यादा फायदा होनेवाला नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं चाहता हूँ कि माननीय माल मंत्री महोदय इस ओर अपना ध्यान दें और कोई ऐसा संशोधन करके कम करने की कोशिश करें। माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और चाहता हूँ उस इलाके के लिए अगर १० एकड़ जमीन रखी जाये जैसा कि इस बिल में रखा गया है कि अच्छी जमीन होगी वह ३० एकड़ होगी एक परिवार के लिए और एक परिवार ५ व्यक्तियों का होगा अगर ३० एकड़ भूमि का प्रावधान रखा गया है तो उससे भी फायदा होने वाला नहीं

(श्री लक्ष्मण हीरात)

है तो माननीय सभापति महोदय, इस ओर भी हमारी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। कई माननीय सदस्यों ने बताया कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग भूमि की सीमा निर्धारित की गई है। हमारे राजस्थान में भी इसी प्रकार से अलग अलग जिला-वाइज भूमि की सीमा निर्धारित की जा सकती है। उसी तरह अगर निर्धारित की जाये तो ज्यादा से ज्यादा हमें भूमि मिल सकती है और भूमिहीन किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है। हमारी सरकार ने इस रिपोर्ट में बताया कि भूमिहीन किसान ४ लाख के करीब हैं लेकिन मैं माननीय सभापति, कहना चाहता हूँ कि ४ लाख तो करीब हमारे डिविजन में ही होंगे कि जिनके पास एक बीघा भी जमीन नहीं है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : आपके डिविजन की कुल कितनी आबादी है ?

श्री लक्ष्मण हीरात : मेरे डिविजन की आबादी तो ३६ लाख है। तो इस तरह से वहाँ ४ लाख तो भूमिहीन किसानों की होगी। अगर इस तरह से ३० एकड़ की व्यवस्था रखी जायेगी तो उससे फायदा होनेवाला नहीं है। तो माननीय सभापति महोदय, इस ओर भी हमारी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। मैं माननीय माल मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सन् '५३ से अब तक भूमिहीन किसानों को सरकार ने कितनी जमीन दी है अगर इस तरह का आँकड़ा बता दें तो हमें बहुत संतोष होगा कि इस प्रकार का बिल लाने से ज्यादा से ज्यादा भूमिहीन किसानों को राहत मिल सकेगी। जहाँ किसान यह चाहते थे कि अगर सीलिंग बिल आयेगा तो उससे हमें जमीन मिलेगी लेकिन इस बिल को देखने से और इस बिल की धाराओं को देखने से तो ऐसा मालूम होता है कि जो वास्तव में किसान हैं और भूमिहीन किसान हैं उनको इससे मदद मिलनेवाली नहीं है। इससे तो सिर्फ यही होनेवाला है कि जिनके पास भूमि ज्यादा है, जो साधन सम्पन्न हैं उन्हीं को इससे ज्यादा फायदा होनेवाला है। इस कमेटी ने एक बात जरूर कही है कि जिस किसान के पास जनवरी, '५७ में अगर जमीन ३० एकड़ से ज्यादा ले ली होगी तो उससे ले ली जायेगी और इस तरह की व्यवस्था उस रिपोर्ट में की गई बताते हैं। अगर कोई भूमिदार है जिनके पास हजारों बीघा जमीन है उस जमीन को ले करके अपने खाते कर लिया और उसके बाद में भी बच जाती है और पहले ले ली है और जो भूमिहीन किसान थे वे तो भूमिहीन ही हैं। मैं समझता हूँ कि इस बिल से असली किसानों को फायदा होनेवाला नहीं है। जिस किसान को भूमिहीन किसान कहते हैं उसको भूमि मिलने वाली नहीं है बल्कि जिसके पास ज्यादा जमीन है उसी के लिए ज्यादा व्यवस्था इस बिल के के अन्दर की गई है। तो माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों को किसानों के शब्दों में कहना चाहता हूँ कि इस बिल को ज्यादा से ज्यादा सरल बनाना चाहिए और भूमिहीन किसानों को जमीन दी जाये, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, मैं इन शब्दों के साथ सदन का अधिक समय न लेकर अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ।

श्री सभापति : श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : सभापति महोदय, हमारे सामने भूमि की सीमाबन्दी का जो महत्वपूर्ण बिल है मैं समझता हूँ कि राजस्थान की जनता का ध्यान इस ओर लगा हुआ है। कुछ वे लोग हैं जो इस बात से आशंकित हैं कि उनके पास ज्यादा भूमि है कहीं वह इस सीमाबन्दी से चली न जाये। कुछ और ताक लगाने लगानेवाले लोग ऐसे हैं कि जिनके पास कम भूमि है और जिस प्रकार का प्रचार किया गया है वे लोग यह समझते हैं कि शायद इस सीमाबन्दी से उनको कुछ जमीन मिल सकेगी। इस प्रकार दोनों तरह के लोगों की शंकाएँ होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं किसी व्यक्ति का या किसी पक्ष विशेष का समर्थन करने के लिए आज यहाँ नहीं बोल रहा हूँ बल्कि भूमि की समस्या को किस प्रकार से सुलझाना चाहिये। मैं इस सारी समस्या को देख कर कुछ बातें यहाँ पर निवेदन करना चाहूँगा। भूमि का सीलिंग कब किया जाता है और राजस्थान के अन्दर इस प्रकार के सीलिंग करने की आवश्यकता क्यों पैदा हुई ? यदि हम बहुत थोड़े में इस बात पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान के अन्दर मुस्लिम काल से भी पहले एक रजवाड़ी प्रथा प्रारम्भ थी और उस रजवाड़ी प्रथा के तहत जगह जगह लोगों को कुछ जागीरदारियाँ दी थीं। मुस्लिमकाल के अन्दर भी कुछ जागीरदारियाँ मिलीं और अंग्रेजी काल के अन्दर एक जमींदारी प्रथा यहाँ पर प्रारम्भ हुई। यद्यपि जागीरदारी और जमींदारी किसी जमीन के ऊपर कोई स्वामित्व प्रदान नहीं करती है और केवल काश्तकार से लगान के रूप में जो कुछ रकम मिलती थी वह ऊपर पहुंचाते थे लेकिन धीरे धीरे वह समय बीतता गया। जो जागीरदार थे केवल लगान लेने के लिए अधिकार रखते थे या जो जमींदार थे वह जमीन का लगान वसूल करके अंग्रेजी राज्य के पास पहुंचाते थे वे धीरे धीरे उसके मालिक बन बैठे। यह चाहे लोगों की साक्षरता से कहें, किसानों के अज्ञान को कहें, उनके सीधे और भोलेपन को कहें उसका नाजायज लाभ उठाया। जमींदार और जागीरदारों ने अपने पास इतनी भूमि एकत्रित की कि समाज के अन्दर विषमता उत्पन्न हो गई। देश के स्वतंत्र होने के बाद जब कि हम सब ने इस प्रकार की आवाज लगाई कि हर व्यक्ति को रोजी मिलेगी, हर व्यक्ति को रोटी मिलेगी और हर व्यक्ति के लिए मकान की व्यवस्था होगी और यह हमारे कॉन्सटीट्यूशन के अन्दर भी रखा कि हम हर व्यक्ति की रोजी, रोटी और मकान की व्यवस्था की गारन्टी लेते हैं। तब हर सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि जो इस प्रकार की विषमता कुछ काल से हमारी गल्तियों के कारण हुई जो हम पर शासन करनेवाले लोग थे उनके स्वार्थ के कारण से हुई उसको हम दूर करें। अब प्रश्न यह आता है कि जब हम सीलिंग को करने का विचार रखते हैं तब हमारा ध्यान दोनों पक्षों की ओर जाता है। हमारी दृष्टि में वे लोग भी हैं जिनके पास बड़े बड़े फार्म्स हैं, जिनके पास पूँजी का सागर है। जिन लोगों ने अपनी पूँजी के बल पर बड़े बड़े ट्रेक्टर और आधुनिकतम शस्त्र हैं उनका प्रयोग कर रखा है। वे लोग कहते हैं कि हमारा रुपया ज्यों का त्यों रहना चाहिये, हमारी पूँजी सुरक्षित रहनी चाहिए, हमारी पूँजी किसी प्रकार चली न जाये, हमारे लाखों रूपये इस प्रकार बह न जायें। इसके लिये बड़े बड़े लोगों के दरवाजे तक पहूंच रहे हैं और उसी कारण हमें सीलिंग के अन्दर एग्ज़म्पशन देखने को मिलते हैं। मैं इस बात पर बाद में आऊंगा, अभी इसको नहीं लेता

(श्री दयाकृष्ण विजय)

हूँ। दूसरी ओर आज उन लोगों की भी आशा इस ओर है कि जिनके पास फ्रेगमेन्ट्स हैं, भूमि के आज अलग अलग टुकड़े हैं या जो भूमि खेतिहर किसान कहेंगे वे लोग हैं। हमने सीलिंग लगाते वक्त जो कुछ भी सीलिंग की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अन्दर जो प्रिन्सीपल्स रखे हैं या हमारे प्लानिंग कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट के अन्दर जिन प्रिन्सीपल्स को दोहराया है उनको मैं यहां संक्षेप में बताना चाहता हूं। तो यह प्रिन्सीपल्स ये है कि हम हमारे जो अधिकतम लोग हैं, खेतिहर हैं या जिनके पास चेयरमैन महोदय, बड़े फार्म्स हैं उनके पास से जमीन लेकर उनको खत्म करने हैं। खत्म करने का मतलब यह नहीं कि उनको बिल्कुल समाप्त करके इस प्रकार की सीमा बान्धें कि जो फ्रेगमेन्टस हैं वे इकॉनोमिक होल्डिंग्स हो जायं। पहला उद्देश्य यह है। इकॉनोमिक होल्डिंग्स बनाते समय हम इस बात को ध्यान में रखें कि अधिकतम लोग भूमि पर निर्भर रह सकें और हमारी जो बेकारी की समस्या है वह किसी प्रकार से हल हो।

दूसरी इसी से सम्बन्धित चीज थी कि हम देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए इतना उत्पादन कर सकें कि हमारे देश के उत्पादन को इतना बढ़ा सकें कि हमारे यहाँ जो भोजन की समस्या है, लोगों की है वह किसी प्रकार से हल हो सके। अब दोनों बातें साथ साथ कर रहे हैं। बेकारी की समस्या खत्म हो और अधिक से अधिक लोग जमीन पर गुज़र कर सकें, तो स्वाभाविक यह प्रश्न आता है कि हम जमीन का बंटवारा इस प्रकार से करें कि अधिकतम लोगों के हाथ में जमीन पहुँच सके। तब दूसरी बात यह आती है कि हम बंटवारा इस प्रकार से करें कि खेती की पैदावार में किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचे बल्कि पैदावार अधिक बढ़े।

तो इस बात पर जब हम विचार करते हैं, मैं जितने भी महानुभाव यहां पर बोले हैं उनकी आलोचना करने में नहीं जाना चाहता हूं पर जो कुछ मैं समझ सका हूँ उन बातों को यहाँ रखना चाहूँगा। अधिक उत्पादन के लिए बिल्कुल छोटे फार्म्स जो होंगे कुछ लोग यह सोचते हैं कि १५ एकड़, १० एकड़ या ५ एकड़ हो जायं, तो उन छोटे फार्म्स से हो सकता है कि अधिक उत्पादन हो जाय। लेकिन जो वर्क करनेवाला फार्मर है, जो काम करनेवाला मजदूर है, उससे उसका भरण पोषण खुद का नहीं होगा और जिसका पेट नहीं भरेगा और वह काम करेगा तो मजबूरी के साथ काम करेगा और जब कोई मजबूरी के साथ काम करेगा तो जितना मन भूमि में लगाना चाहिए, उसका भूमि से जितना प्रेम होना चाहिए उतना नहीं हो सकेगा। अगर उसका पेट उस छोटे से फार्म से भरता नहीं है तो वहां आदमी जब तक उस पर काम करता है वह मजबूरी से काम करता है। उसके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है जाने का। जब तक वह मजबूर रहेगा तब तक पूरे उत्साह के साथ काम नहीं करेगा। यदि आदमी जील के साथ काम करे तो बंटवारे से हमें सबसे बड़ी बात यह याद रखनी है कि लैंड के छोटे छोटे टुकड़े नहीं कर डालें। जमीन पर काम करने का जब एक आदमी का उत्साह खत्म हो जाता है और मजबूरी से काम करता है तो उसको मज़दूर समझिये दूसरे आदमी का। इस तरह की बात यदि होगी तो सारे सीलिंग का सिद्धान्त समाप्त हो जायेगा।

(श्री दयाकृष्ण विजय)

उसके लिए क्या करना होगा ? कम से कम पहले आप देखें कि हमने एक साधारण फैमिली का सिद्धान्त स्वीकार किया है। मान लीजिये कि ५ का, चाहे ७ का स्वीकार किया है। यदि इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम जमीन इतनी देंगे कि चाहे १०, १५ मेम्बर की वह फैमिली हो, जोइन्ट हिन्दू या किसी भी तरह की हो हिन्दू मुस्लिम का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की काम काज की प्रणाली है उसमें अलग २५ मेम्बर्स हैं तो उन २५ का भी पेट भरे। केवल जमीन ज्यादा प्राप्त करने के उद्देश्य से ही कुटुम्ब को विभाजित करते रहें बल्कि उस जमीन का वितरण इस प्रकार से करें कि मनुष्य जोइन्ट होकर एक कुटुम्ब में आने की प्रेरणा प्राप्त करें। कुटुम्ब में सारे लोग मिल कर काम करें। इतनी जमीन होनी चाहिए कि सब का पेट भरे।

मैं यह निवेदन करूंगा कि काश्तकार की फैमिली ५ की निर्धारित की है। इसमें हमें यह देखना पड़ेगा कि ५ आदमियों के पेट भरने के लिए कितनी जमीन होगी। यदि कुछ आप कहते हैं, समाजवाद की दुहाई देते हैं तो समाजवाद का अर्थ केवल सामान वितरण ही नहीं है या हर आदमी को समाज काम करने का अवसर प्रदान करें यही नहीं है, समाजवाद का अर्थ यदि लिया जाय तो यह भी हो सकता है कि हर आदमी को जीने के लिए जितने आवश्यक साधन हैं वे मुहैया किये जायं। मैं इस बात को केवल समाजवाद तक ही सीमित नहीं रखना चाहता हूं। क्योंकि समाजवाद की जिस परिभाषा को लेकर सारे लोग कहते हैं उसमें कुछ लोग लोकतान्त्रिक समाजवाद की बात कहेंगे और कुछ लोग डेमोक्रेसी को एक पार्टी के नेतृत्व में चलाना चाहेंगे। हमें दोनों तरह के विचार देखने को मिलते हैं। जो जो कि एक पार्टी के नेतृत्व में समाजवाद लाना चाहते हैं वे कम्युनिस्ट हैं और जो डेमोक्रेटिक तरीके के समाजवाद की बात करते हैं वे ३, ४ व ५ फिरकों में बंटे हुए हैं। कुछ प्रजासमाजवादी हैं और कुछ समाजवादी हैं। लेकिन जो मूल भावना है, आखिर जो मूल पुस्तक है वह एक ही आदमी की लिखी हुई है। उसके विश्लेषण और भाष्य अलग अलग किये जा सकते हैं। उस आदमी ने साफ तरीके पर लिख दिया है कि यदि हम लोगों का जीवन स्तर बढ़ाना चाहते हैं और समाज में जो भ्रष्टाचार घर कर गया था उससे लोग दबे हुए थे। तो सारी चीजों पर स्टेट कन्ट्रोल होना चाहिए, और अधिक से अधिक स्टेट का कन्ट्रोल जब हो जायेगा तो पीजेन्ट्स प्रोप्राइटरशिप समाप्त हो जायेगी। जो समाजवाद के नाम पर समता की बात करते हैं वे शायद स्टेट कन्ट्रोल को भूल जाते हैं और पीजेन्ट्स प्रोप्राइटरशिप के समाप्त होने की बात हम नहीं कहते हैं। हमारे विधान के आर्टिकल का प्रसंग देते हुए माननीय श्रीमहेन्द्रसिंह ने कहा था कि हर आदमी को काम करने की गारन्टी दी है, हर आदमी के लिए काम मुहैया करने की बात को हमने स्वीकार किया है। हर आदमी काम करने को स्वतन्त्र है, इस प्रकार की गारन्टी कॉन्स्टीट्यूशन करता है। आज जो इस प्रकार एक पार्टी केन्द्रीयकरण में विश्वास करते हैं वे कॉन्स्टीट्यूशन के साथ में गद्दारी करते हैं। जो समाजवाद की बात करते हैं वे विधान के विपरीत जानेवाले हैं।

(श्री दयाकृष्ण विजय)

हमारी समझ में नहीं आता है कि सरकारी पार्टी इस प्रकार की समता की बात करती है और एक पार्टी के केन्द्रीयकरण में मूल तत्व समाजवाद का है। हम उसको भूल जाते हैं। इसलिए दुनिया समाजवाद की बात करती है। आखिर में इस विश्लेषण में जाना नहीं चाहता। लेकिन मैं इस समाजवाद में विश्वास नहीं करता हूँ। जहां केन्द्रीयकरण होता है चाहे वह केन्द्रीयकरण चौखम्भा राज्य का हो, चाहे वह केन्द्रीयकरण एक पार्टी के केन्द्रीय शासन में हो, मेरा यह विश्वास है कि हर आदमी को अपना काम करने को मौका मिलना चाहिए। हर आदमी को काम करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए, और उसके आधार पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार हम कोऑपरेटिव फार्मिंग के समूहीकरण या कल्टीवाइजेशन की तरफ जायेंगे वह देश के लिए ठीक नहीं हो सकता है। जो बड़े बड़े फार्म हैं उनमें लेबर को एम्प्लॉय करेंगे। बिना लेबर एम्प्लॉय किये बड़े बड़े फार्म नहीं चल सकते हैं और जब तक काम करनेवाले लेबर रहेंगे तो उनका शोषण होगा। इसलिए जब हम वास्तव में समता की बात करना चाहते हैं, हर आदमी को काम देने की बात करते हैं तो यह नहीं सोचते हैं। हमारे दिमाग से यह भ्रम हट जाना चाहिए, चाहे वह वैल मेकेनाइज्ड हो या एफिशियन्ट फार्मिंग हो। लेकिन जब तक वहां पर लेबर की कल्पना रहेगी हम सामाजिक समता के रूप में न्याय नहीं कर सकेंगे सब लोगों के लिए।

तीसरी बात जो सामने खड़ी होती है वह यह है जो कि मैंने पहले निवेदन कर दिया था एक विद्यार्थी के नाते कि हम भूमि का वितरण इस प्रकार करें कि हर आदमी जो भूमि पर निर्भर रहना चाहता है उसको वितरण में भूमि मिले वह इतनी हो कि खुशहाली से जिन्दगी बिता सके। हम गरीबी बांटना नहीं चाहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास १० रोटी है और एक परिवार के अन्दर २० लोग हैं तो कुल आधी आधी रोटी उनके पास आती है। समाजवाद की बात जो करते हैं वे कहते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाय तो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अगर हम इस तरह से वितरण करेंगे तो आधी रोटी देना न्याय नहीं है। जब तक २० आदमियों का पेट भरने के लायक रोटी नहीं हो तब तक सच्चा समाजवाद नहीं है जिसकी कि वे कल्पना करते हैं कि हर आदमी के लिए खुशहाली लाना है वह नहीं आ सकती है। वह तब आ सकती है जब कि हर आदमी के लिए पेट भरने के लायक जमीन वितरित करें।

मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि हम जो सीलिंग की बात आज यहाँ कर रहे हैं मेरी समझ में हिन्दुस्तान के इतिहास में शायद ही कभी ऐसी बात पहले हुई हो। मैंने न देखी और न पढ़ी है। पहली बार इस प्रकार की चीज आ रही है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि हर साल यह चीज नहीं आयेगी। ५००,७०० वर्षों के बाद जब फिर कुछ विषमता होगी तब फिर क्रान्ति की भावना पैदा होगी और सीलिंग की बात आयेगी। इसलिए जो समता एक बार कानून के द्वारा लाना चाहते हैं उस पर राजनैतिक कारणों से या भावुकता से या और कीन्हीं कारणों से विचार नहीं करें, यह उचित नहीं होगा।

(श्री दयाकृष्ण विजय)

हम और बातों से ऊपर उठ कर गंभीरता से विचार करें और भूमिहीनों के स्थान पर वैल मेनेज्ड और सफिशियेन्ट मेकेनाइज्ड फार्मिंग के नाम से अधिक न दें। इसलिए हमें अच्छी तरह से विचार करना पड़ेगा। क्योंकि सीलिंग टेम्पोरेरी रिलीफ है जिसे परमानेन्टली क्योर नहीं कर सकते और यह भविष्य के लिए है। इसके जरिये हम इस प्रकार का काम कर रहे हैं जिससे हमारी समाज में समानता आवे। तो जो चीज भविष्य के लिए निश्चित होनी चाहिये, एक स्थाई रूप से समानता लाने के लिए चल रहे हैं तो हमें गंभीर होकर इन बातों पर विचार करना पड़ेगा। इसलिए इस बिल में जो एक एक बात है उसको लेकर कुछ कहना चाहता हूँ।

सबसे पहले फेमिली की डेफिनेशन दी है उससे मेरा बहुत कम मतभेद है। क्योंकि प्लानिंग कमीशन ने भी इसी बात को स्वीकार किया है। इसमें यह लिखा है : "Family" shall mean a family consisting of a husband and wife and their children and grand-children being dependent on them..." हसबेन्ड एंड वाइफ एंड देअर चिल्ड्रन बीइंग डिपेन्डेन्ट ऑन देम, यह बात लिखी है। इसके बजाय माइनर चिल्ड्रन जो काम नहीं कर सकते उन्हें रखना चाहिये। 'डिपेन्डेबल,' यह एक बहुत एम्बिग्युअस टर्म है। जैसे बहुत से आदमी सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं वे यह कह सकते हैं कि हमारे पिता इतना कमाते हैं कि हम उन पर निर्भर करते हैं। तो वह व्यक्ति जो दूसरे प्रोफेशन पर लग गया है उसको पिता पर निर्भर क्यों मानें ? कोई आदमी अपने वृद्धाकाल तक परिवार पर डिपेन्डेन्ट रह सकता है या आश्रित रह सकता है, यह स्वाभाविक बात है। इसलिए यहाँ पर इस तरह की भूल भुलैयावाली बात नहीं रखी जाय बल्कि जो आदमी २१ साल का बालिग हो गया है उसको दूसरा प्रोफेशन करना चाहिये। सरकार उसको गारंटी संविधान के अनुसार देती है तो वह अपने पिता पर निर्भर कैसे हो सकता है ? इसलिए मैं मंत्रीजी से निवेदन करूँगा कि इस पोईन्ट को गहराई से समझेंगे। 'डिपेन्डिबल' एम्बीगुअस टर्म है। इसके अनुसार सालों तक कोई दूसरों पर निर्भर रहेगा तो कठिनाई पैदा होगी जिसका कोई हल नहीं मिलेगा। इसलिए इसके बजाय माइनर चिल्ड्रन या २१ साल से कम आयुवाला रखेंगे तो बात समझ में आ सकती है।

दूसरी बात, स्टेन्डर्ड एकड़ की ओर सारे सदस्यों का ध्यान गया है। मैं भी इस बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि सैद्धान्तिक दृष्टि से विश्लेषण किया जाय तो जमीन का वितरण इस दृष्टि से किया जाय कि जिसको जमीन दे रहे हैं वह इस प्रकार की हो कि आदमियों में गरीबी न बंटे बल्कि खुशहाली बंटे और उसके लिए आगे किसान के परिवार पर विचार करना पड़ेगा। मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। आज मोटे रूप से एक किसान की हालत देखी जाय तो उसके पास रहने के लिए एक फूस की कुटिया होती है और उसके बच्चे नंगे रहते हैं ८, १० साल तक। उनकी शिक्षा के लिए कोई स्कूल नहीं है और पहिनने के कपड़ों की हालत यह है कि लंगोटी लगा सकता है। लंगोटी पर साबुन लगाना तो दूर की बात है शायद उसका धुपना ही मुश्किल है। इसी दशा में आप उनको

(श्री दयाकृष्ण विजय)

इस स्वतंत्र देश में रखना चाहते हैं क्या? आज हर आदमी के लिए कहते हैं कि उसका जीवन स्तर ऊपर उठाना चाहिये। सीलिंग में भी यही भावना है। किसान का जीवन स्तर उठाना चाहते हैं। हर आदमी का जीवन स्तर उठाना चाहते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में जिनमें घोटाला बहुत और लाभ कम है उनका भी उद्देश्य यही है। जब हम सब का जीवन स्तर उठाना चाहते हैं तो हमारा काम इस प्रकार का होना चाहिये कि उससे लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे।

इसमें आपने ३० स्टेन्डड एकड़ रखा है और स्टेन्डर्ड एकड़ यह रखा है कि जिसके खेत में १० मण अनाज प्रति एकड़ पैदा होता है वह स्टेन्डर्ड एकड़ होगा और वेल्युएशन किया है २२ रु० प्रति मण के हिसाब से। इस तरह से एक एकड़ पर १२० रु० की आय मानी है और ३० एकड़ को मिलाया जायेगा तो ३,६०० रुपये होते हैं। यह उसकी साल भर की ग्रोस इन्कम है जिसमें पर्सनल लेबर उसका ही नहीं बल्कि उसकी फेमिली के चार सदस्यों का भी इन्क्ल्यूड करते हैं और उसके साथ ही उसके बैलों का खर्चा, बीज का खर्चा, सिंचाई का खर्चा, खाद का खर्चा भी उसमें इन्क्ल्यूड करते हैं और फिर सबसे बड़ी चीज़ है दैविक आपत्ति वह भी इन्क्ल्यूड करदी है। इन सारी बातों को देखते हैं तो किसान के पास क्या रह जाता है? २० मण में बैल का खर्चा, खाद का खर्चा, सिंचाई का खर्चा, बैटरमेन्ट लेवी का खर्चा और इरिगेशन चार्जेज निकाल दीजिये और जाने क्या क्या टैक्सेज प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में रखे हैं उनको निकालने के बाद किसान के पास क्या बचेगा और उससे क्या किसान अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है? जैसा कि माननीय श्री भैरोंसिंहजी ने बताया था, उसके पास से १,८०० रुपये निकल जायेंगे और १,८०० रु० उसके पास रहेंगे। मैं आगे गहराई में नहीं जाकर कहना चाहता हूँ कि उसका गुजर इससे चल नहीं सकता। मैं फिर कहूँगा कि स्टेन्डर्ड एकड़ इस प्रकार का हो जिससे वह कम से कम २०० रुपये प्राप्त कर सके तो ३० एकड़ से ६,००० रुपये उसके पास आयेंगे जिनमें से १,८०० रुपये निकाल दें किसान की पर्सनल लेबर निकाल दें तो भी उसके पास ३ या ४ हजार रुपये बच जायेंगे पालन पोषण के लिए और मध्यम परिवार की तरह वह चल सकेगा। ग्रोस इन्कम को मूल इन्कम नहीं मान सकते, यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

कुछ ट्रान्सफर्स को लेकर प्रश्न खड़ा हुआ है। आपने बिल में रखा है कि सन् '५७ से पहले जिन लोगों ने ट्रान्सफर्स कर दिये हैं वे वेलिड रहेंगे लेकिन जो बाद के ट्रान्सफर्स हैं उनको आप वेलिड नहीं मानते। मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूँ और उसके जरिये बताने की कोशिश करूँगा कि जब आपने फेमिली ५ आदमियों की मान ली उसमें पति, पत्नि और बच्चे आजाते हैं। यदि उसने आज की परिस्थिति में ट्रान्सफर कर दिया और कुछ दूसरे लोगों के नाम कर भी दिया है जो उस पर आधारित रहनेवाले या निर्भर रहनेवाले चिल्ड्रन हैं तो वह स्वाभाविक रूप से उसकी जमीन मानी जायेगी तो आपका यह क्लॉज रखना बिल्कुल बेकार है जब कि बिल्कुल स्पेसिफिक है कि ५ आदमियों

(श्री दयाकृष्ण विजय)

की फेमिली है। यदि ६ होते हैं तो डबल ले लेगा। इतने एकड़ इन्डिविज्युअल के लिये माना है तो इस प्रकार के ट्रान्सफर्स को इनवेलिड करना निरर्थक है। किसी ने दूसरे को बेचा है जिससे उसको एडवान्टेजस प्राइस मिलती है तो इससे परेशानी क्या है? जिसने खरीदी है अपनी प्रसन्नता से खरीदी है। विवश होकर उसने नहीं ली है। यदि वह खेती पर निर्भर करना चाहता है तो आपको उसमें आपत्ति क्या है? आपकी आपत्ति यह हो सकती है कि ३० एकड़ से ज्यादा नहीं हो, यही तो कहना चाहते हैं? लेकिन यदि एक परिवार ने मिल कर खेती कर ली तो उस पर आप क्यों प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं कि तुम्हारा नाम इसमें इन्क्लूडेड नहीं है? यदि वह काश्त पर निर्भर रहना चाहता है तो इसमें आपत्ति क्या है? आप यही तो कह सकते हैं कि ऐसे आदमी के पास जमीन चली जायेगी जो पहले काश्तकार नहीं था इससे जो वास्तव में नियमित तौर से खेती करनेवाले हैं वे महरूम रह जाते हैं! लेकिन कितने जमीदारों का क्वेश्चन खड़ा हो गया, कानूनी ढंग से? मैं चाहूंगा कि इसमें न उलझा जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आपने रखा है कि इस प्रकार जमीन सीलिंग से जिनके पास ज्यादा है वे गवर्नमेंट को सरेन्डर करेंगे। मैं इससे सहमत नहीं होना चाहता। वह गवर्नमेंट के पास सरेन्डर क्यों करे? उसको छोड़ दीजिये और अगर वह पांच, छः महीने में डिस्पोज ऑफ नहीं करता है मार्केट रेट पर, मार्केट रेट ही क्यों, वह चाहे तो मुफ्त में दे दे, बहुत कम पैसे में दे, यदि उसको कोई कम्पेन्सेशन नहीं लेना है लेकिन उसको आप टाइम दीजिये जिस दिन एक्ट फोर्स में आता है, उस दिन से पांच, छः महीने का टाइम दीजिये और छः महीने के लिए कहिये कि जितनी जमीन है। वह जमीन दे सकता है। अगर नहीं देता है। तो सरकार के पास सरेन्डर करनी पडेगी और जिस प्रकार आपने रखा है, मैं कहूंगा कि मार्केट रेट दिया जायेगा, जो भी इक्वीटेबल रेट हो सकती है उसमें कर सकता है। कम्पेन्सेशन की बात जो इस प्रकार आपने रखी है मैं समझता हूं कि पहले डिस्पोज ऑफ करने के लिए छूट दे देंगे तो वह सारा झगड़ा, लैंड एक्वीजीशन के तहत दे दें, मार्केट वेल्यू के अनुसार दे दें, खत्म हो जायेगा।

इसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात है, जिसको मैं कॉन्स्टीट्यूशनली लूंगा, जो कि एक्ट में वैधानिक आपत्तियाँ खड़ी करेगा, उसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह है कि एक्जेम्पसन को हमें गम्भीरता से देखने की जरूरत है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि एक्जेम्पसन होना चाहिए। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि एक्जेम्पसन नहीं होना चहिए। मैं एक नये तरीके से श्रीमान् के सामने रखना चाहता हूं। वह यह है कि आपने एक्ट के तहत कुछ जमीन एक्जेम्प्ट की है, उस जमीन के ऊपर सीलिंग लागू नहीं होगा। इसका अर्थ है कि किसी बड़े अफीसियेन्टली मेनेज्ड फार्म की ओर नहीं झुकेगा। अगर किसी के पास शुगर फार्म हैं, सरकार देखनेवाली नहीं है। अगर किसी के कोआपरेटिव फार्मिंग हैं तो सरकार देखेगी नहीं। अब एक व्यक्ति जिस के पास शुगर फार्म है और उसके पास बारानी और इरीगेटेड लैंड भी है। तो वह कहेगा कि आपके सीलिंग के द्वारा शुगर फार्म एक्जेम्प्ट हैं, उसकी ओर आपको देखने का अधिकार

Page No.95

(श्री दयाकृष्ण विजय)

नहीं। बारानी और इरीगेटेड लैंड हैं, उनको आपके कानून ने एक्जेम्प्ट किया है आप उनकी तरफ देख नहीं सकते। इस प्रकार वह आदमी शुगर फार्म रख सकता है और आप के सीलिंग के माफिक दूसरी जमीन भी रख सकता है। एक और बात देखिये, आपने एक्जेम्प्ट किया है कन्टीन्यूअसली तीन, चार चीजों को। आप लीजिये, वैल मेकेनाइज्ड फार्म, शुगर फार्म, कोआपरेटिव फार्म, केटल ब्रीडिंग आदि फार्म। मैं शुगर फार्म रखता हूं। मेरे पास वेल मेकेनाइज्ड फर्म हैं, मैं कोऑपरेटिव फार्मिङ्ग का मेम्बर हूं, मैं केटल ब्रीडिंग वगैरह करता हूं। मेरे पास अलग अलग चीजें हैं। इस एक्ट के तहत उनकी तरफ नजर नहीं डाल सकते। इस एक्ट के तहत में होर्स ब्रीडिंग के नाम पर कितनी जमीन रख सकता हूँ इसका उल्लेख एक्ट में नहीं है। मैं जागीरदार हूं। मेरे पास १ हजार बीघा जमीन है। वह मैं रख सकता हूं उसकी ओर आप नहीं देखेंगे। मैं कोऑपरेटिव फार्मिंग का मेम्बर हूं और एक हजार बीघा जमीन मेरे पास है, उसकी तरफ आप देख नहीं सकते। मैं एक और बात बताऊं, मैंने वैल अफीसियेन्टली मेनेज्ड फार्म के नाम पर ट्रेक्टर खरीद कर एक जमीन पर कब्जा कर रखा है। वह १ हजार बीघा जमीन है। इस तरह से दो, तीन एक्जेम्प्सन हैं। इस प्रकार मैं चार, पांच हजार बीघे जमीन का मालिक हूं। आप किस प्रकार जमीन छीन सकते हैं? आपके पास अधिकार नहीं है। आपने यह नहीं रखा है, कि यदि आपके पास गार्डन है तो आप बारानी और इरीगेटेड लैंड नहीं रख सकते। अगर आपके पास अफीसियेन्टली मेनेज्ड फार्म हैं तो न आप होर्स ब्रीडिंग कर सकते हैं और न कुछ जमीन रख सकते हैं।

मैं एक और बात बताना चाहता हूं जैसे लोग बाग बनाते हैं उसके लिए एक हजार बीघा जमीन रखी है। वह उसके परिवार के पालन पोषण के लिए पर्याप्त है क्योंकि कोई लॉन बनाने के लिए बाग नहीं लगाता है कोई फूल सूंघने और माला पहिनने के लिए बाग नहीं लगाता है। वह कमाई के लिए बाग लगाता है। अगर उसमें १०० पेड़ नीबू के हैं तो वह उनका ठेका दे देगा और उससे आमदनी हो जायेगी। आम के पेड़ हैं उससे एक हजार की आमदनी होगी। अमरूद के पेड़ से कुछ आमदनी हो जाती है। क्योंकि वे उत्पादनवाली चीजें हैं केवल मनोरंजन की चीजें नहीं हैं। दूसरे वह उत्पादन करता है जिससे अपना पेट भर सकता है जो प्रोडेक्टिव है। यदि एक व्यापारी होता और उसके पास १०, ११ मकान होते तो उसकी तरफ नहीं देखते लेकिन सीलिंग लैंड पर होना चाहिए, जो प्रोडेक्टिव हैं। दूसरी बात यह है कि अधिक से अधिक उत्पादन बढ़े। स्थाई उत्पादन करने वाली चीजें हैं उनका सीलिंग होना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि आप एक्जेम्प्सन रख रहे हैं तो उसमें यह हो कि वह एक एक्जेम्प्सन वाली चीज रख सकता है, दूसरी नहीं रख सकता, न उस के पास एक्स्ट्रा लैंड रहेगा। यह क्लीअर नहीं होगा तो वह चीजों को बांट देगा। मैंने देखा भी है, लोग मुझसे पूछते हैं, हमने इस तरह का बाग बना लिया है उस पर असर नहीं होगा? मैंने कहा नहीं पड़ेगा। कोई कहता है कि ट्रेक्टर लेकर आया हूं मेरी जमीन पर असर तो नहीं पड़ेगा? हमने कहा, नहीं पड़ेगा। अगर एक बोर्ड और लगा लो और ट्रेक्टर दिखा दो, जिस दिन इन्सपेक्टर देखने आये उस दिन ट्रेक्टर चल जाना चाहिए। इसी तरह मैं एक और बात निवेदन करना चाहता हूँ।

Page No.96

(श्री दयाकृष्ण विजय)

वह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जो कि इस बिल में नहीं है। जैसा मैंने प्रारम्भ में सैद्धान्तिक बात बताते हुए निवेदन किया था हम इस प्रकार भूमि का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं कि लोगों के हाथ में जमीन किसी नाम से नहीं रह जाय। किन्तु सीलिंग एक बार होगा, हर साल नहीं होगा इसलिए बहुत भावुकता और राजनैतिक कारणों में नहीं जाना चाहिए। इसलिए जिन लोगों के पास अफीसियेन्टली मेनेज्ड फार्म के नाम से जमीन है उसको डिवाइड कर दिया जाय। उसमें आपत्ति क्या है? जिस व्यक्ति के पास साधन हैं, ट्रेक्टर आदि हैं उसका मिल कर लोग उपयोग कर सकते हैं। यदि कुछ सिंचाई का प्रबन्ध किया है, तो सिंचाई के साधन का सब उपयोग कर सकते हैं। जिस आदमी के नाम पर जमीन डिस्ट्रीब्यूट की है वह सिंचाई के साधन उपलब्ध कर सकता है। उदाहरण के लिए एक हजार एकड़ का एक फार्म है और उस एक हजार एकड़ को ३० एकड़ के हिसाब से डिवाइड करें तो ३३ आदमियों को बाँट सकते हैं। अब ३३ आदमियों को जमीन बांटी हुई है। वे एक आदमी के साधन का उपयोग करते हैं और उस साधन के मुआवजे में उसे किराया देते हैं तो उसमें क्या आपत्ति है? ऐसे आदमी जिसके पास अफीसियेन्टली मेनेज्ड फार्म है, वह खुद काम नहीं करेगा बल्कि हैल्थ करनेवाले हायर्ड लेबर रखेंगा। एक आदमी कन्ट्रोल कर सकता है मगर जमीन को टिल नहीं कर सकता, अपने हाथ से जोत नहीं सकता, कटाई नहीं कर सकता, खलिहान वगैरह कर नहीं कर सकता, इसलिए हायर्ड लेबर की जरूरत होगी। वह महसूस करेगा कि मैं मालिक हूँ। अब अगर उसमें से दूसरों को जमीन मिल जाय और जो प्रोडेक्शन होता है उसमें से कुछ हर्जाना दे दिया जाय तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है? आप उस जमीन को ३३ आदमियों में बाँट दीजिये और किराया उसे मिल जाय। वैसे

४.३८ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

किराया सरकार भी देगी। अगर उसे तकावी दी है तो वह वसूल होगी और जो अदर चार्जेज़ वगैरह हैं वह सरकार के बजाय वह व्यक्ति ले लेता है तो उसमें आपत्ति क्या रह जाती है? इससे दौलत का उत्पादन दौलतवाले नहीं मानेंगे। आदमी अधिक से अधिक काम करेगा। जो कुछ वह आदमी मेहनत से अधिक उपज करेगा वह तभी करेगा जब वह मालिक है। अगर वह मजदूर है तो नहीं करेगा। यदि एक आदमी के बजाय ३३ आदमी मालिक बन जायें और ३३ आदमियों की इच्छा और कर्म से ज्यादा प्रोडेक्शन बढ़े तो क्या आपत्ति है? एक कॉम्पेक्ट ब्लॉक है। वह डिवाइड नहीं हुआ। वह डिवाइड होगा। तो ज्यादा से ज्यादा दो फीट मेढ़ के लिए छूट जायेगी। इससे ज्यादा नुकसान होनेवाला नहीं है। बल्कि वे सब मिल कर और ज्यादा काम कर सकते हैं। इस प्रकार मैं निवेदन कर सकता हूँ कि यह कहा जाय कि एक अफीसियेन्टली मेनेज्ड फार्म रहना चाहिए और इसलिए नहीं तोड़ना चाहिए कि उत्पादन घटेगा, यह कहना ठीक नहीं है। इसके बाद जो आपने शुगर फार्म रखा है उसके लिए मैं आपत्ति करता हूँ। क्योंकि जो शुगर फार्म का मालिक है वह उद्योगपति है,

(श्री दयाकृष्ण विजय)

उसको चान्स देते हैं। वह भूमिपति भी नहीं है। एक आदमी के हाथ में इस प्रकार आप पूंजी पैदा करनेवाला साधन देते हैं। इस प्रकार के साधन एक आदमी के हाथ में देना समाजवाद के खिलाफ है और सामाजिक न्याय के विरुद्ध है और इस प्रकार पूँजीवादी व्यवस्था को बल देना है।

आप स्वयं छांट कर शुगर फार्म के लिए देखिए कि कितने शुगर फार्म आपके यहाँ हैं, और कितने शुगर फार्म्स की आवश्यकता है और उन शुगर फार्म्स के लिए कितने शुगर केन्स की आवश्यकता है ? आप किसानों को बाधित कर दें कि हमारी शुगर फार्म बिगड़ नहीं जायं इसके लिए इतना गन्ने का उत्पादन करना पड़ेगा। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा हमारे यहाँ इतने कॉटन मिल चलते हैं तो आखिर उनके लिए आवश्यकता के अनुसार कपास तो चाहिये तो कल कॉटन मिलवाले कहेंगे कि हमारे कॉटन मिल के लिए इतने कपास की आवश्यकता है इसके बिना हम कॉटन मिल चला नहीं सकते। इतना कपास पैदा करने के लिए हमारे पास इतनी जमीन तो चाहिये। और जैसा कि अभी श्रीअमृतलालजी यादव ने कहा कि गेहूं खानेवाले कहेंगे कि हमें गेहूं के लिए इतनी भूमि दी जाय। इसी तरह जिनकी शुगर मिल्स हैं उनको शुगर केन्स पैदा करने के लिए फार्म नहीं देंगे तो शुगर केन्स कहां से लायेंगे और कल यह कहा जायेगा कि जो जितना अनाज खाता है उतना अनाज पैदा करने के लिए उसको जमीन दे दी जाय। अन्न हर एक के लिए चाहिए इस लिए हर एक को जमीन दे दी जाय, यह तो ठीक नहीं रहेगा।

आपने जो एग्जेम्पशन्स दिये हैं, मेकेनाईज्ड फार्म्स के लिए जो आपने एग्जेम्पशन्स दिये हैं वे सब एग्जेम्पशन्स खत्म करिये और एग्जेम्पशन की मर्यादा रखिये कि सीलिंग एरिया से अधिक जमीन किसी के पास नहीं रहेगी। इस बात पर आते हैं तो कोई झगड़ा नहीं रहता। चाहे वे अपने भाई को दें, भतीजे को दें या किसी और को दें। जिन परिवारों का डिविजन हो चुका है वे लोग आयन्दा की जनरेशन्स में कभी यूनाइट नहीं होंगे। एक परिवार में जब तक पिता जीवित है तब तक उसके बच्चे शामिल रहेंगे और पिता के मरने के बाद कोई शामिल नहीं रहेगा।

यदि सीलिंग के बिल में यह नहीं रखा कि भविष्य में जाकर फ्रेग्मेन्टेशन नहीं हो-बहिन व्याह कर दूसरी जगह चली जाती है वह कानून के अनुसार पिता की सम्पत्ति में अधिकारिणी होती है, वह आयेगी और इसमें अपना हिस्सा माँगेगी, इन सारी चीजों को इसमें नहीं दिया तो सीलिंग का मकसद पूरा नहीं होगा।

आप तो यह करिये कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ मान कर रख दें फिर न एग्जेम्पशन करने की आवश्यकता है और न दूसरों को शोषण करने की आवश्यकता है। इस तरह करने से रोटी, रोजी और मकान की व्यवस्था करना चाहते हैं वह कर सकेंगे।

एक अन्तिम बात यह कहना चाहूँगा कि आपने इस प्रकार का डिविजन किया है कि केवल एरिया का नहीं रखा है। वैल से इरिगेटेड लैंड है उसको बिल्कुल एग्जेम्प्ट कर दिया है। आप तो

Page No.98

(श्री दयाकृष्ण विजय)

सीधा सा यह रखिये कि एक जमीन है जिससे कि २०० रुपया पैदा किया जा सकता है उसको ३० से गुना करने पर ६,००० रुपया होता है वह रखिये। इस तरह से न तो इरिगेटेड के और न अन इरिगेटेड लैंड के चक्कर में पड़ेंगे। आपके पास सब जगह का सेटलमेंट का रेकॉर्ड मौजूद है। सारी जमीन का रेकॉर्ड है कि एकम, दोयम, सोयम जमीन है उससे इतना इतना उत्पादन इतनी इतनी जमीन से होता है, इस इस प्रदेश में और इस इस तहसील में इतनी इतनी जमीन से इतना इतना पैदा होता है। मैं यह मानता हूँ कि इरिगेटेड लैंड है उसमें समान पैदायश होगी चाहे कुओं से सिंचाई की जाय, नहरों से सिंचाई की जाय या तालाबों से सिंचाई की जाय, समान पैदायश होगी।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : पर एक तरह से देखा जाय तो कुओं की जमीन में खर्चा ज्यादा लगाने से खेती होती है और नहरों से जहाँ पिलाई होती है उसमें खर्चा कम लगता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा भी थोड़ा बहुत सम्बन्ध खेती से रहा है। जिस किसान के पास दो बैल हैं, चड़स से पानी खींच कर वह उत्पादन करता है तो भूसा जमीन देती है, पैसा करके उन बैलों को कभी किसी किसान ने खिलाया हो तो रावल साहब बतावें? अपनी जमीन से जो प्रोडेक्शन होता है किसान वही अपने बैलों को खिलाता है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : अकाउन्ट तो फोडर का भी करना ही पड़ेगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : नहरों से जो सिंचाई की जाती है तो उसमें ज्यादा पैसा देना पड़ता है क्योंकि सिंचाई की दर विशेष है, कुएं से जो सिंचाई की जाती है उससे अतिरिक्त देना पड़ता है। राजस्थान सरकार जो बैटरमेंट लेवी लगा रही है एक बीघे पर १५ रुपया और एक एकड़ पर करीब ३७॥ रुपया पड़ता है। तो ऐसी सूरत में वैल इरिगेशन में नहरी इरिगेशन से ज्यादा खर्चा आता है। इस प्रकार का डिविजन किया जाता है वह ठीक नहीं है। इस प्रकार के डिविजन को न रख कर एक सिद्धान्त रख लीजिये कि इरिगेटेड से इतनी पैदा होती है और अन्-इरिगेटेड से इतनी पैदा होती है।

इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूँगा कि यह बिल ऐसा है कि इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है और जैसा कि माननीय श्री भैरोंसिंहजी ने कहा था कि इसे फिर सलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय, भले ही थोड़े दिनों के लिए ही भेजा जाय, एक छोटी सी कमेटी में ६, ७ दिन के लिए ही भेजा जाय पर इसे एक बार अवश्य सलेक्ट कमेटी में भेजा जाय क्योंकि वहाँ पर इन सब बातों पर अच्छी तरह से विचार किया जा सकता है।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान टिनेन्सी छठे संशोधन विधेयक पर हम यहाँ पर विचार कर

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

रहे हैं। उसके सम्बन्ध में कल से अब तक अनेक महानुभाव अपने अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। यद्यपि सब वक्ता महोदयों ने इस विधेयक की जो मंशा है, किसानों को अधिक से अधिक राहत पहुँचाने की। उसकी ओर संकेत किया है, केवल उस तरफ बैठनेवाले एक महोदय को छोड़ कर। पर सब ने केवल किसानों की परिभाषा में अन्तर किया है। कुछ ने आरम्भ में किसानों के हित की दृष्टि से बातें कहीं हैं पर थोड़ी देर चल कर आखिर में उन्हीं लोगों का समर्थन किया है जिनके लिए कि यह विधेयक नहीं बनाया जा रहा है। जहाँ तक इस विधेयक की भावना का उद्देश्य और मंशा है, मैं समझता हूँ कि उसको सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट लाने के अवसर पर ही भलीभांति प्रकट कर दिया गया था और हमारे प्लानिंग कमीशन ने भी जिन शब्दों में उसका उल्लेख किया है वे शब्द इस प्रकार हैं:—

"It appears to us that in relation to land as also in other sectors of economy, individual property in excess of any norm that may be proposed has to be justified in terms of public interest and not merely on grounds of individual rights or claims. We are, therefore, in favour of the principle that there should be an upper limit to the amount of land that an individual may hold."

इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि जिस ढंग से हम अपने विचार प्रकट कर रहे हैं उससे ऐसा मालूम होता है कि हमारा दृष्टिकोण यह है कि जिन लोगों के पास अब तक बहुत कुछ जमीन रही है, जो कई कई हजार बीघा या एकड़ जमीन के मालिक रहे हैं, यदि उनकी जमीन की सीमा निर्धारित हो जाती है, कोई उच्चतम लक्ष्य निर्धारित हो जाता हैं, तो उनकी सुख सुविधा में अंतर आ जावेगा। हम बड़े सुन्दर शब्दों में ऐसा कहते हैं, कि हम देश में ऐसा किसान चाहते हैं जिसके पास बहुत बड़ा फार्म हो, जिसके पास ट्रैक्टर हो, जिसके पास फार्म पर रेडियो सेट हो और इसके अलावा और भी जितनी भी सुविधाएं उसको हो सकें वे होनी चाहिए। यह बात कल्पना में बहुत सुन्दर है, सुनने में बड़ी सुंदर मालूम होती है लेकिन हमें देखना यह है कि जिस देश में हम रहते हैं उसके लिए यह उपयुक्त हो सकता है या नहीं? यह बातें हमारे दृष्टिकोण में कनाडा और आस्ट्रेलिया में हो सकती हैं या किसी दूसरे मुल्क में हो सकती हैं जहां पर जमीन ज्यादा हो और आबादी बहुत कम हो। लेकिन हम उस देश और प्रदेश की बातें कर रहे हैं जहां भूमि कम है और भूमि पर काम करनेवाले लोगों की संख्या अधिक है। यह विधेयक इसलिए नहीं लाया जा रहा है कि उन लोगों को अपने बच्चों को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में लाने में कमी हो जावेगी, पार्लियामेंट के या एसेम्बली के सदस्य नहीं बन सकेंगे या पुलिस के बड़े बड़े ओहदों पर नहीं जा सकेंगे। इसके लिए इस विधेयक की कतई मंशा नहीं है। मैं जानता हूं कि यह कोई आकस्मिक बात हमारे देश में नहीं आ रही है बल्कि यह बात हमारे यहाँ पुरानी परम्परा और रीति-नीति पर आधारित है। कांग्रेस ने आज से ३० वर्ष पूर्व यह निश्चय किया था कि यदि हमें देश की भूखमरी को मिटाना है, लोगों को रोजगार दिलाना है

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

और उनकी बेकारी को मिटाना है तो हमको भूमि का समान वितरण करना पड़ेगा। यह आज की बात नहीं है। यह आज से ३० वर्ष पहले की बात है। यह बात कांग्रेस के प्रस्तावों में है। इसी के आधार पर हमारे प्लानिंग कमिश्नर ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भूमि पर हमको अधिकतम सीमा निर्धारित करनी होगी और उन किसानों के लिए जिनकी कल्पना महात्मा गाँधी ने की थी, जिनकी कल्पना कांग्रेस के नेताओं ने की थी। महात्मा गाँधी किसानों से मतलब यह नहीं लगाते थे कि जिसके पास फार्म हो, ट्रैक्टर हो, रेडियो सेट हो और फार्म हाउसेज हों। इस प्रकार के किसान की कल्पना वे भारतवर्ष के किसान के लिए नहीं करते थे। उनकी नजरों में और कांग्रेस की नजरों में वह किसान था जिनकी पीठ पेट में लगती थी। जिनके शरीर पर पहिनने को कपड़े नहीं थे, पैरों में पहिनने के लिए जूते नहीं थे, जिनको भारतवर्ष में सोने के लिए जमीन नहीं थी, जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं थी। उस प्रकार के किसान की कल्पना महात्मा गाँधी ने की थी। वही कल्पना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की थी। इसी कल्पना को महात्मा गाँधी जब कभी अपनी रीति नीति के बारे में प्रचार करते तो किसानों को कहते थे। तो यह उनका सबसे बड़ा प्रचार होता था कि जब देश में स्वराज्य होगा, देश में देशवासियों का शासन होगा तो सबसे पहले किसानों को राहत पहुँचानी होगी। वे भरपेट अपना खाना खा सकें, उनके पहिनने को कपड़े हों, अपने बीमार बच्चों को दवा दारू दिला सकें, रहने के लिए मकान हो, पहिनने को कपड़ा हो इस प्रकार की बातें करते थे। आज जब हमारे हाथ में शासन आया है, मैं समझता हूँ कि यह हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम उन वायदों को पूरा करें। मैं समझता हूँ कि यह विधेयक आज से कई वर्ष पहले आना चाहिये था। जैसे ही सन् '५३ में कमेटी बनी उस समय वास्तव में हम लोगों को आशा थी कि हम अपने देश के किसान को सुविधाएं दे सकेंगे। मगर नहीं दिला सके। अब भी लोग हम से कहते हैं कि कहिये आप कहा करते थे कि आप किसानों को सुख और सुविधा दिला सकेंगे मगर आज भी किसानों की वही हालत है। किसान मजदूर हैं और आज भी उनकी वही हालत है जो पहले थी। उनको जगह जगह जमींदारों और जागीरदारों के आधीन रहना पड़ता है। हमारे पास जब वे लोग ऐसा कहते हैं तो कोई उत्तर नहीं है। आज जब हम यहाँ पर बड़े बड़े भाषण सुनते हैं और किसानों के नाम पर बहुत सी बातें कही जाती हैं। उनको सुनते हैं तो उनमें अधिकांश भाषण जो हमने सुनने हैं उनमें किसानों के नाम पर बोलते समय किसानों के बजाय उन्होंने भूस्वामियों की ज्यादा हिमायत की है। और वास्तव में जो किसान हैं जिनके पास भूमि नहीं है उनकी तरफ हमारी नजर कम जाती है। इससे आभास मिलता है कि उनको उन लोगों की ज्यादा चिन्ता है जिन्होंने काफी अर्से से काफी जमीन से लाभ उठाया है और जिन्होंने किसान मजदूर को गुलामों की तरह रख कर और काम करा कर धन कमाया है। वास्तव में विधेयक का उद्देश्य यह है कि भूमि पर काम करनेवालों को किसान होते हुए भी लाभ नहीं मिला है, जो भूमि को अपनी नहीं कह सकते और अधिक अन्न उस पर नहीं उपजा सकते हैं, उन लोगों

(श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी)

को भूमि मिलनी चाहिए। यह इस विधेयक की मंशा और उद्देश्य है। इसका उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो बेकार हैं और योग्य हैं फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा है उन लोगों को काम दिलाया जावे।

दूसरा इसका यह उद्देश्य है कि उनको स्वावलम्बी भी बनाया जावे।

तीसरा यह कि उनका शोषण बन्द किया जावे और देश का उत्पादन बढ़ाया जावे। इन बातों को दृष्टि में रखते हुए यह उचित समझा गया कि भूमि का इस प्रकार से वितरण हो कि जिनके पास ज्यादा भूमि रही है उनसे भूमि वापिस ले ली जावे और उनको दी जावे जिनके पास भूमि नहीं है। अब देखना यह है कि हम लाभ किसको पहुँचाते हैं ? हमारा यह सिद्धान्त रहा है कि:-

सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु : मा कश्चिद् दुःख भाग्भवेत।

हम चाहते हैं कि हमारे देश के सभी लोग सुखी रहें। सब देशवासियों को सुख मिले। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से हम इस पर अमल नहीं कर सकें तो कम से कम पाश्चात्य लोगों ने जो नीति निर्धारित की है उस पर अमल करें : Greatest good of the greatest number. कम से कम अधिक लोगों को जिससे लाभ मिल सके उसको अपनावें। इससे हम देखते हैं कि इस विधेयक में जिन महानुभावों ने विचार किया उनकी नजरें बहुसंख्या समुदाय की ओर नहीं गई जिनके हित के लिए यह विधेयक रखा जा रहा है। उनका ध्यान गया है उन थोड़े से लोगों की तरफ जो हजारों में गिने जा सकते हैं और जिनकी गिनती लाखों में नहीं आती गया और उन लोगों की तरफ जिनकी गिनती लाखों में आती है, उनको पेट भर खाना नहीं मिलता है या नहीं उसकी तरफ नहीं गया। उन गरीबों को पहिनने को कपड़े मिलते हैं या नहीं, उनके बीमार होने पर बच्चों को दवादारू वे लोग दिला सकते हैं या नहीं, उनके मकानों पर वास्तव में छतें हैं या नहीं, उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं गया। उनका ध्यान उन लोगों की तरफ है जिन्होंने काफी लाभ उठाया है और गरीब लोगों का शोषण किया है। इसका उसूल है कि बहुसंख्यक गरीब लोगों को फायदा पहुँचे। इसके लिये हमारी सलेक्ट कमेटी ने सीमा निर्धारित कर दी है। हमारे राजस्थान में ४ लाख भूमिहीन किसान हैं जिनको मजदूर कहा जा सकता है, जिनके पास भूमि नहीं है और वे भूमि में काम करते हैं। इसमें मुझे भी सन्देह ही है जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि ४ लाख से कई ज्यादा मजदूर हैं। हम भी कहते हैं कि इससे कई ज्यादा हैं। लेकिन अगर इसको भी मान लें कि उनके पास जमीन नहीं है लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत बड़ी संख्या में १७ या १८ लाख के करीब ऐसे लोग हैं जिनके पास एक एकड़ से लगा कर १० एकड़ तक जमीन है। यानि ये लोग जिनके पास बिल्कुल भूमि नहीं है दूसरे वे लोग जिनके पास १ एकड़ या अधिक से अधिक ५० एकड़ भूमि है। मैं समझता हूं यदि उनकी आवश्यकता को देखा जाय और जिस तरह के स्टेन्डर्ड की कल्पना की है दूसरी कोटि के अन्दर आने वाले ३० एकड़ से ज्यादा हैं।

कई माननीय सदस्य : पांच बज गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य समाप्त कर ही रहे हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : ऐसा नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : कल खत्म कर लेंगे।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अभी विधेयक की तो बातें आई ही नहीं हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): Tomorrow we have to take clause by clause.

श्री उपाध्यक्ष : कल वाद-विवाद ३, ३।। बजे तक समाप्त कर दिया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): ३, ३।। बजे बाद जवाब होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : उसके बाद माननीय मंत्री महोदय का उत्तर होगा।

श्री सज्जनसिंह (बूंदी) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा पहले मैंने निवेदन किया था कि बहुत से माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं और उनकी ऐसी इच्छा है कि कल सम्पूर्ण का दिन वाद-विवाद के लिए रखा जाय और माननीय मंत्री महोदय १६ तारीख को जवाब दें। इससे, मैं समझता हूं कि बोलनेवालों का एडजस्टमेन्ट भी हो जायेगा क्योंकि बोलनेवाले अधिक हैं और उनको बोलने का मौका मिल जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिए ७ दिन का कुल टाइम अलॉट किया गया है। इसके लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने दो दिन जनरल बहस के लिए रखें हैं और एक दिन इस आसन के विवेक पर छोड़ दिया गया है।

श्री सज्जनसिंह : क्या मैं आसन से निवेदन कर सकता हूं कि आसन अपना डिस्क्रीशन यूज करके कल का पूरा दिन जनरल डिबेट के लिए रख दे ?

श्री उपाध्यक्ष : It can only be referred to the Business Advisory Committee.
जो कुछ अधिकार इस आसन को दिये हैं वह मैंने निवेदन किया।

५. ४. म. प.

सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

[तदनुपरान्त सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक १४. ८.५६ के ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई]

संक्षिप्त-विवरण

गुरुवार, १३ अगस्त, १९५९

स्तम्भ		स्तम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान में पदक प्राप्त वीर सैनिकों को सरकार द्वारा पुरस्कार।

गंगापुर लालसोट सड़क का कार्य।

ग्राम पंचायत पोलाई कलाँ, तहसील दीगोद का चुनाव।

सूरतगढ़ में सन् १९५७-५८ में एक साला जमीन का अलॉटमेन्ट।

कलेक्टर, झालावाड़ के नाम से मोटर तथा ट्रक टैक्स के मनिऑर्डरों का हिसाब।

उनियारा में टाउन म्यूनिसिपेलिटी द्वारा सड़क निर्माण कार्य।

झुंझुनूं जिले के सहकारी भंडार।

डिस्ट्रिक्ट मैडिकल एण्ड हैल्थ ऑफिसर जयपुर के आधीन रिजर्व डॉक्टर।

ग्राम आधनू, तहसील नोखा के सार्वजनिक कुएँ।

शस्त्रों के लाइसैन्स देने के नियम।

ग्राम सेवा बहुधन्धी सोसाइटी नागोर को ऋण।

बीकानेर पॉवर हाउस की स्थिति सुधारने हेतु लिए निर्णयों को कार्यान्वित करना।

बंवरला ग्राम पंचायत (डेगाना) के चुनाव एवं निर्वाचित सरपंच को चार्ज।

बीकानेर-गंगानगर सड़क।

नगरपालिका पाली द्वारा जमीन का बेचना।

मेजा परियोजना पर कुल व्यय।

निम्बाहेड़ा में जनाने अस्पताल की मांग।

एस० एम० ओ०, बी० सी० जी०, जयपुर द्वारा मोटर के कलपुर्जों तथा मरम्मत के लिए मौखिक आदेश।

मेडिकल कॉलेज, बीकानेर को प्रारम्भ करने के लिए कार्यवाही।

तहसील कोटपुतली की पंचायतों में पंचों की संख्या।

राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट में काम करनेवाले कर्मचारियों की संख्या एवं ग्रेड्स।

बकानी, जिला झालावाड़ के बापू हरिजन का तबादला।

बीकानेर मेडिकल कॉलेज एवं होस्टल में होने वाला खर्चा।

राज्य में चतुर्थ श्रेणी की नगर-पालिकायें।

ग्राम रामपुरा के गणपतराम मीणा की थानेदार श्री जनकसिंह द्वारा पिटाई।

विधायी कार्य

राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १६५८

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने के प्रस्ताव पर आज भी वाद-विवाद जारी रहा। जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया—

(१) राजा श्री मानसिंह
(२) श्री भैरोंसिंह (१४)
(३) श्री हरिप्रसाद यादव
(४) राव श्री नारायणसिंह
(५) डॉ० बहादुरसिंह
(६) श्री अमृतलाल यादव
(७) श्री हीरा भाई
(८) श्री लक्ष्मीचन्द
(९) श्री तेजमल बाफना
(१०) श्री मोहरसिंह
(११) श्री लक्ष्मण हीरात
(१२) श्री दयाकृष्ण विजय
(१३) श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी

श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी अपना भाषण दे रहे थे कि सदन की बैठक ५ बज कर ४ मिनट पर शुक्रवार, दिनांक १४ अगस्त, १६५६ को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

शुक्रवार, दिनांक १४ अगस्त, १६५६ की कार्य-सूची

(१) राज्य में चीनी की समस्या से सम्बन्धित श्री जगदीशप्रसाद माथुर के नियम १३१ के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता का वक्तव्य।

(२) प्रवर समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

(अ) राजस्थान पंचायत समिति जिला परिषद् विधेयक, १६५६।

(ब) राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १६५६।

(स) राजस्थान ग्रामदान विधेयक, १६५६।

(३) राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १६५६।

(विचारार्थ लिया जाना)

परिशिष्ट १

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२२ का उत्तर देखिए]

सूची तहसील कोटपुतली की उन पंचायतों की जिनकी पंच संख्या १० से अधिक है मय जनसंख्या व पंच संख्या

क. संख्या	नाम पंचायत	नाम ग्राम	जन संख्या	पंच संख्या
१	२	३	४	५
१	कांसली	कांसली	१,०३५	४
		जोधपुरा मोहनपुरा	६०८	२
		कुत्रीता	६०७	२
		महरमपुरा	३६५	१
		कल्याणपुरा खुर्द	७१४	१
		राठेड़ा	१८८	१
		फतहपुरा	४५१	१
		किरतपुरा	२१३	१
		अजीतपुरा	४२६	१
				१४
२	मीणावास	मीणावास	१,८३६	४
		टसकोला	१,३४६	२
		खेलना	१,८६१	३
		कसकोल माजूकोट	३४६	१
		लालाना	३७२	१
		पंडितपुरा	५४६	१
		फतहपुरा	५३५	१
		कनेड़	२३५	१
				१४
३	भाकरी	भाकरी	१,८५८	३
		पांचपगड़ी	१२२	१
		मेड़ा	२,६६७	२
		राजनोता	४,६३६	७

१	२	३	४	५
		जोधपुरा	२२८	१
				१४
४	सारून्ड	सारून्ड	१,१६३	३
		खरब	१,१६३	४
		जगदीशपुरा	४२२	१
		खेडा निहालपुरा	६४८	२
		नारंगपुरा	२६४	१
		मोजावास	२२०	१
				१२
५	दांतिल	दांतिल	४,८१७	६
		सुन्दरपुरा	१,१६०	४
		दाडा	४७२	१
				१४
६	बनेठी	बनेठी	२,८३६	५
		नांगल	६४३	२
		बनार	१,०११	४
		पनेड़ा	२६६	१
				१२
७	पनियाला	पनियाला	१,००७	३
		गोनेड़ा	६३५	३
		कालूहेड़ा	४१६	१
		मोरधा	५००	१
		मलपुरा	५०६	२
		केशवाना गूजर	१८६	१
		केशवाना राजपूत	४८८	१
		करवास	४५८	१
		खेड़की मुकड़	४८६	१
				१४
८	प्रागपुरा	प्रागपुरा	३,३३०	१३

१	२	३	४	५
६	पावटा	पावटा	२,६०८	८
		रूड़नगर	२,७८८	४
		गिराडोद	२८७	१
		कल्याणपुरा	१८५	१
				१४

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या का १२७ उत्तर देखिये)

राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिकाओं की सूची

१.	साँभर	१५.	सगरिया
२.	सीकर	१६.	नोहर
३.	कराची	१७.	भादरा
४.	राजगढ़-अलवर	१८.	भानोर
५.	सेहली	१९.	लाडनूं
६.	धौलपुर	२०.	मेड़ता
७.	चुरू	२१.	पाली
८.	रतनगढ़	२२.	बालोतरा
९.	राजगढ़-चूरू	२३.	सिरोही
१०.	सुजानगढ़	२४.	डूंगरपुर
११.	सरदारशहर	२५.	चित्तौड़गढ़
१२.	डूंगरगढ़	२६.	प्रतापगढ़
१३.	सूरतगढ़	२७.	निम्बाहेड़ा
१४.	गजसिंहपुर		

परीशिष्ट ३

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६६ का उत्तर देखिये]

	1955	Remarks.
1.	12775/H Ladhu Ram Vr.	Under consideration
2.	24854 Rfn Nohar Singh Vrc.	Rs. 500/-
3.	223/596. Hav. Hazari Singh Vrc.	
4.	3039697 Sep- Brdh Singh Vrc.	
	1956	
5.	Jam. Megh Singh. Vrc.	Rs. 1,000/-
6.	Hav. Rechpal Ram Vrc.	
7.	Hav. Chhotoo Singh Vrc.	
8.	M/K Chhog Singh Vrc.	
9.	N/K Birbal Ram Vrc.	Rs. 1,000/-
10.	N/K Ram Swarrop Vrc.	
11.	Sep. Chhle Ram Vrc.	
12.	Rfn. Rawat Singh. Vrc.	Rs. 1,000/-
13.	Rfn. Hanuman Ram Vrc.	Rs. 1,000/-
14.	Sub. Gopal Ram.	Rs. Under consideration.
	1957	
15.	Lance Defedar Sultan Singh.	
16.	Sub Har Narain Ram.	
17.	Naik Ram Sarup.	
18.	Jam. Samander Singh.	
19.	Sep. Ram Singh.	
20.	Scout Chatra Ram.	Reply sent to Govt. of India- Goverment of India will pay.
	1958	
21.	L/Dfr Sultan Singh.As.ch (III)	
22.	Subedar Basata Ram Vrc.	Rs. 1,000/-

23. L/Nk. Hanuman Ram Vrc. Rs. 1,000/-
24. Sugriv Singh Ashok Chakra class (III)
25. Sub. Gugan Ram Vrc. Rs. 1,000/-
26. Rfn Dhankal Singh Mahavir chakra.
27. Jem. Sanwal Ram Vrc-
28. Rfn. Ram Kanwar Singh M. M. Rs. 300/-paid on 17-11-49
29. Sub.. Harnath Singh.

शुद्धि-पत्र

(१३ अगस्त, ५६)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
७४३	१५	रीजव	रिजर्व
७४६	अन्तिम से ६	लया	लगा
७५२	अन्तिम से ३	१६-३-५८	१६-३-५६
७५८	शीर्ष	५५८	७५८
७५८	६	canats has	canals have
७५६	३	watet	water
७६०	२१	ineconnection	inconnection
७६१	१४	वह	वहां
७६३	१५—१६	prema facie	prime facie
७७०	११	डीजल येकेनिक	डीजल मेकेनिक
७८१	शीर्ष	१२ अगस्त	१३ अगस्त
७८६	६	have deen paid	have been paid
७६०	११	wire yesterdaya nd	wire yesterday and
७६०	अन्तिम से ३	Thisis	this is
७६७	३	पहली दी थी	पहले दी थी
७६८	४	नोकर	नौकर
८००	१२	हम	हमें

१	२	३	४
८०१	८	ths	the.
८०३	१६	Govetnment	Government
८०५	१७	what so ever	whatsoever
८०६	अन्तिम	in certain	in certain
८१०	१४	उसको	उनको
८११	१३	लेजाते	ले जाने
८१२	७	दुश्मन को	दुश्मन का !
८१२	८	वह अब तक जो प्रोटिक्स	अब तक जो प्रेक्टिस
८१४	अन्तिम से २	भूलाकर	भुलाकर
८१७	३	नोमीनीशान	नोमीनेशन
८१८	अन्तिम से १२	समम्भाता हू	समझता हूँ
८२०	१	alwys	always
८३०	अन्तिम से ५	आधार सीलिंग	आधार पर सीलिंग
८३१	२	कत्ता	विलोपित कीजिए
८३१	३	हीं करें	नहीं करें
८३१	४	अर्मो	लोगों
८३२	१५—१६	इनफ्लुएन्स	इनफ्लुएन्स
८३२	अन्तिम से ६	बेहबूदी	बहबूदी
८३३	१६	एक्सल-पेन्डेबल,	एक्सपेन्डबल

१	२	३	४
८३५	अन्तिम से ७	इस मरह	इस तरह
८३५	" " ६	राजनीतिक	राजनैतिक
८३७	शीर्ष	टिन्नेसी	टिनेन्सी
८४२	अन्तिम से १ -१३	कांस्टियूशन	कॉन्स्टिट्यूशन
८४४	२	विशेष वग	विशेष वर्ग
८४४	२१	हर्ट	हार्ट
८४६	१२	हां ये	वहां थे।
८५१	१७	जा रहा है। वह	जा रहा है वह
८५२	अन्तिम से ५	निश्चय	निश्चित
८५२	" " ३	यह देखना है। जब	यह देखना है कि जब
८५२	अन्तिम	दुआ	हुआ
८५६	१	regorm	reform.
८५६	२	moved of deep	moved so deep
८५६	३	conomy	economy
८५८	६	बिल को पीछा	बिल को पीछे
८६०	२	सिद्दथ	सिक्स्थ
८६३	१३	होगा होगा ?	होगा ?
८६६	१०	इर्वीगेटेड	इर्रिगेटेड
८६६	अन्तिम से २	वनिंग	बर्निंग

१	२	३	४
८७७	२०	डिस्टर्वन्ड	डिस्टर्बड
८८८	६	किश्म	किस्म
८६३	अन्तिम से १३	गमराह	गुमराह
६००	२०	लगाने वालों	लगने वालों
६०२	१२	हामरे	हमारे
६१३	अन्तिम से १०	जारीरदारियां	जागीरदारियां
६२५	६	विवस	विवश
६२८	१६	प्रोडेट्वि	प्रोडेक्टिव
६२६	अन्तिम से ७	हैल्थ	हैल्त
६३३	अन्तिम से ६	पैसा करके	पैदा करके
६४१	अन्तिम	सम्पूर्ण का दिन	सम्पूर्ण दिन

———